खण्ड–491, अंक–2
सोमवार, 26 कार्तिक, शक संवत् 1936
(17 नवम्बर, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2014)

(खण्ड 491 में 5 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–120
वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ...	120
आज की कार्य–सूची में 10 प्रश्नों का उत्तर आने पर श्री अध्यक्ष को बधाई तथा महिला उत्पीड़न हेल्प लाइन की तरह व्यापारियों को संरक्षण देने हेतु हेल्प लाइन नम्बर चालू कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	120–121
प्रश्नों का उत्तर भ्रमात्मक तथा त्रुटि पूर्ण आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	121
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	121–123
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में घाघरा नदी के किनारे तट बन्धों को बनाये जाने हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के मालिकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
जनपद गाजीपुर के गांव सोनियापार एवं जनपद आजमगढ़ के गांव भगवानपुर के गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	124–125
दिल्ली–सहारनपुर यमुनोत्री राजमार्ग के लम्बित (फोर लेन) निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	125
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी को ए0सी0पी0 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम सभा व पोस्ट–खजुरी के कृषक को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
महानगर बरेली में थाना बारादरी से बरेली कालेज तक ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	126
आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पश्चिमपुरी एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	126–127
जनपद हरदोई के ग्राम दारूकुइयां से जलालाबाद तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	127

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रदेश के प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	127–128
जनपद गाजियाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	128
पश्चिमी गण्डक नहर से विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त जलमग्न की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	128–129
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के टाउन एरिया में उप मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	129
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	129–130
महानगर गाजियाबाद के जी0टी0 रोड चर्च से दवाई मार्किट तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	130–131
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	131–132
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–14 के अनुसार एक वर्ष में विधान सभा के 90 उपवेशन न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	132–133
वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत बजट की स्वीकृतियों का विवरण और खर्च की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये बिना अनुपूरक बजट लाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	133–135
अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर उपवेशन से एक दिन पूर्व उपलब्ध कराने के मा0 अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद उक्त प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	135–136
विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के थाना क्षेत्र फखरपुर के ग्राम ढपरामऊ में दिनांक 08–09–2013 को मन्दिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना में की गयी द्वेषपूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष पीठ के निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	136
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर, 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या–5 (सदन के पटल पर रखा	136

गया) ... ...

लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) 137

विषय	पृष्ठ–संख्या
लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–012014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0– 2–684/ग्यारह–9 (295)/07 उ0प्र0 वैट नियमावली–8 आदेश–(114)– 2014 (सदन के पटल पर रखी गयी)	137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0– 2–683/ग्यारह–9 (165)/2008 उ0प्र0 अधि0–05–2008 आदेश–(116)– 2014 (सदन के पटल पर रखी गयी)	137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0– 2–1109/ग्यारह–9 (114)/12 उ0प्र0 अधि0–05–2008 आदेश–(117)– 2014 (सदन के पटल पर रखी गयी)	137–138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0– 2–1270/ग्यारह–9 (1)/08 उ0प्र0 अधि0–05–2008 आदेश–(118)– 2014 (सदन के पटल पर रखी गयी)	138
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा–37 की उपधारा (7) (सदन के पटल पर रखी गयी)	138
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)... ...	138
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा–4 की उपधारा (1) खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ...	138–139
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा–26 (1) के वर्ग–6 की उपधारा (बारह) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव	139–140
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	140–161

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुनः पारित) ... 161–162

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुनः पारित) ... 162

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुनः पारित) 162

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	163–165
जनपद गोण्डा के भू–माफियाओं द्वारा ग्राम सभा देवरिया में हरिजन आबादी की जमीन को कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नन्दिता शुक्ला द्वारा दिनांक 27 जून, 2014 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	165
जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड दोथ में चक रोड पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा दिनांक 30 जून, 2014 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	165
जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा झगहां में चकबन्दी में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2014 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	165–167
जनपद चन्दौली में स्थित राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली स्नातकोत्तर विषय के अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 2014 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	167–168

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–348

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय, श्री वाराणसी
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
33. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
35. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
41. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
42. आशीष यादव, श्री बदायूं
43. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
44. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
45. इकबाल, श्री बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री संभल
47. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती

52. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
54. उदयराज, श्री उन्नाव
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. कप्तान सिंह, श्री महोबा
63. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
64. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
65. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
66. काली चरन सुमन, श्री आगरा
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
69. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. कैलाश, श्री गाजीपुर
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
75. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
76. गजराज सिंह, श्री हापुड़
77. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
78. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
79. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
80. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
81. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
82. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
88. जगपाल, श्री सहारनपुर
89. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
90. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
91. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
92. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
93. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
94. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
97. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
100. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
101. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
102. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
103. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
104. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
105. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
106. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
107. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
108. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
109. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
112. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली

114. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
115. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
116. धर्मराज, श्री बाराबंकी
117. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
118. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
119. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
120. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
121. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
122. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
123. नारद राय, श्री बलिया
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
126. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
127. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
128. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
129. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
130. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
131. पीतमराम, श्री पीलीभीत
132. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
133. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
134. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
136. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
137. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
138. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
139. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
140. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
144. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
145. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
146. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
147. बदलू खां, श्री उन्नाव
148. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
149. बाबू खां, श्री हरदोई
150. बाबूलाल, श्री गोण्डा
151. बावन सिंह, श्री गोण्डा
152. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
153. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
154. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
155. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
156. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
157. बैजनाथ, श्री मऊ
158. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
159. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
160. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
161. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
162. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
163. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
164. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
165. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
166. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
167. मनबोध, श्री देवरिया
168. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
169. मनीष रावत, श्री सीतापुर
170. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
171. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
172. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
173. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
174. महबूब अली, श्री अमरोहा
175. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
176. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
177. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा

178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
179. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
180. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
181. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
182. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
183. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
184. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
185. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
186. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
187. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
188. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
189. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
190. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
191. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
192. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
193. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
195. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
196. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
197. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
198. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
199. यासर शाह, श्री बहराइच
200. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
201. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
202. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
203. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
204. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणजीत सुमन, श्री एटा
208. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
209. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
210. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
211. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
212. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
213. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
214. रवि शर्मा, श्री झांसी
215. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
216. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
217. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
218. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
219. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
220. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
221. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
222. राजिव, श्री सहारनपुर
223. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
224. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
225. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
226. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
227. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
228. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
229. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
230. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
231. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
232. राधे श्याम, श्री अमेठी
233. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
234. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
235. राम करन आर्य, श्री बस्ती
236. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
237. राम गोविन्द, श्री बलिया
238. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
239. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
240. रामपाल यादव, श्री सीतापुर

241. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
242. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
243. राम मगन, श्री बाराबंकी
244. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
245. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
246. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
247. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
248. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
249. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
250. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
251. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
252. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
253. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
254. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
255. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
256. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
257. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
258. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
259. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
260. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
261. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
262. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
263. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
264. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
265. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
266. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
267. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
268. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
269. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
270. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
271. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
272. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
273. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
274. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
275. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
276. विजय सिंह, श्री रामपुर
277. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
278. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
279. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
280. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
281. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
282. वीरपाल राठी, श्री बागपत
283. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
284. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
285. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
286. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
287. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
288. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
289. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
290. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
291. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
292. शाकिर अली, श्री देवरिया
293. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
294. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
295. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
296. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
297. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
298. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
299. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
300. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
301. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
302. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
303. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
304. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर

305. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
306. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
307. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
308. संजय कपूर, श्री रामपुर
309. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
310. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
311. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
312. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
313. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
314. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
315. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
316. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
317. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
318. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
319. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
320. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
321. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
322. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
323. सियाराम सागर, डा0 बरेली
324. सीमा, श्रीमती जौनपुर
325. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
326. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
327. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
328. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
329. सुधाकर, श्री मऊ
330. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
331. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
332. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
333. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
334. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
335. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
336. सुरेश राणा, श्री शामली
337. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
338. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
339. सुल्तान बेग, श्री बरेली
340. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
341. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
342. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
343. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
344. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
345. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
346. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
347. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
348. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सूखाग्रस्त प्रभावित जिलों को मिलने वाली अनुदान राशि किसानों को देने की मांग

'1—डा0 धर्मपाल सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मनीष असीजा, श्री सूरज पाल सिंह, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है ? क्या सरकार द्वारा सूखाग्रस्त जिलों के प्रभावित किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि जारी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता, राजस्व मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)—

शासनादेश संख्या—318/1—11—2014—18 (जी) 2006, दिनांक 16—09—2014 द्वारा कुल 44 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

जी नहीं।

प्रदेश में सूखाग्रस्त जनपदों में हुई क्षति के दृष्टिगत प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किये जाने एवं सूखे की समस्या के निराकरण हेतु रु0 4819.49 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की जायेगी।

डा0 धर्मपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी किसान परिवार से हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसान अपना ऋण तभी चुका पाता है जब उसकी अगली फसल आती है। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश के 44 जिलों में भयंकर सूखा पड़ा, किसानों को अपनी—अपनी फसलें जोतनी पड़ीं, धान की फसल जोतनी पड़ी, बाजरा की फसल जोतनी पड़ी, उसके बावजूद भी मा0 अध्यक्ष जी, जिले स्तर के अधिकारियों द्वारा जो सरकार ने प्रदेश के 44 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, उन जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली के लिए और बिजली की वसूली के लिए किसानों का जबरदस्त उत्पीड़न किया जा रहा है। कई किसानों के नलकूपों के कनेक्शन काट दिये गये हैं, कई पूरे के पूरे गांवों के बिजली के कनेक्शन काट दिये गये हैं। आगरा जिले में मा0 अध्यक्ष जी एत्मादपुर तहसील में एक किसान को तो 11 दिन तक बन्धक बनाया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मेमोरेण्डम प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्रेषित किया है, तो शीघ्र से शीघ्र वहां से पैसा रिलीज हो जाय उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, जो 44 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं उन जिलों में किसानों के विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न हो,

जैसा मैंने बताया है कि जिले के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है, तो उसको रोकने के लिए सरकार कोई निर्देश जारी करेगी ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी रवी की फसल आने तक दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कृषकों के अवशेष मुक्त राजस्व देय पर भू–राजस्व की वसूली दिनांक 31 मार्च, 2015 तक स्थगित किये जाने, उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयों की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं किये जाने, जिलाधिकारियों द्वारा सूखे से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही किये जाने तथा सम्बन्धित विभागों यथा चिकित्सा, स्वास्थ्य, पशुपालन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज, लघु सिंचाई, कृषि, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 जल निगम आदि द्वारा सूखाग्रस्त जनपदों में सूखा से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु विभागीय स्तर पर हर सम्भव राहत कार्य किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बिजली विभाग का जिक्र किया था।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने पूरा जवाब तो दे दिया कि ये–ये कर दिया गया है। अब महाना जी को पूछने दीजिये, महाना जी का भी सवाल है।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, पिछला विधान सभा सत्र जो जुलाई–अगस्त के महीने में था। आपको याद होगा कि मैंने नियम–56 में आशंकित सूखे के बारे में प्रदेश की तैयारी के सम्बन्ध में नोटिस दिया था। मान्यवर, आपने उसको कृपापूर्वक सुना नहीं था लेकिन आपने कृपापूर्वक उस पर सरकार द्वारा संज्ञान लेने का आदेश किया था। मान्यवर, सरकार सूखे से निपटने के लिये गंभीर न तो शुरू से थी और न ही सरकार की ऐसी कोई मंशा किसानों की तरफ प्रदर्शित होती है, दिखती है। मान्यवर, मुझे उस समय बहुत कष्ट हुआ था, मेरे मन में बड़ी वेदना थी। इतनी महत्वपूर्ण बात, यह उसी से सम्बन्धित है, इतनी महत्वपूर्ण बात को इतने हल्के तरीके से निपटाने का काम सरकार ने किया है। मान्यवर, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिस समय प्रदेश में सूखा पड़ा, उस समय न तो किसान के पास बिजली थी, न किसान के पास पानी था। मान्यवर, किसान केवल हाहाकार करते हुये सड़क पर उतरने के लिये मजबूर हो गया। मान्यवर, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में 2–3 घण्टे बिजली की आपूर्ति की गई, वहां पर 2–3 घण्टे बिजली गई कि नहीं गई, यह वास्तविकता कुछ और है। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में जिस समय सूखा पड़ा मई, जून, जुलाई में सरकार ने उसमें किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। मान्यवर, उसके बाद एक शासनादेश जारी कर दिया गया, जल निगम वालों को कह दिया गया, बिजली वालों को कह दिया गया। अभी आदरणीय डा0 साहब ने

बोला, उन्होंने बताया कि यहां, यहां, यहां आकर वसूली के लिये अभी भी कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, वसूली तो दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष तो यह है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। पहला पक्ष यह है कि सरकार सूखे के प्रति गंभीर थी ही नहीं, इनकी मंशा ही नहीं थी कुछ करने की। मान्यवर, दूसरा पक्ष, मैं प्रश्न कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने 4819 करोड़ रुपये का मेमोरेण्डम भारत सरकार को बनाकर भेज दिया लेकिन इन्होंने सूखे के लिये क्या किया। प्रदेश सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, पहला प्रश्न यह है। अगर है तो इन्होंने क्या किया और दूसरी बात जब इन्होंने कोई मेमोरेण्डम बनाकर भेजा तो उसके बिन्दु क्या थे, उसको इन्होंने कब भेजा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, सूखे के प्रति हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और किसानों के प्रति भी। मान्यवर, जैसे ही सूखा पड़ा, नहरों में पानी 15 मई से लगातार रहा। जब तक नहीं बरसा और आज तक भी नहरों की सिल्ट सफाई से लेकर पानी लगातार चला है। उसकी वजह से किसानों की सूखे से बहुत बचत भी हुई है। मान्यवर, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जो भारत सरकार से राहत मिलनी चाहिये थी, वह अभी तक नहीं मिली है। मान्यवर, पिछले साल भी कभी सूखा पड़ा, कभी बाढ़ आई तो पिछले साल भी हमारी सरकार ने तुरन्त काम किया और हम मौके पर भी गये हैं। केन्द्रीय मंत्री भी आये मौके पर तो हम यह पूछना चाहते हैं कि केन्द्रीय मंत्री भी आये थे तो उन्होंने राहत का कितना काम किया। हमारी सरकार ने चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बाढ़ पड़ी हो तुरन्त मौके पर जाकर राहत का देने का काम किया है। मान्यवर, हमारी सरकार बहुत गंभीर है सूखे के प्रति भी और बाढ़ के प्रति भी। मान्यवर, जहां भी हैण्डपम्प खराब थे तो लगातार पूरे निर्देश दे दिये गये हैं और जिलाधिकारियों को पूरी तरह से निर्देश दे दिये गये हैं, कहीं पर भी सूखे और बाढ़ से किसी को भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। ये सीधे निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पेशिफिक उत्तर था कि आपने केन्द्र सरकार को कब भेजा है ? मा0 मंत्री जी ने उसके ऊपर भाषण दे दिया कि मौके पर गये। मान्यवर, बाढ़ में मौके पर गये समझ में आता है लेकिन सूखे पर मौके पर कहां चले गये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि मेमोरेण्डम कब भेजा गया केन्द्र सरकार को ? मा0 मंत्री, अगर आपके पास सूचना हो तो बता दें। आपके पास सूचना हो तो दे दीजिये, नहीं है तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप यह जानना चाहते हैं कि मेमोरेन्डम कब भेजा गया केन्द्र सरकार को आ जाए जवाब माननीय मंत्री जी है सूचना तो बता दें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इन्होंने केन्द्र सरकार को मेमोरेन्डम कब भेजा ?

श्री अध्यक्ष–

सुनिये वही तो बताने जा रहे हैं, है सूचना तो बता दें नहीं है तो कोई बात नहीं।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

हां, मेरे पास सूचना है दिनांक 16–09–14 को सूखा का मेमोरेन्डम भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठिए।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

दिनांक 16–09–14 को मेमोरेन्डम भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, अब खत्म हो गया, अब खन्ना जी को भी पूछने दीजिए, वो आपके नेता हैं। अभी मंत्री जी बैठे नहीं हैं। सुन लीजिए।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मैंने इसे भेज दिया था केन्द्र सरकार को और भारत सरकार की टीम भी आई लेकिन टीम आने के बावजूद भी भारत सरकार की टीम ने कुछ भी मद्द नहीं की। अभी तक भी मद्द नहीं की है।

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम–शेम की आवाजें आईं)

श्री शिव पाल सिंह यादव–

और पिछली सरकार में भी मैंने केन्द्र सरकार को समय से भेज दिया था। इस सरकार को भी भेज दिया है अगर जरा सा भी आपमें संवेदनशीलता है केन्द्र सरकार में तो पिछली सरकार के समय का पैसा और इस सरकार का भी जो हमने मेमोरेन्डम भेजा था।

(मा0 महाना जी और श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर सुनिये, मा0 सुरेश खन्ना साहब अभी मंत्री जी खड़े हैं।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

तो यह तो भेज दिया गया मेमोरेन्डम दूसरा 31 मार्च, 2015 तक कहीं पर भी किसानों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हुई, कहीं पर वसूली नहीं हुई। ये तो देखिए दूसरी यह तो जहां पर वर्षा हुई थी 50 परसेन्ट तक इसके अलावा हमारी सरकार ने 22 जिले और लिये जहां 60 परसेन्ट से कम वर्षा हुई थी, इस सम्बन्ध में भी हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है 44 के अलावा भी हमने संत रविदास नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, बागपत, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोण्डा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रामपुर, हाथरस, चन्दौली 14 जिले और ले लिये हैं। 14 जिले

और ले लिये हैं जहां पर 60 परसेन्ट से कम वर्षा हुई। इतनी संवेदनशील है हमारी सरकार। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मा0 मंत्री जी का उत्तर बहुत ध्यान से सुना मान्यवर। इस प्रकार की आपदा से निपटने का प्रमुख दायित्व मान्यवर, स्टेट गवर्नमेन्ट का है, राज्य सरकार का है मान्यवर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आपत्ति इस बात पर है और प्रश्न भी है मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि पूरे मई में हाहाकार मचता रहा, पूरे जून में हाहाकार मचा और पूरे जुलाई भर हाहाकार मचा, पूरे अगस्त हाहाकार मचा और पहली बार 16 सितम्बर को माननीय मंत्री जी जागे, यह इतनी देर कैसे हुई? अगर मान्यवर, यह देर न की जाती तो 50 परसेन्ट सब्सिडी डीजल पर और 50 परसेन्ट सब्सिडी खाद पर देने को केन्द्र सरकार ने कहा था, उसी वक्त.....

(सत्तापक्ष की तरफ से झूठ–झूठ की आवाजें आईं)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहे मा0 सदस्यगण।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, जुलाई में 50 परसेन्ट कहा था, जुलाई में क्यों नहीं घोषित किये। 31 अगस्त तक केन्द्र सरकार को यह मेमोरेन्डम पहुंच जाना चाहिए था देरी हुई आपकी वजह से, लापरवाही हुई आपकी वहज से और आज हर बात के लिए ठीकरा केन्द्र सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अभी 14 जिलों की बात आपने कही है वह सूखाग्रस्त घोषित किये नहीं हैं यह देरी किस की वजह से हुई है। इसकी वजह से किसान परेशान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने समय रहते ठोस कार्यवाही नहीं की है। समय से अगर केन्द्र सरकार को मेमोरेंडम भेज दिया गया होता तो वहां से टीम आ जाती और वह आकर स्थिति का निरीक्षण कर लेती तथा किसानों को सबसिडी और राहत मिल चुकी होती। जो प्रदेश सरकार के स्तर पर देरी हुई है उसका परिणाम किसान भुगत रहा है। मैं मान्यवर उस देरी का कारण जानना चाहता हूं। जो मान्यवर कार्यवाही प्रदेश सरकार को 31 जुलाई को 31 अगस्त को करनी चाहिए थी वह आपने 16 सितम्बर को की है। मान्यवर, जिन 14 जिलों को, सूखाग्रस्त घोषित करने की बात कही गयी है उसको अभी तक सूखाग्रस्त न किये जाने के क्या कारण हैं।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने तो कह दिया कि सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि यह लापरवाही और देरी किस की वजह से हुई है।

श्री शिवपाल सिंह यादव– मान्यवर, 14 जिलों को जो सूखाग्रस्त करने की बात आपने पूछी है, मान्यवर, कोई बारिश जून में नहीं हुई है जुलाई में नहीं हुई है, सूखा का सत्र अगस्त में आता है जहां पर पानी नहीं बरसा है, मैंने बताया कि 16 सितम्बर, 2014 को मेमोरेंडम भारत सरकार में भेज दिया गया था। समय से वहां पर भेज दिया गया था। जो मैंने 14 जिलों के बारे में बताया है वह सूखाग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं। मान्यवर, हमने वहां जो ट्यूबवेल खराब थे उनको ठीक करा दिया है जो हैंडपम्प खराब थे उनको ठीक करा दिया गया है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिये गये हैं।नहरों में पानी लगातार चल रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों को राहत पहुंचायी है। अब जो भी देरी है वह केन्द्र सरकार के स्तर पर है वहां से धन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप किसानों के प्रति इतने संवेदनशील हैं तो कोशिश करके वहां से प्रदेश सरकार को जल्दी धनराशि दिलवा दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इन्होंने 16 सितम्बर को मेमोरेंडम केन्द्र सरकार को भेजा है। उस पर वहां की टीम कब यहां पर आयी उसका अंतिम निर्णय क्या हुआ और उस पर कितनी धनराशि मिली। मान्यवर, आप देखें कि जो सूचना मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई है उसमें 44 जिलों की सूचना है। माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि 14 जिलों को हमने और सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मान्यवर, जो सदन के समक्ष आज सूचना प्रस्तुत है वह अद्यतन रुप में प्रस्तुत होनी चाहिए 14 जिलों को मिलाकर प्रस्तुत होनी चाहिए थी। मान्यवर, भारत सरकार से पैसा आने में विलम्ब हो रहा है तो क्या प्रदेश सरकार प्रभावित किसानों को उनके हाल पर ही मरने के लिये छोड़ देगी। अगर उसके लिये प्रदेश सरकार जिम्मेवार है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तो फिर केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता की प्रत्याशा में प्रदेश सरकार उन किसानों को क्या क्या सहायता प्रदान करेगी।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, वाजपेयी जी ने सुना ही नहीं 31 मार्च, 2015 तक कृषको के भू–राजस्व, सिंचाई, वसूली 31 मार्च 2015 तक स्थगित कर दी गयी, ट्यूबवेल ठीक करा दिये गये, हैण्डपम्प ठीक करा दिये गये, नहरो में पानी चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर सुन लीजिए। वैसे भी 20 मिनट हो गया इस सवाल का 20 मिनट से ज्यादा नहीं चलना है।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मान्यवर, समय से केन्द्र सरकार को मेमोरेन्डम दे दिया गया है और जेसे ही सरकार, केन्द्र सरकार वहॉ से धन हमें उपलब्ध करा देगी और जितना पैसा केन्द्र सरकार देगी उसका 25 परसेन्ट हमारी सरकार तुरन्त रिलीज करके किसानों को राहत देने का काम करेगी।

(डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

20 मिनट इस सवाल पर हो गये और भी सवाल है बाजपेयी जी, अब आगे बढ़ते हैं। अल्पसूचित पर 20 मिनट ही निर्धारित है 20 मिनट हो गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर समय समाप्त कर दिया जाय मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर समुचित उत्तर आना चाहिए मंत्री जी का, 20 मिनट की आड़ लेकर इसको समाप्त किया जा रहा है और दूसरा प्रश्न लिया जा रहा है।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी 20 मिनट हो गया है अच्छा एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक प्रश्न हम भी करेंगे। इसका समुचित उत्तर नहीं आया है और सरकार ने समय रहते इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय असीजा जी, प्रश्न पूछे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सरकार लापरवाह है और समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं की है इसलिए मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से वाकआउट कर चले गये)

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बी0पी0एल0 श्रेणी में आने वाले आवास विहीन लोगों को आवास आवंटित करने विषयक

'01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बी0पी0एल0 श्रेणी में आने वाले आवास विहीन लोगों को

आवास देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में शहरी क्षेत्रों के बी0पी0एल0 श्रेणी के आवास विहीन पात्र लाभार्थियों को ''आसरा'' योजना के माध्यम से निःशुल्क आवास एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है।

आसरा योजना में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 16–01–2013 द्वारा की गयी है किन्तु कतिपय नगरीय निकायों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। अतः नगरीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं मलिन बस्तियों में इन सीटू आवासों के निर्माण एवं विकास हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14 (31)/2012 टी0सी0 (सी) दिनांक 09–09–2014 द्वारा नीति निर्धारित की गयी।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 8016 आवासों की 247.17 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 में 7206 आवासों की परियोजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 335.67 करोड़ की धनराशि बजट में प्राविधानित है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित **''राजीव आवास योजना''** के अन्तर्गत भी प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्लम बस्तियों के निवासियों को आवासीय एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश के अतिरिक्त लाभार्थी अंशदान लिया जाना अनुमन्य था, परन्तु शहरी गरीबों को आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत लाभार्थी अंशदान को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार राजीव आवास योजना के द्वारा गरीबों को निःशुल्क आवास प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इस योजना के अन्तर्गत अद्यतन प्रदेश के 11 शहरों (कानपुर नगर, लखनऊ, कन्नौज, आगरा, मथुरा, रामपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ व मुजफ्फरनगर) की रु0 37574.09 लाख की 13 विविध स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से 5158 पात्र चयनित लाभार्थियों के परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) योजना के अन्तर्गत बी0एस0यू0पी0 के अधीन प्रदेश के 07 शहरों यथा–लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा व मथुरा शहरों में 45599 आवासों के निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण का अनुपात 50.50 है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के दूसरे उपघटक के रूप में आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्वोक्त 07 शहरों के मुख्यालयों को छोड़कर इन जनपदों के अन्य नगर निकायों सहित प्रदेश के अन्य सभी नगर निकायों में आवास निर्माण एवं बुनियादी सुविधाओं को

मुहैया कराया जाना प्राविधानित है। इसके अन्तर्गत 159 परियोजनाएं 140 नगरीय निकायों में संचालित हैं, जिसमें 37878 आवासों का निर्माण स्वीकृत है। यह योजना सम्प्रति अन्तिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत डीटेल उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। मान्यवर, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में लोहिया आवास योजना इस सरकार ने चलाई है। मैं स्वयं इसको दोहरा कर सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। मान्यवर, बाकी शहरों में जहां पर हाउसिंग बोर्ड हैं, डेवलपमेण्ट अथॉरिटीज भी हैं उसके अतिरिक्त भी पूरे प्रदेश में जो स्लम बस्तियां हैं उनको पुर्नवासित करने के लिये जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में लोहिया आवास की व्यवस्था इस सरकार के द्वारा की गई, ठीक उसी प्रकार से बाकी शहरों में भी कोई आवास की योजना प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, पहले यह योजनाएं जो चल रही हैं उन पर कामयाबी हासिल हो। हम इनको सबको बना सकें। आईडियल सिचुएशन यही है कि जहां भी जो गरीब रहता है उसे रहने के लिये आवास मुहैया कराए जाएं। इस पर विचार किया जा सकता है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि कतिपय नगर निगमों में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने, 'कतिपय' शब्द से बहुत भ्रम हो रहा है। यह स्पष्ट होना चाहिए कौन–कौन से वो नगर निगम थे जिन्होंने भूमि उपलब्ध नहीं कराई और क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की, कि जिन नगर निगमों ने भूमि नहीं दी उन नगर निगमों की कितनी ऐसी भूमि है जो पूरे शहर के अन्दर जो अभी–भी बहुत बड़ी संख्या में अनाधिकृत कब्जों में पड़ी है। माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। जिन नगर निगमों ने भूमि नहीं दी या दी है तब भी, नगर निगम की जो भूमि अनाधिकृत कब्जों में पड़ी हैं उन्हें खाली करा करके कब्जे में ले करके क्या सरकार इस योजना को वहां पर प्रभावी करने का प्रयास करेगी। दूसरा सवाल है राजीव आवास योजना का कि जिन जनपदों का चयन किया गया है क्या यह चयन भारत सरकार ने करके भेजा था या उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं ही जनपदों का चयन किया है, क्योंकि मैं जिन जनपदों के नाम देख रहा हूं यह सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर हैं। एक भी नगर राजीव आवास योजना में अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है। आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। माननीय अम्बिका चौधरी जी भी वहीं से आते हैं। आखिर राजीव आवास योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई नगर चयनित क्यों नहीं हुआ ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक तो आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि आसरा योजना यह प्रदेश में सभी जगह लागू है। दूसरा मान्यवर, यह भारत सरकार के तैयार किये हुये मानक हैं जिसके तहत इन शहरों का चयन हुआ है और प्रदेश सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। जहां तक जमीनों का ताल्लुक है, बहुत सी जगह ऐसी हैं, जहां जमीनें नहीं हैं, उपलब्ध नहीं करायी जा सकी हैं और जो जमीनें खरीदी जाना हैं, उनके दाम बहुत हैं लेकिन योजनायें वहां समाप्त नहीं की गयी हैं और जमीनों की तलाश जारी है। आखिरी जो आपका सबसे अहम सवाल है कि जिन जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं, उन्हें खाली कराया जाना, ऐसी जमीनें शायद ही कोई हों जिस पर नाजायज कब्जा हो और माननीय न्यायालय से उनको किसी तरह का स्थगनादेश न मिला हुआ हो, ऐसी कोई जमीन नहीं है। यह जानकारी आपकी सूचना के लिये है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो राजीव आवास योजना भारत सरकार की वर्ष 2009 से प्रारम्भ हुयी है और इसमें केन्द्र सरकार की जमीन पर भी जो लोग अवैध रूप से बसे हैं उनको भी बसाना है। इसमें सेना और रेल विभाग की भूमि भी सम्मिलित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राजीव आवास योजना के लिये, जो लोग सेना या रेलवे की जमीन पर बसे हैं, उनके लिये भी क्या आप केन्द्र सरकार से कहेंगे कि वह जमीन आपको दें। दूसरी बात, कि इलाहाबाद में संगम क्षेत्र का जो परेड ग्राउन्ड है वहां पर संगम क्षेत्र मलिन बस्ती बनाम भारत सरकार और राज्य सरकार याचिका संख्या–15530/2000 दायर हुयी थी और 27 जुलाई, 2010 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वहां पर बसे हुये लोगों को राजीव आवास योजना में स्थायी रूप से बसाने के लिये यह आदेश दिये। चूंकि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की इसलिये वह आदेश अभी भी लागू हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो सेना की भूमि है जो बी ग्रेड की है जिसे वह लोगों को दे सकते हैं, वह और रेल विभाग को क्या आप इस तरह का प्रस्ताव भेजेंगे कि वह आपको जमीन दें और आप उस पर मकान बनायें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इलाहाबाद के बारे में माननीय सदस्य ज्यादा बेहतर जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वहां उन लोगों को बसाने के लिये पिछले दिनों काफी कोशिश की गई और कामयाबी इसलिये नहीं मिली कि भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी लेकिन कोशिश यही है कि वह सारे लोग, जो बहुत अच्छा मंजर भी नजर नहीं आता, नदी के किनारे वह सारा स्लम एरिया है तो अब स्लम एरियाज को ही डेवलप किया जा रहा है। तो जहां भी गुंजाइश निकलेगी, कोशिश की जायेगी और पहले से काफी अरसे से हम इस काम पर लगे हुये हैं जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी, इसे कराया जायेगा ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मैं सिर्फ एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी आवास योजना के दूसरे चरण में 10 जिले चयनित किये गये थे, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, यह हम जानना चाहते हैं कि यहां से बैठक होकर उसका प्रस्ताव भेज दिया गया था, उसकी स्थिति क्या है, माननीय मंत्री जी यह बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, प्रस्ताव ही नहीं भेज दिया गया है बल्कि इनमें से अधिकतर जिलों में काम चल रहा है।

प्रदेश में अप्रैल, 2014 से 25 अगस्त, 2014 तक प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव की हुई घटनाओं की रोकथाम की मांग

'2–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2104 से 25 अगस्त, 2014 तक प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव की कितनी घटनायें घटित हुई हैं एवं इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में अप्रैल, 2014 से 25–8–2014 तक 06 साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं घटित हुई हैं।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिये योजनाबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिनांक 16–5–2012 को निर्गत किये गये हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता को सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनांक 08–09–2013 द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना के प्रतिकूल कार्यवाही करने में सक्षम तत्वों को तत्परता से चिन्हित करते हुए उनकी निषेधात्मक गिरफ्तारी को अमल में लाये जाने जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनायें घटित हुयी हैं, वहां समुचित रूप से निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अराजक तत्वों की तत्काल गिरफ्तारी किये जाने, शान्ति समितियों की बैठकें आयोजित किये जाने, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किये जाने, प्रत्येक संवेदनशील स्थान पर समुचित पुलिस व्यवस्था का पिकेट सुनिश्चित किये जाने तथा सी0सी0टी0वी0/वीडियो कैमरा आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी रखे जाने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। साथ ही साथ त्योहारों के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा कानून–व्यवस्था सुदृढ़ रखने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 05–10–2013 द्वारा भी आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 28–5–2014 द्वारा भी सर्वसम्बन्धित को यह निर्देश दिये गये हैं कि यह नितान्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कोई विवाद साम्प्रदायिक अथवा जातिगत रूप न ले ले। यह प्रयास किया जाय कि किसी भी

प्रकार की अफवाह न फैले। इस हेतु जन सामान्य को संवाद एवं सम्पर्क के माध्यम से जागरूक किया जाय एवं इसमें मीडिया का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, यह बड़ा संवेदनशील प्रश्न है और मा0 मंत्री जी इसके लिये स्वाभाविक रूप से चिन्तित भी है। दुर्भाग्य से मान्यवर, यह प्रश्न मैने कई बार किया है। 9 दिसम्बर, 2013 को मैंने इसी विधान सभा में इसे उठाया था जिसमें पहले पैराग्राफ को छोड़कर पूरा का पूरा उत्तर सेम था। उसके बाद मान्यवर, मेरे द्वारा लिखा गया था कि 13 घटनाएं हुई दिसम्बर, 2013 से उसके बाद 24 फरवरी, 2014 को फिर मैंने यह प्रश्न किया उसमें 13 से घटाकर 4 घटनाएं हुई यह इन्होंने कह दिया। आज भी मान्यवर, जो उत्तर आया है वह अप्रैल से लेकर 25 अगस्त तक का है लगभग चार–पांच महीने का। मान्यवर, अगर केवल शासनादेश निर्गत कराने से इस पर रोकथाम होती तो मान्यवर, 16–5–2012 को इसके लिये एक शासनादेश निर्गत करा दिया था जो लगभग एक साल के उत्तर में आता रहा। उसके बाद मान्यवर, समरसता को सुनिश्चित करने के लिये 08–09–2013 को एक शासनादेश जारी कर दिया गया जो लगातार चला आ रहा है। मान्यवर, दुर्भाग्य से जो ये साम्प्रदायिक घटनाएं होती है, इसके पीछे कोई छोटा–मोटा कारण होता है और एक छोटी सी चिंगारी भड़क कर आग का रूप ले लेती है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि स्पेशियली सरकार स्वयं इस पर चिन्तित है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 25–8–2014 के बाद आज 11वां महीना हो गया है तो क्या इन तीन महीने में इस प्रकार की कोई घटनाएं हुई हैं। यदि घटना प्रारम्भ हुई, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि शासनादेश जारी कर दिया गया है, सरकार इसके लिये चिन्तित है और सरकार ने सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगा दिये हैं तो मान्यवर, वह छोटी सी घटना जिसके बारे में स्थानीय प्रशासन गम्भीर नहीं था और वह बड़ी घटना में तब्दील हो गई यदि वह छोटी घटना समय रहते रोक दी गई होती तो बड़ी घटना नहीं होती। मैं कानपुर के भीतरगांव में हुई स्पेसिफिक घटना का जिक्र करना चाहता हूं जो कि साम्प्रदायिक घटना है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कानपुर के भीतरगांव में जो घटना हुई उसमें किसी एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, उस चोरी के होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने गम्भीरता से उसका संज्ञान नहीं लिया और जब संज्ञान नहीं लिया तो जिसके यहां चोरी हुई थी उसने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया और कोई कार्यवाही नही की गई उसके कारण सारी की सारी घटना हुई है इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी विनम्रतापूर्वक यह जानकारी करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक घटना का जो मूल कारण होता है और जिस पर उसे रोकने की जिम्मेदारी थी और जिसने उसे नहीं रोका तो क्या इस प्रकार के जिम्मेदार लोगों पर भी जिम्मेदारी तय करके क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है जिनके ऊपर उस घटना को रोकने की जिम्मेदारी थी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी मान्यवर, मा0 महाना जी ने कहा कि एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन जाती है। मान्यवर, होना तो यह चाहिए था और होना चाहिए भी कि छोटी सी चिंगारी पर पानी डाल दिया जाए लेकिन बहुत कड़वा प्रश्न भी है और उसके बहुत कडुवे जवाब भी आ सकते हैं और हम समझते हैं कि पूरे सदन को कड़वे जवाबों से बचना चाहिए। उस छोटी सी चिंगारी का अंजाम क्या हुआ और छोटी सी चिंगारी से किसको कितना फायदा पहुंचा इस पर बहस न ही हो तो अच्छा है। (भा0ज0पा0 के सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर) कड़वी सच्चाई है, आप जानते हैं, आपको उसके लाभ भी पहुंच गये। मुजफ्फरनगर की इंसानियत को शर्मशार करके आपको उसके फायदे भी पहुंच गये। ऐसे लोग जिन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान चले जाओ वह केन्द्र में मंत्री बना दिये गये, जिन पर संगीन तरीन आपराधिक धाराओं के मुकदमें हैं वह सांसद बन गये। तो उस चिंगारी का लाभ किसको हुआ ? यह पूरा देश जानता है। हां, उस चिंगारी को रोकने की जरूरत जरूर है। अप्रैल 2014 से दिनांक 25–08–2014 तक 06 साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। एक कानपुर नगर जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा मेरठ, तीसरा मुजफ्फरनगर, बरेली, हापुड़ और कानपुर। लेकिन ये सब कण्ट्रोल कर लिये गये।

(श्री वीरपाल राठी के खड़े होने पर)

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

बहुत सवाल हो गये अब इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। महाना जी आप एक सवाल पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, एक ही सवाल काफी होगा। मा0 अध्यक्ष जी, पहली बात जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया वह मेरा प्रश्न नहीं था। प्रश्न न होने के बाद भी अगर वह उत्तर आया है तो सरकार की मानसिकता है, किसको लाभ है और किसको नुकसान है इस बात की चर्चा कर लीजिए। मैंने तो लाभ और नुकसान की चर्चा भी नहीं की। मान्यवर, कार्यवाही आपके सामने है यदि मैंने लाभ और हानि की चर्चा की हो तब तो उसका जवाब आता। किसी को लाभ हो रहा था, नहीं हो रहा था, किसी को नुकसान हो रहा था या नहीं हो रहा था इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। मैंने मान्यवर, बड़ी पवित्रता के साथ इस प्रश्न को किया था कि जो चिंगारी उठी उस पर पानी डालने की जिम्मेवारी जिन लोगों पर थी उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाई की ? मैंने मान्यवर, नफा और नुकसान के बारे में नहीं पूछा था। नफा और नुकसान के बारे में बात करेंगे तो लम्बी डिबेट हो जायेगी। जैसा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं। बात निकलेगी तो मान्यवर, दूर तलक जायेगी, यहीं खत्म नहीं

होगी। तो इसलिए मैंने उस बात को छेड़ा नहीं था, मैंने केवल इतना कहा है कि जिस चिंगारी के ऊपर पानी डालने की जिम्मेवारी जिन लोगों पर थी उन्होंने अगर उसके ऊपर पानी नहीं डाला तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, मेरा प्रश्न इतना ही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

महाना जी, आपने एक मिसरा सुनाया। 'बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जायेगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे।' अब बात पूरी हुई।

(श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, मंत्री जी खड़े हैं, जवाब देने दीजिए। यह क्या तरीका है ? आप जवाब सुनिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

महाना जी ने प्रश्न तो किया लेकिन चेहरे पर शर्मिन्दगी सी थी और प्रश्न में वह धार नहीं थी जो एक जमीर की आवाज होती है क्योंकि दिल के अंदर मुजफ्फनगर के जलते हुए घर, मारे जाते हुए बेगुनाह लोग, कमजोर लोग, हजारों लोगों का पलायन वह सब आपकी नजरों में था। चिंगारी के लिए जो भी जिम्मेदार थे उन सब पर कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर)

(श्री सुरेश राणा द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। मैंने तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकार लिया है जो श्री लोकेन्द्र सिंह की है। अब बहुत हो गया, बैठिये।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार की योजना

'03–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीषण गर्मी में पेयजल संकट को देखते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में पूर्व से ही पेयजलापूर्ति की अबाध व्यवस्था हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की 630 नागर निकायों में से 627 नागर निकायों में पाइप पेयजलापूर्ति की व्यवस्था है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यांश में पेयजलापूर्ति की क्रमशः 11 व 37 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त राज्य सेक्टर के नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत भी प्रदेश में

पेयजलापूर्ति की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला योजना (नगरीय पेयजल) से भी पेयजलापूर्ति के महत्वपूर्ण कराये जाते हैं। स्पष्टतः प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के हर सम्भव प्रयास पूर्व से ही किये जा रहे हैं।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि जो नगरीय क्षेत्र हैं, क्या उनमें हैण्डपम्प की व्यवस्था सरकार करेगी ? दूसरे, नगरीय क्षेत्रों में जो नगर पंचायते हैं, जैसे बिजनौर जिले में 12 नगर पालिकायें हैं और 06 नगर पंचायते हैं, तो इन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का जो एरिया हैं, उसमें आबादी दिन–प्रति–दिन बढ़ती चली जा रही है और वहां नगर पालिका के द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं की जाती हैं। चूंकि वो नगरीय क्षेत्र में हैं, इसलिए वहां हैण्डपम्प की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पेयजल की दिक्कत वहां आ रही है, तो क्या सरकार पेयजल की आपूर्ति वहां करायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जैसा मैंने कहा था कि केवल तीन स्थान ऐसे हैं, रसूलाबाद, डुमरियागंज तथा उसकाबाजार, जहां व्यवस्था नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि हर जगह बेहतर से बेहतर पेयजल योजना कार्यान्वित हो, ज्यादा से ज्यादा ओवरहेड टैंक बने और बन भी रहे हैं तथा बहुत बड़ी मात्रा में बनाये जा रहे हैं। अगर कहीं नहीं है, तो बगैर किसी दल के भेदभाव के आप मुझे लिखकर दे दें, वहां पर भी बनवाये जायेंगे, जहां पर नहीं है। सभी माननीय सदस्य दे सकते हैं। मा0 सदस्य, आप दे दीजिये, योजना तैयार होने में ही समय लगेगा। बाकी स्वीकृत हैं।

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब, अब सारे सवाल आ गये हैं, गोरखपुर में तो वैसे भी पानी भरा रहता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, आपसे भी संबंधित यह प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, 2012 से हम लोग नगरीय पेयजल के बारे में बात कर रहे हैं और इस सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के माननीय विधायकों को जो हैण्डपम्प पहले यह सरकार दिया करती थी, जिसे सरकार ने बंद कर दिया। क्या सरकार, जो सदन में लगातार वायदा कर रही है, लेकिन जमीन पर उतर नहीं रहा है। क्या सरकार इस योजना को जो पहले चलाया करती थी, नगरीय क्षेत्र के विधायकों को वह हैण्डपम्प देगी ? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अगर नहीं देगी, तो फिर पेयजल पर एक चर्चा करानी पड़ेगी। बेहतर होगा कि दे दे जिससे कि हम लोग कह दें कि हां सब ठीक–ठाक है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सच यही है कि अभी भी बहुत फर्क है शहरी क्षेत्रों और देहाती इलाकों में। पेयजल योजना पर कितना पैसा खर्च होता है, नागर निकायों पर, नगर निगमों में कितनी व्यवस्था की जा रही है पानी की और किस कदर पानी है, कितने बड़े–बड़े ओवरहैड टैंक बने हुए हैं। अभी किसानों की बात आ रही थी। अब सब कुछ सिर्फ शहरों को ही चाहिए, सच यह है कि शहरों में अब हैण्डपम्प लगाने की जगह भी नहीं रह गई है। क्योंकि जितनी जरूरत है पानी की, उससे कहीं ज्यादा पानी की उपलब्धता है ओवरहैड टैंक्स में। आप जितनी डिमाण्ड होगी, उतनी ही तो सप्लाई देंगे। आप डिमाण्ड से ज्यादा सप्लाई कैसे देंगे। जितनी डिमाण्ड है, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास पानी की व्यवस्था है। उससे कहीं ज्यादा सप्लाई है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह तो दिया है कि आप लिखकर दे दें मंत्री जी करा देंगे।

प्रदेश भर के नगरीय निकायों के छोटे–बड़े नाले–नालियों की तल्लीझाड़ सफाई कराने की वर्षा ऋतु के पूर्व कराने के सम्बन्ध में

'04–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय निकायों के छोटे–बड़े नाले नालियों की सही प्रकार से साफ–सफाई न होने से जलभराव एवं गन्दगी से अनेकों बीमारी तथा महामारी फैलने का कारण बनती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर प्रदेश भर के सभी नगर निकायों के छोटे–बड़े नाले–नालियों की तल्ली झाड़ सफाई कराने का अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश के नागर निकायों में वर्षाऋतु से पहले जलभराव से बचने के लिये सीवर, नाले, नालियों एवं सड़कों की सफाई आदि सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित/उत्तरदायी अधिकारियों को शासन द्वारा निर्देश दिये जाते हैं। वर्ष 2014 में इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–517/ नौ–7–14–27ज/2004, दिनांक 10–04–14 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25–04–14 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश द्वारा जलजनित रोगों के नियंत्रण एवं संक्रामक रोगों से बचने हेतु कीटनाशक दवाइयों तथा एन्टीलार्वा के छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मैं सदन को मैंने जो प्रश्न किया है उसकी मूल भावना से अवगत कराना चाहता हूं। नाले नालियों की सफाई देखने सुनने में एक सामान्य विषय लग सकता है। लेकिन प्रदेश की पांच करोड़ से अधिक की आबादी की जरूरतों में यह विषय आता है। इन नालियों के माध्यम से मध्यम वर्गीय नालों से होते हुए बड़े नालों में पानी जाता है। आज स्थिति यह है कि जो मुख्य नाले हैं वह वर्षों से

सिल्ट से अटे रहते हैं। जब मुख्य नाले सिल्ट से अटे रहते हैं तो जरा सी बरसात होती है तो पूरा शहर जल भराव की चपेट में आ जाता है इससे व्यवसायिक एवं सामाजिक गतिविधियां ठप्प सी हो जाती हैं क्योंकि सड़कें पानी में डूब जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि आपने तमाम आदेशों का उल्लेख किया है लेकिन यह सब सरकारी आदेश हैं क्या आप विशेष जांच दल बनाकर एक लाख से अधिक आबादी वाले जो निकाय हैं पहले चरण में उनके मुख्य नालों का सर्वेक्षण कराएंगे यदि वह सिल्ट से पूरे अटे पड़े हुए हैं तो सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करेंगे। दूसरा प्रश्न यह है यदि 80 प्रतिशत से ऊपर निकायों के मुख्य नाले पूरी तरह से सिल्ट से अटे पड़े हों जिनकी वजह से जल भराव होता है जल निकासी नहीं होती है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। तीसरा इन परिस्थितियों में कोई विशेष कार्यबल बनाकर, विशेष योजना बनाकर जैसा आपने रामपुर में नाले बना रखे हैं वैसी व्यवस्था कराने का काम करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा है जमीनी सच्चाई यही है। क्योंकि यह सारी इलेक्टेड संस्थाएं हैं इनमें चुनकर लोग आते हैं, चुनी हुए संस्थाओं पर सरकारों का बहुत ज्यादा जोर नहीं चलता है। कार्यवाही करते हैं तो हमारी कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश भी मिल जाता हैं ज्यादातर ऐसा ही होता है। कार्यवाही कार्यवाही मैं कितनी करता हूं यह आप अच्छी तरह से जानते हैं सिफारिश भी ज्यादा काम नहीं करती है। एक सच्ची बात यह भी है कि जब के यह नाले बने हुए थे तब की आबादी बहुत कम थी यह नालियां भी हैं तब भी आबादी कम थी जितना भी काम हुआ है वह अन प्लान्ड वे में हुआ है। पानी की निकासी कहीं है, कहीं नहीं, कहीं नालियां बन्द हो गई हैं। इस तरह कलवर्टस बनी हैं कि चोक हो गई हैं ठेकेदारों ने इस तरह कलवर्टस बनाए हैं ढोला बांधा है वह ढोला बंधा छोड़कर चले गए हैं पेमेंट ले लिया है जैसे रामपुर में नाले बने हैं तो रामपुर में नाले कभी बने नहीं थे। रामपुर नवाबों का शहर था, तो यहां जो कुछ बना था नवाबों के लिये बना था। 60–65 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि उस गन्दगी को, जो नवाबों ने छोड़ी थी को निकालने की कोशिश हो रही है और गन्दों को भी निकालने की कोशिश हो रही है। दोनों ही चीजें हैं। तो उस तरह के नाले कहीं बन रहे हों ना बन रहे हों, आपके तो शहर में बन रहे हैं। आपके शहर में कितना पैसा गया है, अगर आप जानना चाहेंगें तो मैं उसका पूरा ब्यौरा आपको भेज दूंगा। रामपुर से कई गुना ज्यादा, बल्कि 10, 20, 50 गुना ज्यादा पैसा गया है। यह आपका सौभाग्य है। जहां तक जांच कराने की बात है, जांच तो उसकी करायें जो मालूम न हो, सब मालूम है। यह सारी कमियां हैं, इस पर और कोशिश करते हैं कि सिल्ट साफ हो सके, पानी की निकासी बेहतर हो और उसके लिये धन की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में नाले नालियां बनाने का हमारा पूरा विचार है और उस पर काम भी शुरू हो गया है और बहुत

तेजी से यह काम हो भी रहा है। अनेक जिलों में नाले बनाये जा रहे हैं और उसका पैसा भी जा चुका है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–5 पुकारे जाने एवं कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष– अब कुछ नहीं, उन्होंने सारी बात कह दी है और सवाल पूछे जा चुके हैं। जब सारी बातें आ गई हैं तो क्या रह गया ? अब बैठिये। सारी बातें आ गईं, कोई बात छिपी नहीं। इतना स्पष्ट उत्तर दिया है।

राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत सीवरेज तथा नान सीवरेज योजनायें प्रदेश में लागू किये जाने की जानकारी

'05–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की कौन–कौन सी परियोजनायें वर्तमान में प्रदेश में लागू की जा रही है ? क्या इसमें सीवर निर्माण के साथ ही साथ नदियों में मिलने वाले नालों एवं नगरों में शौचालयों (सुलभ सार्वजनिक एवं घर–घर) का निर्माण भी शामिल है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रदेश में लागू है तथा इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, कानपुर नगरों में कितने सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत मुख्य रूप से दो योजनायें सीवरेज तथा नान–सीवरेज योजनायें क्रियान्वित की जा रही है।

1–एन0जी0आर0बी0ए0 योजनान्तर्गत सीवरेज स्कीम के तहत सीवर लाइन, एस0टी0पी0 तथा पम्पिंग स्टेशन इत्यादि का कार्य सम्मिलित है। प्रदेश में वर्तमान में 08 नगरों में कुल 12 सीवरेज परियोजनायें स्वीकृत की गयी है जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त कुल 06 परियोजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है।

2–एन0जी0आर0बी0ए0 योजनान्तर्गत नान–सीवरेज स्कीम के तहत सार्वजनिक शौचालयों एवं धोबी घाटों का निर्माण, घाटों का विकास, जन–जागरूकता एवं जन सहभागिता के कार्य शामिल हैं।

एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में इलाहाबाद तथा वाराणसी नगरों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्नगत योजना प्रदेश में वर्ष 2010 से लागू है। एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर में 48 नग सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। वाराणसी में 45 नग शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कुल 6 परियोजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 6 परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं जो अभी प्रेषित की गई हैं और दूसरा एन0जी0आर0बी0ए0 में ही घाटों के विकास का भी प्राविधान है और नालों के भी निर्माण का प्राविधान है। इलाहाबाद में कुम्भ मेले के पहले ही एन0जी0आर0बी0ए0 में घाटों के निर्माण की जो योजना बनी थी जिसमें एक दो बने हैं और बाकी अभी शेष हैं। तो जो शेष हैं उन घाटों का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यह प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

माननीय सदस्य प्रश्न बनायें प्रश्न कर लें लेकिन उसकी क्या स्थिति है, आप खुद उसमें बहुत दिलचस्पी लेते रहे हैं। वह प्रगति में हैं और जल्दी ही निर्माण हो जायेगा। जहां निर्माण नहीं हुआ है, वहां निर्माण शुरू हो जायेगा और जहां काम हो रहा है वह तेजी से हो जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 2011–2012 में यानि कुम्भ मेले के पहले 48 सुलभ शौचालय बनाये गये थे और उनको संचालन के लिये सुलभ इन्टरनेशनल और ज्योति विकास संस्थान इन संस्थाओं को दिया गया है। मान्यवर, वास्तविक स्थिति यह है कि जो सुलभ शौचालय बनाये गये थे पूर्व सरकार के कार्यकाल में, उनकी गुणवत्ता एकदम निम्न कोटि की है, किसी का कोई संचालन नहीं है। पिछले दिनों अगस्त माह में जब मुख्य सचिव महोदय दौरे पर गये थे उन्होंने सचिव नगर विकास को भेजकर उसको दिखवाया भी था। रसूलाबाद में जो एक शमशान घाट है और स्नान घाट भी है। उसके सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 500 मीटर हाईएस्ट फ्लड लेवल के बीच में कोई निर्माण नहीं होगा। एकदम घाट के किनारे करीब 10 मीटर पर एक सुलभ शौचालय बनाया गया है और उसकी कास्ट आयी है नौ लाख अड़तालिस हजार रूपये। उसमें डेढ़ कमरे भी नहीं हैं और नौ लाख अड़तालिस हजार रुपये में वह सुलभ शौचालय बना है। इसी प्रकार और भी जो सुलभ शौचालय हैं, उनकी जो दरें है, बहुत ज्यादा हैं और गुणवत्ताविहीन हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि वह इस मामले में बहुत ही सख्त माने जाते है और जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होता है उस पर तत्काल कार्यवाही करते हैं तो जो 2011–12 में सुलभ शौचालय बनाये गये हैं क्या उनकी विस्तृत जांच करायेंगे और जांच कराकर दोषी पाये जाने पर उन लोगों को कठोर से कठोर दण्ड देंगे ? क्योंकि इस समय फोटोप्रिन्ट और सफाई अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसमें शौचालय के निर्माण के लिए विशेष योजना और विशेष विज्ञापन प्रकाशन हो रहा है। यह उससे पहले की योजनाएं हैं तो क्या यह योजनायें भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जायेगी ? केन्द्र सरकार वाली, फोटोप्रिन्ट सफाई अभियान योजना को बाद में करेंगे लेकिन जो यह बन गया है क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर फोटो कार्यवाही तो ऐसे लोगों द्वारा होती है जिनका फोटो अच्छा आता है, सबका तो फोटो भी अच्छा नहीं आता। जहां तक शौचालयों का प्रश्न है तो आपकी जानकारी में है कि जांच हुई थी और जो शौचालय नहीं बने थे, बड़ी मात्रा में उन शौचालयों का पैसा भी निकल गया था, उसमें कई अधिकारियों के वारेन्ट भी निकले हुए हैं और कुछ गिरफ्तार भी हो गये हैं और कई लापता हैं, उनकी तलाश जारी है और जो भी कमी होगी, उसे भी पूरा करेंगे और अगर आप चाहें आपकी तरफ से यह सुझाव है कि यदि ऐसी जगह शौचालय, जिसका पाल्यूशन नदी में हो रहा है, ऐसे शौचालय को हटाया भी जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महाना जी, गंगा के किनारे आप भी हैं इसलिए आप भी पूछ सकते हैं।

श्री सतीश महाना–

आपसे निवेदन है कि प्रश्न को देखने का कश्ट करें। इसमें मान्यवर, यह प्रश्न किया गया है कि राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण में कौन–कौन सी परियोजनायें वर्तमान में प्रदेश में लागू है ? मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप भी कहते थे कि अधिकारी उत्तर नहीं देते हैं ? याद इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कुछ लाभ मिले। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कानपुर महानगर में कौन–कौन सी परियोजनायें स्वीकृत हैं, जिनपर काम कर रहे हैं और 6 योजनायें जो आपने भेजी हैं उसमें से मान्यवर, कौन–कौन सी काम कर रही है ? अगर बताने का कष्ट करेंगे तो कुछ लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसकी सूचना है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

है तो मान्यवर, मगर कानपुर की नहीं है और क्या सभी कुछ कानपुर ले लेगा ? एक साहब मेरठ गये, तहमद बांधे हुए थे और चने खा रहे थे। ट्रेन से उतरे, मेरठ में दाखिल हुए देखा अब्दुल्ला बिल्डिंग, वह भी मुसलमान थे तो अच्छा लगा और आगे बढ़े देखा अब्दुल्ला पिक्चर हाल और अच्छा लगा फिर और आगे बढ़े अब्दुल्ला पार्क और अच्छा लगा, फिर और आगे बढ़े अब्दुल्ला कोल्ड स्टोरेज। उन्होंने कहा अब्दुल्ला तुम्हारी तो धाक बनी हुई है और आगे बढ़े अब्दुल्ला काम्पलेक्स अब उन्हें थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया और एक मन्जिल वह आयी कि तहमद के नीचे कुछ था भी नहीं और तहमद निकाल कर आसमान की तरफ उछाल कर कहा ले यह भी अब्दुल्ला को ही देदे। तो यह कानपुर अब्दुल्ला हो गया है। (हसीं)

(श्री सतीश महाना के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसे इतना सीरियसली मत लें।

श्री अध्यक्ष–

बस ठीक है, यह कह रहे है तो हो जायेगा।

श्री सतीश महाना– मान्यवर, यह बात इन्होंने कहीं हैं जहां सुनाई कानपुर दिया है और लागू रामपुर में होती है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि कानपुर की जानकारी नहीं है, उस दिन भी नहीं थी। मान्यवर, पूरे प्रदेश के बारे में ही बता दें कि 06 कौन–कौन सी परियोजनाएं है। 06 ही तो हैं, मान्यवर, कोई सौ, दो सौ, पांच सौ तो हैं नहीं। 06 कौन–कौन सी परियोजनाएं हैं, वह बता दें। रामपुर है या नहीं, यह भी बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक सीवरेज योजना–डिस्ट्रिक कानपुर, दूसरी फर्स्ट और सेकेण्ड–कानपुर तथा तीसरी है–कानपुर, चौथी–वाराणसी, पांचवी–वाराणसी, छठवीं–इलाहाबाद, मगर देखिए बेसब्री का आलम यह है कि खुद से नहीं कह रहे हैं कि वहां के लिए यह हैं। मान्यवर, यह भाजपाई ही कर सकते हैं और कोई नहीं।

प्रदेश में बैंकों में पुराने चेकों की क्लोजिंग करके ग्राहकों के बैंक खातों में से रकम निकालने के मामलों की जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करना

'06–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैंकों में पुराने चेकों की क्लोजिंग करके ग्राहकों के बैंक खातों से रकम निकालने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह के अपराधों को रोकने के लिये कोई कारगर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में बैकों में पुराने चेकों की क्लोनिंग करके ग्राहकों के बैंक खातों से रकम निकालने के सम्बन्ध में विगत वर्ष में कुल 12 मामलों में अभियोग पंजीकृत किये गये हैं, जिसमें संलिप्त 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 01 अभियुक्त द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है।

इस प्रकार के अपराधों के संज्ञान में आने पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न सं0–6, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप नहीं हैं।

लखनऊ शहर में सड़कों के किनारे बने फुटपाथ को उखाड़कर लगाये जा रहे टाइल्स लगाकर पेड़ों को काटे जाने से जल स्तर की समस्या के देखते हुए पुनः पेड़ लगाया जाना

'07–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में सड़कों के किनारे बने फुटपाथों को उखाड़कर ईंट के स्थान पर टाइल्स लगाये जा रहे हैं और उन पर लगे पेड़ों को काट दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि इसके फलस्वरूप भू–गर्भ जल का स्तर नीचे चला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर पुनः पेड़ लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न सं0–7, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी नहीं हैं।

प्रदेश में जनवरी, 2014 से अगस्त, 2014 तक व्यापारियों से मांगी जा रही रंगदारी से सम्बन्धित आपराधिक उत्पीड़न रोके जाने की मांग

'08–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2014 से अगस्त, 2014 तक कितने व्यापारियों से रंगदारी की मांग आपराधिक तत्वों द्वारा की गयी है तथा इस दौरान कितने व्यापारियों की हत्या की गयी है ? क्या सरकार व्यापारियों से रंगदारी मांगने, हत्या तथा अन्य उत्पीड़न रोकने के लिये व्यापारी सेल का गठन करेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में जनवरी, 2014 से अगस्त, 2014 तक व्यापारियों से रंगदारी मांगने तथा उनकी हत्या किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है :–

दिनांक 1–1–14 से 31–8–14 तक आपराधिक तत्वों द्वारा व्यापारियों से रंगदारी मांगे जाने सम्बन्धी मामलों में पंजीकृत किये गये अभियोगों की कुल संख्या–99 है।	दिनांक 1–1–14 से 31–8–14 तक आपराधिक तत्वों द्वारा व्यापारियों की हत्या के कुल अभियोगों की संख्या–11 है।

व्यापारियों से रंगदारी मांगने, हत्या तथा अन्य उत्पीड़न रोकने हेतु प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं जनपद के पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठक की जाती है तथा बैठक में प्राप्त शिकायतों का समुचित निराकरण किया जाता है। व्यापारियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की दृष्टि से नियमित रूप से पुलिस गश्त एवं पेट्रोलिंग की जाती है। भयादोहन के प्रकरण जब भी प्रकाश में आते हैं तो संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न सं0–8, श्री सुरेश राणा जी।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया और आपका संरक्षण भी चाहता हूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी प्रदेश का आइना कहीं न कहीं उसका उद्योग है, उसका विकास है, अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो निवेश का तो प्रश्न ही नहीं उठता और इस उत्तर पर मैं इस ओर आपका ध्यान चाहता हूं, आठ महीने में 11 हत्याएं हुई हैं, यह जवाब में आया है, वसूली को ले करके। यह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि सरकार व्यापारियों की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। मैं शामली जनपद से आता हूं, अकेले शामली का एक कस्बा कैराना है, माननीय अध्यक्ष जी, अकेले कैराना में 08 दिनों में 03 व्यापारियों की हत्या रंगदारी के लिए हुई और यदि आस–पास के 4–5 जनपदों की बात करूं तो सैकड़ों घटनाएं तो मेरे संज्ञान में हैं। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना भी चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं, मान्यवर, एक तो जो अधिकारी मुकदमा पंजीकृत नहीं करते हैं या उसका प्रारूप बदल कर पंजीकृत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और दूसरा प्रश्न यह है कि अभी उत्तर में जो बात आई है कि व्यापारियों से रंगदारी मांगने, हत्या तथा अन्य उत्पीड़न रोकने हेतु प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं जनपद के पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठक की जाती है। मान्यवर, मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं, मेरी जानकारी में कोई बैठक पिछले एक साल में नहीं हुई है, यह जो बैठकें नहीं हो रही हैं क्या सरकार गंभीरता से उस पर कोई कार्यवाही करेगी और तीसरा मेरा इसमें सीधा–सीधा प्रश्न यह था कि व्यापारियों की हत्या, उत्पीड़न और रंगदारी रोकने के लिए, जैसे और तमाम प्रकार के आयोग हैं, क्या ऐसा कोई व्यापारी आयोग या सेल का गठन सरकार करेगी, जिससे व्यापारी को कोई हेल्प नम्बर मिल जाए ताकि कोई उत्पीड़न सम्बन्धी, कोई रंगदारी सम्बन्धी मामला हो, कई बार व्यापारी रंगदारी की घटना के सम्बन्ध में यह भी सोचता है कि कोई और दूसरा खतरा न आ जाए तो क्या सरकार ऐसा कोई हेल्प लाइन नम्बर जारी करेगी या कोई ऐसा आयोग गठन करेगी, जिससे व्यापारी का संरक्षण हो सके और व्यापारी सुरक्षित रह सके।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जहां तक चिन्ता का प्रश्न है, माननीय सदस्य का, व्यापारियों को पूरा संरक्षण दिया जाता है, प्रदेश की पूरी जनता को दिया जाता है, व्यापारी उसका एक अहम् हिस्सा है और उनका संरक्षण भी उसी तरह है जिस तरह दूसरे नागरिकों का है। बल्कि उनका ज्यादा है। क्योंकि उनसे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का रिश्ता जुड़ा हुआ है और आपके यहां जो तीन हत्यायें हुयी हैं जाहिर है कि हत्या को किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता । लेकिन उनको तुरन्त 05 लाख का मुआवजा दिया गया है और बीमा योजना के तहत जो दिया जा सकता था वह भी दिया गया है इसकी रोकथाम के लिए पूरी कोशिश जारी है और जाहिर है कि जहां अपराध होता है अगर सरकार की तरफ से कोई शिथिलता बरती जाये किसी मुल्जिम को किसी तरह का सहयोग मिले तो यह सरकार की नाकामी भी है और नामुनासिब भी है और ऐसे सभी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुयी हैं और पुलिस इस मामले में बिल्कुल सतर्क है और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बिजनौर जिले के अंदर व्यापारियों से जुड़ा हुआ विषय है। लगभग एक वर्ष हो गया। धामपुर में एक विपिन कुमार मेडिकल व्यापारी था। लगभग एक वर्ष हो गया हत्या करने वाले लोगों की जानकारी नहीं मिल पायी कि किसने हत्या की। अभी एक महीने के अंदर धामपुर में एक प्रोफेसर की दूसरी हत्या हुयी है। अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक महीने में भी अभी तक वह केस नहीं खुल पाया है वह कब तक खुल पाएगा और अगर नहीं खुल पाया है तो जो अधिकारी निष्क्रियता बरत रहे हैं क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी और उन दोनों केसों को क्या सरकार खुलवायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कोई शक नहीं है कि हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है। अगर कहीं शिथिलता है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह सजा भी पाएगा और यह भी देखा जाएगा कि गिरफ्तारियां अब तक क्यों नहीं हुयी हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब कोई प्रश्न नहीं। अब हो गया। अब बैठ जाओ राणा साहब, पूरा जवाब आ गया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित किये जाने की मांग

'9–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ0 प्र0 में हाईकोर्ट की बेंच स्थापना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त बेंच की स्थापना हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1–संघ सूची की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, वहां के लोग, वहां के वकील वर्षों से वहां हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग करते चले आ रहे हैं और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो शब्दों में बात खत्म करके इतिश्री कर दी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कई बार यहां मुद्दा उठा है। यह संवेदशील मुद्दा है। मा0 मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। यह आनरेबिल सदन अपने हृदय पर हाथ रखकर देखे कि जब शाखा लखनऊ में बनायी जा सकती है तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, अलीगढ़, नोएडा, हाथरस, फिरोजाबाद के लोग जो यहां आने के लिए बुड्ढे हो गये कई तो रास्ते में मर गये। सात–आठ सौ किमी0 दूरी पड़ती है। तो क्या यह संवेदनशील सदन अगर संवेदना रखता है तो क्या यह न्यायसंगत बात नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, पिछली सरकार में भी यह प्रस्ताव हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

यह केन्द्र सरकार के अधीन आता है संवैधानिक व्यवस्था में। तो यहां सवाल क्यों उठा रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

केन्द्र के अधीन जरूर आता है। लेकिन अगर यह सरकार संवेदनशील है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाने का प्रस्ताव यह सरकार करे।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई मामला ही नहीं है। यह कान्स्टिट्यूशनल मैटर है और जब आप केन्द्र में थे तो आपको उसी समय करा लेना चाहिए था। अब बैठिये।

श्री दलवीर सिंह–

सरकार प्रस्ताव करने के लिए राजी है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मा0 सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें पूरी स्थिति मालूम है। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 07 नवम्बर, 1994 को पत्र लिखा और उसके बाद दूसरा पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 05 सितम्बर, 1995 को भारत सरकार को लिखा। दरअसल जसवंत सिंह आयोग बना तीन सदस्यीय समिति बनी और जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया जाएगा इसका अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है। यह अधिकार केंद्र सरकार का है और यह बात सही है कि एक लंबे अर्से तक आप केंद्र सरकार में रहे। उस वक्त यह मामला हल हो सकता था। अब केन्द्र सरकार में आपके पड़ोसी लोग हैं अब हल हो सकता है। प्रदेश सरकार को उस दिन का इंतजार है जब केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की घोषणा करेगी। बनवा हम देंगे। जैसे ही घोषणा होगी यथाशीघ्र वहां खण्डपीठ कायम कर दी जाएगी।

श्री दलवीर सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर प्रस्ताव करने के लिए सरकार की कोई सहमति है। कोई इच्छाशक्ति है या सरकार कोई प्रोग्राम बना रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के हाउस की बात नहीं है। जसवंत सिंह आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है। खण्डपीठ बनाने के पक्ष में दे चुका है और यह रिपोर्ट भारत सरकार में पेंडिंग पड़ी हुयी है। उस पर सिर्फ अमल होना है। सदन के बाद ही यह सब कुछ हुआ है। बार–बार सदन से यह मांग उठी है। आप जो कह रहे हैं उससे पूरा सदन सहमत है कि खण्डपीठ होनी चाहिए। लेकिन जसवंत सिंह आयोग के आगे तो बिलकुल लाचार हैं।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, इस सरकार की प्रस्ताव करने की इच्छाशक्ति नहीं है कि वहां पर खण्डपीठ बने। मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(तत्पश्चात् राष्ट्रीय लोक दल के श्री दलवीर सिंह अपने दल सहित सदन से बहिगर्मन कर गये।)

प्रदेश के जिन जनपदों में बाल कल्याण समितियों तथा चिल्ड्रेन होमर (बाल गृहों) के निर्माण तथा बच्चों की देख–रेख में हुई अनियमितता की शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

'10–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन–किन जनपदों में बाल कल्याण समितियों तथा चिल्ड्रेन होम (बाल गृहों) का निर्माण किया गया है एवं इनमें बच्चों को क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन चिल्ड्रेन होम में कितने बच्चे रह रहे हैं तथा बाल कल्याण केन्द्रों तक

इन चिन्ड्रेन होम के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें पहुंची हैं ? उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)–

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा–29 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है।

जनपद लखनऊ, ललितपुर, वाराणसी, देवरिया, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, आजमगढ़ एवं मेरठ में 'राजकीय बाल गृह (बालक)' संचालित है।

जनपद बलिया, इलाहाबाद, लखनऊ तथा कानपुर नगर में 'राजकीय बाल गृह (बालिका)' संचालित है।

जनपद लखनऊ, आगरा, रामपुर, इलाहाबाद तथा मथुरा में 'राजकीय बाल गृह (शिशु)' संचालित है।

प्रदेश के समस्त राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु) में निराश्रित बच्चों के आवास, भरण पोषण, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित उपरिलिखित 18 राजकीय बाल गृहों (बालक/बालिका/शिशु) में कुल 249 बालक, 236 बालिका एवं 97 शिशु कुल 582 बच्चे आवासित हैं। शिकायतों के सम्बन्ध में जिलों से सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के जवाब में देखिये पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 582 बच्चे बालगृहों में हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर खोमचे और ठेले, रेवड़ी की दुकानें, लोगों की दुकानें और लोगों के घरों की संख्या गिन ली जाये तो यह 582 संख्या एक महानगर क्या एक छोटे से नगर में मिल जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी स्कीम के प्रति गंभीर है या नहीं। क्योंकि 582 की संख्या यह बताती है कि इस योजना को सिर्फ कागज पर चलाया जा रहा है। जमीनी धरातल पर यह योजना लागू नहीं है। दूसरी चीज कि क्या गोरखपुर में राजकीय बाल गृह खोला जाएगा अथवा नहीं ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा आई0सी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत उक्त धनराशि 01 अप्रैल, 2014 से बढ़ाते हुए, भारत सरकार में अभी एक बैठक की गयी थी। उसमें प्रस्ताव रखे गये थे और हम लोगों ने वहां पर भेज दिया है। जिसमें जनपद इलाहाबाद, मऊ, रायबरेली, बिजनौर, शाहजहांपुर एवं वाराणसी में नवीन भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में आई0सी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में जनपद इलाहाबाद एवं मऊ में निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु जनपद मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, हरदोई एवं बरेली हेतु आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

भारत सरकार में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में बैठक दिनांक 07–11–2014 को की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश की नगर पंचायतों को नगर निगम का दर्जा देने व नये निकायों के गठन से सम्बन्धित

'11–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की जनता को और बेहतर सुविधायें मुहैय्या कराने के लिये बड़े कस्बों को निकाय का दर्जा देने, पुराने निकायों का सीमा विस्तार करने, नगर पंचायतों को नगर निगम का दर्जा देने एवं नये निकायों के गठन पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 'थ' में किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिये अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिये नगर पंचायत, किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये नगर पालिका परिषद् और किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये नगर निगम का गठन किये जाने का प्राविधान है। तद्नुसार उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 में भी प्राविधान है। उक्त प्राविधानों के अनुसार नगर निकायों के गठन, उच्चीकरण और उनके सीमा विस्तार के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ते अपराध एवं बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए थानों में पुलिस बल बढ़ाने विषयक

'12–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते अपराध एवं बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए थानों में पुलिस की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासनादेश संख्या–4147/6–पु–1–08–120/2008, दिनांक 11–12–2008 द्वारा 1,51,726 आरक्षी, 39 आरक्षी चालक, 40,824 मुख्य आरक्षी, 7,145 उप निरीक्षक, 1,017 निरीक्षक, 3,152 कम्प्यूटर आपरेटर तथा 118 चतुर्थ श्रेणी सहित कुल 2,04,021 अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार पदों का सृजन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2012 से अगस्त, 2014 तक गुमशुदा लड़के/लड़कियों की दर्ज शिकायत के शीघ्र बरामदगी हेतु तंत्र को विकसित करने विषयक

'13–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 से अगस्त, 2014 तक कितने बच्चों तथा लड़कियों के गायब होने की सूचना सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में दर्ज की गयी और क्या उनमें से

तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मानव तस्करी की घटनायें भी हैं ? क्या सरकार गुमशुदा लड़के/लड़कियों की शीघ्र बरामदगी हेतु कोई तंत्र विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्ष 2012 से अगस्त, 2014 तक गुमशुदा बच्चों तथा लड़कियों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	गायब हुए बच्चों/बच्चियों की संख्या			गायब हुए बच्चों/बच्चियों के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की संख्या			बरामद हुए बच्चों/बच्चियों की संख्या			गायब हुए बच्चों/बच्चियों के मानव तस्करी के पंजीकृत अभियोगों की संख्या		
	बच्चे	बच्चियों	कुल योग	बच्चे	बच्चियों	कुल योग	बच्चे	बच्चियों	कुल योग	बच्चे	बच्चियों	कुल योग
2012	2309	1511	3820	707	593	1300	2001	1299	3300	1	0	1
2013	2111	1464	3575	1216	985	2201	1749	1126	2875	0	2	2
1–1–14 से 31–8–14 तक	958	691	1649	846	646	1492	576	417	993	0	1	1

गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी हेतु समय–समय पर जनपद प्रभारियों को समुचित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित डी0सी0आर0बी0 के अन्तर्गत गुमशुदा बच्चों सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन कर बच्चों के बरामदगी का प्रयास किया जाता है तथा जनपदों में थाना स्तर पर गुमशुदा बच्चों की शिकायत को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाता है एवं थाने के समस्त कर्मियों को इस ओर संवेदनशील बनाने व शिकायतकर्ता के साथ शिष्ट और भद्र व्यवहार किये जाने एवं उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये हैं।

गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से 'ट्रैक चाइल्ड' नाम से एक साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस साफ्टवेयर में जनपद के डी0सी0आर0बी0 प्रभारियों द्वारा गुमशुदा बच्चों की जानकारी सीधे अपलोड करते हुए इसका पूर्णरूपेण उपयोग किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छात्राओं तथा बच्चियों की स्कूली व सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा दल के गठन का प्रकरण

'14–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में छात्राओं तथा बच्चियों की स्कूली व सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु विशेष सुरक्षा दल का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छात्राओं तथा बच्चियों की स्कूलों व सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पूर्व में निर्गत निर्देशों के आलोक में विस्तृत निर्देश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 29–01–2012 को समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को दिये गये हैं। इसी क्रम में वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों/बच्चियों की सुरक्षा व ऐसे वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु वाहनों की सघन चेकिंग परिवहन विभाग, ट्रान्सपोर्ट्स, विभिन्न स्कूलों एवं नागरिकों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने एवं वाहन स्वामियों, वाहन चालकों, बच्चों, अभिभावकों और स्कूल स्तर पर जागरूकता हेतु प्रशिक्षण चलाये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2–छात्राओं तथा बच्चियों की सुरक्षा हेतु पूर्व में निर्गत किये गये निर्देशों का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जिसके अपेक्षित परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। फलस्वरूप उपरोक्त कार्य हेतु विशेष सुरक्षा दल के गठन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रदेश में यमुना नदी के किनारे अवस्थित बड़े शहरों की गन्दी नालियों, सीवरों का पानी तथा औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले गन्दे पानी को नदी में गिरने से रोकने की प्रभावी कार्य योजना बनाया जाना

'15–श्री प्रदीप माथुर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यमुना नदी के किनारे अवस्थित बड़े शहरों की गंदी नालियों, सीवरों का पानी तथा औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरेयुक्त रंगीन गन्दे पानी को यमुना नदी में गिरने से रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। यमुना नदी के किनारे अवस्थित बड़े शहरों के घरेलू गन्दे पानी को यमुना नदी में गिरने से रोकने हेतु योजनायें बनायी गयी हैं, जिसके अन्तर्गत कुल 599.49 एम0एल0डी0 की सीवेज शोधन क्षमता विकसित की गयी है।

यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनायी गयी तथा निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाटों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0सं0	नगर का नाम	वर्ष 2010 में कुल आंकलित सीवेज (एम0एल0डी0 में)	उपलब्ध सीवेज शोधन संयंत्र (एम0एल0डी0 में)	निर्माणाधीन सीवेज शोधन संयंत्र (एम0एल0डी0 में)
1	सहारनपुर	77.00	38.00	–
2	मुजफ्फनगर	60.00	32.50	–
3	गाजियाबाद	394.42	159.00	458.00
4	नोएडा	150.00	168.00	50.00
5	वृन्दावन	06.00	4.50	8.00
6	मथुरा	38.00	30.79	16.00
7	आगरा	224.12	156.25	60.00
8	फिरोजाबाद	42.00	–	70.00
9	इटावा	28.65	10.45	13.50
	योग	1020.19	599.49	675.50

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यमुना नदी में गन्दे नालियों/सीवरों का पानी सीधे गिरने से रोकने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 599.49 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र उपलब्ध है तथा 675.50 एम0एल0डी0 क्षमता की सीवरेज निर्माणाधीन हैं, जिसके क्रियान्वित होने पर सीवरेज योजनाओं के शोधन की कुल क्षमता 1274.99 एम0एल0डी0 उपलब्ध हो जायेगी जो वर्ष 2010 में आंकलित उत्पादित सीवेज 1020.19 एम0एल0डी0 के सापेक्ष पर्याप्त है।

यमुना व उसकी सहायक नदियों में औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले अधिक प्रदूषणकारी 174 उद्योगों को चिन्हित किया गया, जिनमें 33 उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द हैं। शेष सभी 141 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित व संचालित हैं। किन्तु इनमें से 04 उद्योगों के द्वारा निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह बोर्ड के मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर उनके विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के कारण गम्भीरतम् अपराधों में संलिप्त अपराधियों को दण्ड न मिल पाने से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने विषयक मांग

01–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के कारण गम्भीरतम अपराधों में संलिप्त अपराधियों को लम्बे समय तक दण्ड न मिल पाने से अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर नियंत्रण हेतु पूरे प्रदेश में पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में ''गम्भीरतम् अपराधों'' में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिये कुल 80 फास्ट ट्रैक कोर्ट सृजित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2014 से 25 अगस्त, 2014 तक हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

02–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 अप्रैल, 2014 से 25 अगस्त, 2014 तक प्रदेश में कितनी आपराधिक घटनायें घटित हुई हैं ? क्या सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्ष 2014 में दिनांक 01–04–2014 से 31–8–2014 तक हत्या–2270, लूट–1616, डकैती–108, फिरौती हेतु अपहरण–34 एवं बलात्कार–1498 अपराध घटित हुए हैं।

प्रदेश में अपराधों की रोकथाम हेतु हत्या के प्रकरणों में विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आक्रमक पक्ष के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0 गैंगेस्टर ऐक्ट एवं गुण्डा ऐक्ट के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय से सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है। अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद कानपुर में आधुनिक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है तथा जनपद लखनऊ, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

इसी प्रकार लूट, डकैती के अपराधों के विगत 05 वर्षों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गतिविधियों की जानकारी कर अपराध में संलिप्त होने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। गम्भीर अपराधों की विवेचना में गुणवत्तापरक एवं गति प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों में क्राइम ब्रांच सेल का गठन किया गया है।

अपराधों के रोकथाम हेतु हीनियश क्राइम मानीटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर तैयार कराया गया है। जिसमें उक्त अपराधों एवं अपराधियों का विवरण आन लाइन उपलब्ध है, जिसका जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा मुख्यालय स्तर पर भी समय–समय पर पर्यवेक्षण किया जाता है।

अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त एवं पिकेट लगाया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन महिला सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु 1090 वूमेन पावर लाइन विकसित किया गया है इसके अभिनव प्रयास से इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के फोन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील एम0एम0एस0 एवं अवांछनीय फोन काल्स किये जाने की घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी जनपदों मे एन्टी आब्सीन काल सेल का गठन किया गया है। महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में महिला थानों की स्थापना कर थानों पर महिला थानाध्यक्षों की नियुक्ति की गयी है।

वर्तमान में महिलाओं के प्रति होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध फौरी तौर पर कार्यवाही किये जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के अधीन एक ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' का भी गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0–53, जोन–2 श्यामनगर में बड़ा पार्क के निकट क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने के सम्बन्ध में

03–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 जोन–2, श्याम नगर में बड़ा पार्क के निकट के0 डी0ए0 कालोनी देहली सुजानपुर में म0 नं0–113 से 128 तक सड़क न होने से आवागमन में परेशानी के दृष्टिगत क्या सरकार उक्त स्थान पर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वार्ड 53 श्याम नगर में बड़ा पार्क के निकट केडीए देहली सुजानपुर में म0नं0–113 से 128 तक की सड़क वर्तमान में सी0सी0 सड़क है जो कि ठीक हालत में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विज्ञापन नीति के अन्तर्गत इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर तथा आगरा नगर निगमों को विज्ञापन से वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में हुई आय की जानकारी

04–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में क्या कोई विज्ञापन नीति नगर निगमों, नगर पालिकाओं के लिये बनाई गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और क्यों उसमें सड़कों पर लगने वाले गैर सरकारी होर्डिंग्स को भी शामिल किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर तथा आगरा नगर निगमों को विज्ञापन से वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में कितनी आय हुई है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–541 तथा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 में उपविधि बनाने का पूर्णतः अधिकार नगर निगम तथा नगर पालिका को दिया गया है। राज्य सरकार नगर निगम अधिनियम की धारा–206 व अधिनियम के अन्य विधिक उपबन्धों का पालन किये बिना सभी निगम के लिये नियम नहीं बना सकती है।

इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर तथा आगरा नगर निगमों को विज्ञापन से वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि लाख रुपये में)

निकाय	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
इलाहाबाद	68.35	48.64	56.82	64.10
वाराणसी	189.02	138.41	172.39	220.03
लखनऊ	317.23	320.00	264.65	320.90
कानपुर	277.17	178.26	286.93	405.70
आगरा	354.64	246.20	270.34	276.25

लखनऊ शहर में पेयजल संकट दूर करने के लिये सरकार के प्रयासों की जानकारी तथा शहर के विधायकों की स्वीकृति पर पेयजल समस्या निदान हेतु हैण्डपम्प का लगाया जाना

05–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में गम्भीर पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये विधायकों द्वारा क्षेत्रीय विधान मण्डल विकास निधि (विधायक निधि) से समरसेबुल पानी की टंकी लगाने पर लखनऊ नगर निगम द्वारा

रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार लखनऊ शहर में सुविधाओं से वंचित/अविकसित मोहल्लों, निर्धन बस्तियों में पेयजल संकट दूर करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार शहर के विधायकों की संस्तुति पर सौ हैण्डपम्प लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

शहर में काफी संख्या में सबमर्सिबल पम्प, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प लगने से भूजल का स्तर बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने के परिप्रेक्ष्य में मा0 कार्यकारिणी समिति, नगर निगम द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया गया कि सांसद, विधायक निधि एवं अन्य निधियों के अन्तर्गत सबमर्सिल पम्प/हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु नगर निगम कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य नहीं करेगी। यदि कहीं भी पानी की गम्भीर समस्या है और नगर निगम द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में सबमर्सिबल/हैण्डपम्प लगाया जाना है, तो इसके लिये क्षेत्रीय पार्षद/महापौर/नगर आयुक्त की लिखित संस्तुति पर ही सबमर्सिबल पम्प/हैण्डपम्प लगाये जायें तथा जिस संस्था द्वारा सबमर्सिबल/हैण्डपम्प स्थापित कराये जायें, उसी संस्था द्वारा उसका रख–रखाव भी किया जाय।

लखनऊ शहर में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु जलकल विभाग द्वारा अपने सीमित संसाधनों से 17 नये ट्यूबवेल लगाये गये, 23 पुराने ट्यूबवेल की रि–बोरिंग करायी गयी, जहां–जहां पेयजल संकट की सूचना मिली वहां मिनी ट्यूबवेल लगाकर पेयजल समस्या का निदान किया गया। इसके अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति हेतु तृतीय जलकल की क्षमता 40 एम0एल0डी0 से बढ़ाकर 80 एम0एल0डी0 की गयी तथा द्वितीय जलकल लखनऊ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 15 नये ट्यूबवेल ऐसे स्थलों पर लगाये गये जहां पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं थी।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी मा0 सदस्यों को 100–100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गयी है जिसमें प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र सम्मिलित हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शहरी क्षेत्रों में इसका वित्त पोषण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद से किया जाना निर्देशित है। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शहरी क्षेत्रों के लिये कुल 3236 हैण्डपम्पों (अनुमानित लागत रु0 1846.06 लाख) का प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

06–श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में स्थापित करायी गयी वीरांगना झलकारी बाई एवं लोक माता अहिल्या बाई होल्कर की क्षतिग्रस्त मूर्तियों को ठीक कराकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक

07–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद द्वारा मो0 राम लीला चौराहा, कोटला रोड में स्थापित महाराजा अग्रसेन, मो0 आगरा गेट बस स्टैण्ड के सामने स्थापित करायी गयी वीरांगना झलकारी बाई जी एवं लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की पैडस्टल सहित क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–444435, 444436 एवं 233785, दिनांक 06–09–2013 अधिशासी अधिकारी, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। राम लीला चौराहे पर महाराजा अग्रसेन प्रतिमा क्षतिग्रस्त नहीं है। पेडेस्टल सौन्दर्यीकरण एवं छतरी निर्माण का कार्य महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समिति द्वारा करा दिया गया है तथा कोटला रोड पर स्थित लोक माता अहिल्याबाई होल्कर एवं आगरा गेट बस स्टैण्ड के सामने विरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्षतिग्रस्त नहीं है। समय–समय पर राष्ट्रीय पर्व एवं जयंतियों पर उपरोक्त प्रतिमाओं की साफ–सफाई, मरम्मत व रंगाई–पुताई आदि का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाता है। कोटला रोड पर लोक माता अहिल्या बाई होल्कर की बेरीकेटिंग ग्रिल क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसका सुधार करा दिया गया है, संदर्भगत पत्रों के प्राप्त होने से पूर्व मरम्मत व रंगाई–पुताई का कार्य कराया गया था। चूंकि पेडेस्टल आदि की टूट–फूट ट्रैफिक अधिक होने के कारण होती रहती है जिसकी मरम्मत एवं रंगाई–पुताई का कार्य नगर निगम द्वारा करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका फिरोजाबाद स्थित अवर जलाशयों पर सी0डब्लू0आर0 की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

08–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका फिरोजाबाद के सीमान्तर्गत हिमायूंपुर, नाला के किनारे ग्रीन स्टेट कालोनी गणेश नगर, नगला पचिया, नगला विष्णु, मंडी समिति के पीछे एवं दीदामई स्थित अवर जलाशयों पर सी0डब्लू0आर0 की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–233786, 233800, 233793, 233794, 233795 एवं 233789, दिनांक 07–09–2013 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को करने हेतु निकाय के पत्र दिनांक 16–9–2013 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा योजना की अनुमानित लागत का प्राक्कलन शासन को पत्र दिनांक 14–8–2014 द्वारा प्रेषित किया गया है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53 के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने के दौरान ध्वस्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

09–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 के अन्तर्गत भवानी नगर में म0 नं0–9 पुरुषोत्तम सिंह चौहान के घर से म0 नं0–29 श्री राम किशोर सिंह के मकान तक सीवर लाइन डालने के दौरान ध्वस्त सड़क की मरम्मत न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कार्य करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड जोन–2 की क्षतिग्रस्त गलियों की मरम्मत कराया जाना

10–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड जोन–2 कंचन विहार के सामने सी ब्लाक श्याम नगर में एस0पी0 सिंह के सामने तथा गन्ना बाबा पार्क के चारों और किनारे पर की सड़क न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एस0पी0 सिंह के सामने के कार्य का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। मन्ना बाबा पार्क के चारों ओर सड़क बनाने के कार्य का आगणन स्वीकृत है जो निविदा प्रक्रिया में है। स्वीकृतोपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में खसरा नम्बर 794 एवं आल सेन्ट स्कूल के पीछे चुंगी नं0–5 के पास एजाज रोड पर नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जा का प्रकरण

11–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की नगर पालिका परिषद् शेर कोट के अन्तर्गत वी0ए0 खसरा नं0–794, 795 तथा ऑलसेन्ट स्कूल

के पीछे चुंगी नं0–5 के पास एजाज रोड पर नगर पालिका की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

खसरा नम्बर 794 एवं आल सेन्ट स्कूल के पीछे चुंगी नं0–5 के पास एजाज रोड पर नगर पालिका की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 795 पालिका की भूमि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के राजाजीपुरम् से मवइया होते हुए कालीदास मार्ग तक बहते हैदर कैनाल को ढक कर आवागमन हेतु सड़क व फुटपाथ का निर्माण कराने विषयक

12–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में राजाजीपुरम् से मवइया होते हुए कालीदास मार्ग तक बहने वाले हैदर कैनाल नाले को ढक कर आवागमन हेतु सड़क एवं फुटपाथ का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नाले को ढक कर डिवाइडरयुक्त मार्ग निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन बी0ओ0टी0 के आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत तीन वर्षों से जाली नोटों के पकड़े गये मामलों में हुई कार्यवाही की जानकारी

13–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में जाली नोटों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं तथा कितने मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई ? क्या यह सही है कि ऐसे मामलों में पुलिस तफतीश में लापरवाही के कारण अभियुक्तों की जमानतें भी होती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गम्भीर मामलों की पैरवी ठीक ढंग से करने का उपाय सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विगत तीन वर्षों में जाली नोटों के वर्षवार प्रकरण निम्नवत् हैं :–

वर्ष 2011–143 प्रकरण

वर्ष 2012–130 प्रकरण

वर्ष 2013–96 प्रकरण

वर्ष 2011 में कुल 143 प्रकरण में 39 भिन्न–भिन्न प्रकरणों में कुल 71 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2012 में 130 प्रकरण में 77 भिन्न–भिन्न प्रकरणों में कुल 129 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी तथा वर्ष 2013 में 96 प्रकरण में 68 भिन्न–भिन्न प्रकरणों में कुल 118 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–53 भवानी नगर में पी0एल0डी0 इण्टर कालेज के पास एवं बालाजी मन्दिर द्वार म0नं0 143 के सामने सीवर लाइन डालने सम्बन्धी

14–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 भवानी नगर में पी0एल0डी0 इण्टर कालेज के पास एवं बालाजी मंदिर द्वार म0 नं0–143 के सामने सीवर लाइन नहीं डाली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–53 भवानी नगर में पी0एल0डी0 इण्टर कालेज के पास एवं बालाजी मन्दिर द्वार म0नं0 143 के सामने सीवर लाइन बिछाने की कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा पूर्ण कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–53 मंगला विहार के म0नं0 243 से चौधरी ट्रेडर्स तक जोन–2 वार्ड–77 सी ब्लाक श्यामनगर से सिद्धेश्वर पार्क के चारों ओर से होते हुए रेलवे लाइन तक सड़क निर्माण का प्रकरण

15–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 मंगला विहार के म0 नं0–243 से चौधरी ट्रेडर्स तक जोन–2 वार्ड–77 सी ब्लाक श्याम नगर में सिद्धेश्वर पार्क के चारों ओर एवं मिश्रा मेडिकल स्टोर के बगल से रेलवे लाइन तक सड़क न होने से आवागमन में लोगों को

परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सड़क निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र म0नं0 243 से चौधरी ट्रेडर्स तक की सड़क सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश सं0 05097/9–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–05–01 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरांत ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। वार्ड 77 सी ब्लाक श्याम नगर में सिद्धेश्वर पार्क के दो तरफ की सड़क मरम्मत का आगणन तैयार किया गया है तथा सिद्धेश्वर पार्क के दो तरफ व मिश्रा मेडिकल स्टोर के बगल से रेलवे लाइन तक का कार्य पृथक स्वीकृत आगणन निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–77 जोन–2 सी ब्लाक में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

16–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 77 जोन–2, सी ब्लाक श्याम नगर में प्रज्ञालेन वाली सड़क, सिद्धनाथ चौराहे से मेरी जीसस रोड तक एवं एल0आई0सी0 पार्क के पास बी0पी0 शुक्ला के सामने की सड़क न होने से जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वार्ड 77 सी ब्लाक श्याम नगर प्रज्ञालेन वाली सड़क का आगणन स्वीकृत होकर निविदा प्रक्रिया में है, सिद्धनाथ चौराहे से मेरी जीसस रोड के कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका है। सड़क पर जल निगम द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य अवशेष होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, सीवर लाइन पड़ने के उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा। एल0आई0सी0 पार्क के पास वी0पी0 शुक्ला के सामने की सड़क की मरम्मत/निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

17–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

खविस्तीर्णता एवं एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

प्रदेश में विगत वर्ष 2013–2014 में यश भारती पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा होने के बावजूद अभी तक यश भारती पुरस्कार न दिये जाने के कारणों की जानकारी

18–डा0 अरुण कुमार–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत वर्ष 2013–14 में कितने लोगों को यश भारती पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी ? क्या उन महान विभूतियों को अब तक यश भारती पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी–

जी हां। विगत वर्ष 2013–14 में 22 महानुभावों को यश भारती सम्मान से सम्मानित किये जाने हेतु चयनित किया गया।

जी हां।

विगत वित्तीय वर्ष 2013–14 में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण यश भारती सम्मान हेतु चयनित महानुभावों को सम्मानित नहीं किया जा सका। उक्त वर्ष 2013–14 में चयनित 22 महानुभावों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में सम्मानित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रदेश में चल रहे फर्जी चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा जमाकर्ताओं की भारी रकम हड़प लिये जाने के प्रकरणों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानकारी

19–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रहे फर्जी चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा जमाकर्ताओं की भारी रकम हड़प लिये जाने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फर्जी चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टी स्थलों के विकसित करने से सम्बन्धित सरकार की योजना

20–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न अन्त्येष्टि स्थलों का समुचित रख–रखाव/विकास किये जाने हेतु राज्य सेक्टर में ''शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास'' नाम से एक योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 100.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान है। योजना के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–5251/नौ–5–2014–329सा/14, दिनांक 09–09–2014 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों की अवस्थापना सुविधायें सुधारने हेतु सरकार की कार्ययोजना की जानकारी

21–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों की अवस्थापना सुविधायें सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश के महानगरों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान में राज्य वित्त आयोग व 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के सहयोग से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति, सीवरेज, कूड़ा प्रबन्धन, जल निकासी की विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त एन0जी0आर0बी0ए0, झील संरक्षण एवं नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से वित्त पोषित नगरीय सीवरेज, नगरीय पेयजल, नगरीय सड़क सुधार योजना व नगरीय जल निकासी, सड़क सुधार, आदर्श नगर योजना तथा नया सवेरा नगर विकास योजना से निकायों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु नई योजना प्रारम्भ की गयी है। महानगरों में अवस्थापना विकास निधि से भी आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी तथा उनका लाभ उन बस्तियों में रहने वालों तक पहुंच रहा अथवा नहीं की जानकारी

22–श्री सतीश महाना–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के अन्तर्गत कौन–कौन सी योजनायें संचालित हैं ? उक्त योजनाओं का लाभ नगरीय क्षेत्र की बस्तियों में रहने वाले कितने लोगों को मिल रहा है ? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में जिला नगरीय विकास

अभिकरण (डूडा) द्वारा शहरी क्षेत्रों (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत सीमान्तर्गत) में अवस्थित मलिन/अविकसित बस्तियों में निवासित निर्धन पात्र लाभार्थियों के कल्याण हेतु निम्नवत् योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

1. आसरा योजना (निःशुल्क आवास उपलब्धता हेतु)।
2. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण।
3. नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों के विकास हेतु एस0सी0एस0पी0 मद में राज्य बजट से अनुदान।
4. बैटरी चालित निःशुल्क रिक्शा योजना।
5. राजीव आवास योजना।
6. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (एन0यू0एल0एम0)।
7. राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की रामपुर नगर में स्थापना।
8. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना।

उपर्युक्त समस्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के नगरीय निकायों में निवासित पात्र निर्धन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में आच्छादित कर आवंटित बजट सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का पूर्ण विवरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कक्ष में देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोरी समाज के इष्ट देव श्री संतकबीर के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने विषयक मुख्य मंत्री को पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोरी समाज में इष्टदेव श्री संत कबीर के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10471046/2014, दिनांक 1–7–2014 प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में तीन थाने खोलने हेतु शासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक भेजा गया मुख्य मंत्री को पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में तीन थाने खोलने हेतु शासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/ वि0को0/एम0/पी0जी0–10438036/2014, दिनांक 3–3–2014 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह गोपन एवं कारागार विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मेरठ में थाना पल्लवपुरम एवं गंगानगर की स्थापना के सम्बन्ध में बजट व्यवस्था/विधायी अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। थाना रोहटा की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–428पी/छः–पु0–6–13–300(24)/2002 दिनांक 20 अक्टूबर 2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अन्तर्गत आने वाली तीन ग्राम पंचायत मैना, मौजपुर व मैना कलन्दरगढ़ी व ई0जू0 मैजपुर को मिलाकर एक नगर पंचायत बनाने का प्रकरण

25–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत गठित किये जाने का क्या मानक है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अन्तर्गत आने वाले तीन ग्राम पंचायत मैना, मौजपुर व मैना कलन्दरगढ़ी व ई0जू0 मौजपुर को मिलाकर एक नगर पंचायत बनाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासनदेश संख्या–2934/9–1–2014–426सा/14 दिनांक 28–08–2014 द्वारा नगर पंचायत के सृजन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 28–08–2014 के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में–20,000 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए किन्तु नगर पंचायत हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत मैना, मौजपुर व मैना कलन्दरगढ़ी व ई0जू0 मौजपुर की जनसंख्या 20,000 से कम लगभग 13013 है, जो निर्धारित मानक से कम है।

2. प्रस्तावित क्षेत्र की आय 30,000/– या उससे अधिक होनी चाहिए किन्तु नगर पंचायत हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत मैना, मौजपुर व मैना कलन्दरगढ़ी व ई0जू0 मौजपुर की औसत आय 30,000 से कम है जो निर्धारित मानक से कम है।

3. प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए किन्तु नगर पंचायत हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत मैना, मौजपुर व मैना कलन्दरगढ़ी व ई0जू0 मौजपुर के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य नहीं है।

4. प्रस्तावित क्षेत्र में शहरी गुण यथा–पुलिस थाना, विकास खण्ड आस–पास व्यवसाय केन्द्र, स्कूल, हैल्थ सेन्टर बिजली, बैंक, पोस्ट आफिस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, किन्तु नगर पंचायत हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत मैना, मौजपुर व मैना कलन्दरगढ़ी व ई0जू0 मौजपुर में पुलिस थाना नहीं है पुलिस चौकी है। विकास खण्ड, बिजली घर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मैना, मौजपुर व मैना कलन्दरगढ़ी व ई0जू0 मौजपुर नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28–08–2014 द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते।

उपरोक्तानुसार।

26–डा0 अरूण कुमार–

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

मेरठ महानगर में जाम एवं अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान विषयक भेजा गया मुख्य मंत्री को पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में जाम एवं अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10438721/2014, दिनांक 5–3–2014 प्रमुख सचिव/ सचिव, गृह, गोपन एवं कारागार विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र के संदर्भ में अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में प्लाट नं0–20 रूस्तम बिहार कालोनी निकट सीपेट इन्स्टीट्यूट नादरगंज, लखनऊ में 500 मीटर सड़क बनाये जाने का प्रकरण

28–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 19 जून, 2013 का पत्र संलग्न सहित जो कि प्लाट नं0–20 रुस्तम विहार कालोनी निकट सीपेट इन्स्टीट्यूट नादरगंज, लखनऊ में 500 मी0 सड़क बनाये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जनहित को देखते हुए प्रश्नगत सड़क का निर्माण कराये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त कार्य को कराने का आगणन तैयार कर लिया गया है।

प्रश्नगत प्राइवेट क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाइजर/सोसाइटी व विकास प्राधिकरण का है। नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से जनहित में कार्य कराये जाते हैं।

धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने का प्रकरण

29–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सभी थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पुलिस विभाग द्वारा सभी थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के मेयर/अध्यक्ष तथा पार्षद/सभासदों की वेतन/मानदेय दिये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

30–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के मेयर/अध्यक्ष तथा पार्षद/सभासदों को वेतन/मानदेय देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 में स्थानीय निकायों के मेयर/अध्यक्ष तथा पार्षद/सभासदों को वेतन/मानदेय दिये जाने की कोई व्यवस्था नही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल निगम के द्वारा अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की लिखित एवं मौखिक परीक्षा सम्पन्न होने के बाद उनके परिणाम घोषित करना

31–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल निगम के द्वारा अपर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के लिये विज्ञापित विज्ञापन संख्या–157/सी0ई0/ए–2–1/कैम्प/13, दिनांक 03–10–13 के तहत जिसकी लिखित एवं मौखिक परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है, का परिणाम घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित विज्ञापन दिनांक 03–10–2013 द्वारा अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के 642 पदों पर नियुक्ति के द्वितीय चरण हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की 644 पदों पर नियुक्ति के प्रथम चरण में आरक्षण नियमों का पूर्णतयाः अनुपालन नहीं हो सका था, जिसके संज्ञान में आने पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चरण की नियुक्तियों में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय चरण की नियुक्ति का परिणाम घोषित किया जायेगा।

बदायूं रेप काण्ड में पालीग्राफ टेस्ट का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के और भी गैंगरेप एवं रेप की घटनाओं की जांच पालीग्राफ टेस्ट से कराने की मांग

32–श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं रेप काण्ड में पालीग्राफ टेस्ट का संज्ञान लेते हुए क्या सरकार प्रदेश के और भी गैंगरेप एवं रेप की घटनाओं की सत्यता की जांच कराने के लिये पालीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बदायूं के थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0–295/14 धारा–376 डी/302/120बी/366क/116क भादवि एवं 3/4 पास्को अधिनियम की जिला पुलिस की प्रारम्भिक विवेचना के पश्चात् उक्त की विवेचना सी0बी0आई0 को स्थानांतरित की गयी। विवेचना के दौरान सी0बी0आई0 द्वारा सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अपराधी एवं पीड़ित पक्ष का पालीग्राफ टेस्ट कराया गया था। यह उल्लेखनीय है कि जिन अपराधों में घटना क्रम स्पष्ट नहीं होता है एवं संदिग्धता परिलक्षित होती है उन प्रकरणों में विवेचक मा0 न्यायालय के आदेश से वादी/प्रतिवादी की सहमति के आधार पर घटना की सत्यता ज्ञात करने के लिए पालीग्राफ टेस्ट करा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विभिन्न विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में लगे हैण्डपम्पों में दूषित पानी जो पीने योग्य नहीं है की जांच कराकर चेतावनी देकर शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना

33–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में स्थापित इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के पानी की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद अलीगढ़ में कितने हैण्ड पम्पों का पानी पीने योग्य नहीं है ? क्या सरकार दूषित पानी देने वाले हैण्डपम्पों को चिन्हित कराकर उनसे पानी न पीने की चेतावनी सम्बन्धी दिशा–निर्देश लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद अलीगढ़ के विभिन्न विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में क्रमश/ 413 नग एवं 95 नग अर्थात कुल 508 नग हैण्डपम्पों का जल पीने योग्न नहीं पाया गया है।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत दिनांक 30–03–2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 32,602 नग हैण्डपम्प तथा शहरी क्षेत्रों में 4,960 नग हैण्डपम्प अर्थात कुल 37,562 नग इण्डिया मार्क–ष हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराने के पश्चात् जल नमूनों की जांचोपरान्त उचित गुणवत्ता के जल नमूने पाये जाने के पश्चात् हैण्डपम्प का जल प्रयोग करने हेतु जनता को उपलब्ध कराया जाता है। असफल जल नमूने के श्रोत वाले हैण्डपम्प पर क्रास का निशान लाल रंग के पेन्ट से अंकित कर, हैण्डपम्प के जल को पीने हेतु प्रयोग न करने के लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनता को अवगत करा दिया जाता है। जनपद अलीगढ़ के विभिन्न विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल 508 नग हैण्डपम्पों का जल पीने योग्य नहीं पाया गया, जिनका चिन्हीकरण किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत लखनऊ नगर की स्टार्म वाटर ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट–द्वितीय के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजन के अनुसार कार्य का पूर्ण कराया जाना

34–श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय सोमवार के अता0प्र0सं0–31 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास

प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना में रिमोटसेंसिंग के पीछे जानकी प्लाजा रोड (जो पहाड़पुर–सहारा स्टेट रोड में जाकर मिलती है) पर बने नाले के स्थान पर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0जी0आई0 कार्यान्श के अन्तर्गत लखनऊ नगर की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना के ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट द्वितीय के अन्तर्गत उक्त कार्य जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था ? यदि हां, तो उक्त कार्य अब तक पूर्ण न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत लखनऊ नगर की स्टार्म वाटर ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट–द्वितीय के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 77 जोन–2, श्यामनगर ई ब्लाक स्थित रेडसन दवा फैक्ट्री से दुर्गा मन्दिर पी0ए0सी0 गेट तक सड़क निर्माण का प्रकरण

35–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 77 जोन–2, श्यामनगर ई ब्लाक स्थित रेडसन दवा फैक्ट्री से दुर्गा मन्दिर पी0ए0सी0 गेट तक सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत सड़क सुधार का कार्य निविदा प्रक्रिया में है। निविदा प्राप्त होने के उपरान्त उक्त स्थल का कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पेयजल एवं सीवर योजना के साथ–साथ कूड़ा निस्तारण का प्रोजेक्ट चालू करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–104440610/2014, प्रश्नकर्ता का पत्र एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पेयजल एवं सीवर योजना के साथ–साथ कूड़ा निस्तारण का प्रोजेक्ट चालू कराने विषयक प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग को दिनांक 07–03–2014 को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

अपेक्षानुसार प्रकरण में प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ तथा निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र संख्या–127 सीएम/नौ–5–2014–116 सीएम/2014, दिनांक 21–05–2014 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नाबालिकों द्वारा किये जा रहे यौन अपराध को रोकने हेतु सरकार की ठोस नीति बनाये जाने की मांग

37–श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नाबालिगों द्वारा किये जा रहे यौन अपराध को रोकने हेतु सरकार कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में नाबालिकों द्वारा किये जा रहे अपराधों को रोकने के लिए जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000 एवं जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) रूल्स, 2007 में किये गये प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है एवं तत्पश्चात् मा0 बोर्ड के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत म0नं0–2/77 से लेकर 2/94 रजनीखण्ड शारदानहर योजना लखनऊ की सड़क व 2/80 रजनीखण्ड की पार्क व क्षति ग्रस्त सड़क मरम्मत कराये जाने सम्बन्धित

38–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत म0 नं0–2/77 से लेकर 2/94 रजनीखण्ड शारदानगर योजना

लखनऊ की सड़क व 2/80 रजनीखण्ड का पार्क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं पार्क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

शारदा नगर वार्ड के अन्तर्गत रजनीखण्ड में मकान संख्या–2/77 से 2/94 तक नाली व सड़क कार्य, पार्क के सुधार, सबमर्सिवल व सुविधाओं हेतु आगणन तैयार किये गये हैं जो स्वीकृति प्रक्रिया में हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

39–श्री रामवीर उपाध्याय–

ख्मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर में स्थापित अत्याधुनिक जी0पी0एस0 वाहनों युक्त पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत पुलिस कन्ट्रोल की तरह जिला फिरोजाबाद में कन्ट्रोल रूम स्थापित कराने विषयक

40–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर में स्थापित अत्याधुनिक जी0पी0एस0 वाहनों युक्त पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत पुलिस कंट्रोल के समान पुलिस कन्ट्रोल रूम जनपद फिरोजाबाद में सरकार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं कानून–व्यवस्था की आवश्यकता के दृष्टिगत भारत सरकार के सहयोग से आधुनिकीकरण योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के चार महानगरों (गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं इलाहाबाद) में अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के शेष सभी जनपदों में, जिनमें फिरोजाबाद भी सम्मिलित है, पुलिस कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था है।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–53 जोन–2 देहली सुजानपुर में म0नं0–163 डी ब्लाक के सामने की मुख्य सड़क तथा सतवारी रोड पर सड़क न होने से सड़क बनाने की मांग

41–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 जोन–2, देहली सुजानपुर में म0 नं0–163 डी ब्लाक के सामने की मुख्य सड़क तथा सतवारी रोड पर म0 नं0–70 से म0 नं0–63 होते हुए म0 नं0–1253 तक सड़क न होने से जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या–05097 / 9–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाईटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास के दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड 53 के अन्तर्गत भवानी नगर में 20 एवं 25 फिट रोड पर योगेन्द्र प्रकाश गुप्ता से मनोरमा लोधी के मकान तक सीवर लाइन डाले जाने की मांग

42–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–53 के अन्तर्गत भवानी नगर में 20 एवं 25 फिट रोड पर योगेन्द्र प्रकाश गुप्ता से मनोरमा लोधी के मकान तक सीवर लाइन न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53 के अन्तर्गत भवानी नगर में 20 एवं 25 फिट रोड पर योगेन्द्र प्रकाश गुप्ता से मनोरमा लोधी के मकान तक सीवर लाइन डालने का कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–53 जोन–2 श्यामनगर में डी ब्लाक म0नं0–159 से 114 तक की सड़क के निर्माण का प्रकरण

43–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 जोन–2, श्यामनगर में डी ब्लाक म0 नं0–159 से 114 तक की सड़क न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र वार्ड–53 श्याम नगर डी ब्लाक म0नं0 159 से 114 डी ब्लाक तक का कार्य निविदा प्रक्रिया में है। निविदा प्राप्त होने के उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–53 के भवानी नगर में म0नं0–9 पुरुषोत्तम सिंह चौहान के घर से म0नं0–29 श्रीराम किशोर सिंह के मकान तक सीवर लाइन पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत किया जाना

44–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के भवानी नगर में म0 नं0–9 पुरुषोत्तम सिंह चौहान के घर से म0 नं0–29 श्रीराम किशोर सिंह के मकान तक सीवर लाइन डालने के दौरान ध्वस्त सड़क का पुनः निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53 के अन्तर्गत भवानी नगर में म0नं0–9 पुरुषोत्तम सिंह चौहान के घर से म0नं0–29 श्रीराम किशोर सिंह के मकान तक सीवर बिछाने के उपरान्त काटी गई सी0सी0 रोड के पुर्नस्थापना का कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–53 जोन–2 श्यामनगर में डी ब्लाक म0नं0–125 से 129 तक सड़क निर्माण की मांग

45–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 जोन–2, श्यामनगर में डी ब्लाक म0 नं0–125 से 129 तक सड़क न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र वार्ड–53 श्यामनगर डी ब्लाक म0नं0–125 से 129 तक डी ब्लाक का कार्य निविदा प्रक्रिया में है। निविदा प्राप्त होने के उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

46–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

खदिनांक 14–11–2014 को अता0प्र0सं0–143 द्वारा उत्तरित,

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड लखनऊ में सड़कें/मेनहोल क्षतिग्रस्त होने के कारण ठीक/मरम्मत कराने की मांग

47–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड, लखनऊ में सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जिससे नागरिकों को

आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त सड़कों पर बने मेनहोल के ढक्कन गायब हैं जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेनहोल पर ढक्कन लगाने का निर्देश देगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड कालोनी विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा निर्मित/विकसित की जा रही है। उक्त खण्ड नगर निगम द्वारा अनुरक्षण हेतु हस्तगत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अवशेष विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकास प्राधिकरण, लखनऊ का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुरादनगर द्वारा गलत ढंग से ई0ओ0 के पद पर रहते हुए किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री सुदेश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29–8–2012, दिनांक 24–12–2012 व पत्रांक 456/रालोद/वि0म0द0/2013 जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुरादनगर द्वारा गलत ढंग से ई0ओ0 के पद पर लम्बे समय से रहते हुए भ्रष्टाचार किये जाने आदि के सम्बन्ध में है। मा0 मुख्य मंत्री जी आपको एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

निदेशक, स्थानीय निकाय को जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 10–11–2014 को प्राप्त हो गयी है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में निर्धन बेघरबार तथा अत्यधिक कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा आसरा आवास में मकान दिये जाने का प्रकरण

49–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में निर्धन बेघरबार तथा अत्यधिक कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदेश सरकार ने आसरा आवास में मकान देने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या इन्हें आवास दिलाने के लिये आवेदन फार्म भरवाये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन आवेदन फार्मों की जांच प्रारम्भ करा दी गई है तथा जांच में पात्र पाये गये लोगों को

आवास आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आसरा आवास योजना में कितने आवास बनाये जाने हैं तथा सभी पात्रों को आवास कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच अभी प्रारम्भ नहीं हुई है।

आसरा आवास योजना में 780 आवासों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के सापेक्ष डी0पी0आर0 तैयार कराकर कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को प्रथम किश्त के रूप में रू0 1141.39 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आवेदन–पत्रों का जांच कार्य पूर्ण होते ही निर्मित होने वाले आवासों के सापेक्ष पात्र आवेदकों को आवास आवंटन की कार्यवाही यथा प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित गोमती नदी का पानी शहर के नागरिकों के लिए पीने योग्य बनाने की मांग

50–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित गोमती नदी का पानी शहर के नागरिकों के पीने योग्य है ? यदि नहीं, तो सरकार गोमती के पानी को पीने योग्य बनाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

गोमती नदी का कच्चा जल पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त के दृष्टिगत लखनऊ नगर स्थित गोमती नदी के कच्चे जल का उपयोग जलकल विभाग नगर निगम, लखनऊ द्वारा ऐशबाग एवं बालागंज स्थित जलकलों के माध्यम से शुद्धिकरण करने के पश्चात् शहर के पुराने क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत शहर के नालों पर पाइप डालते हुए पाटकर नालों के ऊपर सी0सी0 रोड, पार्किंग व बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में दिया गया पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत शहर के नालों को पाइप लाइन डालते हुए पाटकर नालों के ऊपर सी0सी0 रोड, पार्किंग व बस स्टाप बनाने विषयक दर्ज मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर

संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10110308 / 2014, दिनांक– 7–3–2014 प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास दिनांक– 07–03–2014 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत शहर के नालों को पाइप लाइन डालते हुए पाटकर नालों के ऊपर सी0सी0 रोड, पार्किंग व बस स्टाप बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पार्कों के रख–रखाव हेतु कर्मचारियों की वार्ड संख्या तय करने हेतु दिया गया पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

52–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पार्कों के रख–रखाव हेतु कर्मचारियों की वार्ड संख्या तय करने विषयक दर्ज मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10440315 / 2014, दिनांक 7–3–2014 प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम मेरठ के अन्तर्गत कुल 394 पार्क हैं तथा इनके रख–रखाव हेतु मालियों की संख्या 23 हैं। नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के दृष्टिगत नगर निगम अपने सीमित संसाधनों से पार्कों के रख–रखाव का कार्य करता आ रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ नगर निगम के वार्ड संख्या–4 के पलहेड़ा में स्थित शमशान भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने हेतु दिया गया पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

53–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम के वार्ड सं0–4 के पलहेड़ा में स्थित शमशान भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या–सी0 एम0 / वि0 को0 / एम0 / पी0 जी0–10440319 / 2014, दिनांक 7–3–2014 प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

शासन के पत्र संख्या–112 सी0एम0/नौ–7–14–17(मेरठ)/14, दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को निर्देशित कर दिया गया है। उक्त सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थान में स्थित शमशान भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के सम्बन्ध में कार्यवाही जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

54–श्री रोशन लाल वर्मा ग्राम्य विकास–

ख्ले मंगलवार के अता0प्र0सं0–154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश की नई घोषित नगर पंचायत रूधौली, जनपद बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का प्रकरण

55–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नई घोषित नगर पंचायत रूधौली, जनपद बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नव सृजित नगर पंचायत रूधौली बाजार जनपद बस्ती के अवस्थापना विकास कार्यों हेतु जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा धनराशि की मांग की गई है, जो परीक्षणाधीन है।

जनपद मेरठ में वाहनों की नियमित चेकिंग एवं प्रभावी कार्यवाही करने विषयक दिया गया पत्र कृत कार्यवाही की मांग

56–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में वाहनों की नियमित चेकिंग एवं प्रभावी कार्यवाही करने विषयक दर्ज मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10437840/2014, दिनांक 3–3–2014 प्रमुख सचिव/ सचिव, गृह एवं गोपन, कारागार विभाग को 03–03–2014 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य के उक्त पत्र दिनांक 03–03–2014 पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके संदर्भ में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद मेरठ से प्राप्त आख्यानुसार थाना सदर बाजार स्थित सोतीगंज के कबाड़ियों की दुकानों पर समय–समय पर चैकिंग/दबिश दी जाती है तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तत्काल तत्परता से कार्यवाही की जाती है। पुलिस की संरक्षता में

सोतीगंज में वाहनों के कटान का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। चैकिंग के दौरान जिन दुकानों पर अनियमितता प्रदर्शित होती है, तो तत्काल अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। पुलिस द्वारा सोतीगंज में हाल में दबिश के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

1–दिनांक 16–3–2014 को व0उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार द्वारा अभियुक्तगण राहुल 2–विपिन कुमार जायसवाल, 3–आदिल निवासी सोतीगंज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 मोटर साईकिल, 2 स्कूटी व एक चेसिस फ्रेम बरामद किया। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 140/14 धारा 411,414 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एच0सी0पी0 श्री कुंवरपाल सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–44 दिनांक 24–7–2014 प्रेषित किया गया। उक्त तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी हैं।

(2)–दिनांक 31–5–2014 को थाना सदर बाजार पर चौकी प्रभारी सोतीगंज उ0नि0 श्री रणसिंह द्वारा अभियुक्त 1–अलताफ 2–आफताब 3–असलम 4–अनस निवासीगण मोहल्ला सोतीगंज, थाना सदर बाजार, मेरठ के विरुद्ध मु0अ0सं0 242/12 धारा 414 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह द्वारा की जा रही है। अभियोग में एक स्विफ्ट गाड़ी अधकटी व एक खोखा बाडी सफेद रंग तथा इंजन व नम्बर प्लेट बरामद की गयी। उक्त अभियोग का सम्बन्ध नई दिल्ली के थाना मंगोलपुरी की एफ0आई0आर नं0 908/14 धारा 379 भा0दं0वि0 से पाया गया। अग्रिम विवेचना थाना मंगोलपुरी दिल्ली से की जा रही है।

3–दिनांक 20–9–2014 को उ0नि0 श्रीरणसिंह उपरोक्त द्वारा कबाड़ी इरफान उर्फ राहुल काला के गोदाम सोतीगंज में दबिश देकर अभियुक्तगण 1–इमरान उर्फ राहुल काला 2–बिलाल 3–जुनैद उर्फ युनुस 4–साजिद उर्फ नैपाली 5–मुजस्सिर 6–नईम उर्फ अल्लू को मौके से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 मोटर साईकिल अधकटी अवस्था में बाईक खोलने के उपकरण व नम्बर प्लेट आदि बरामद की गयी। मौके से अभियुक्तगण 1–पप्पी 2–मोहसीन 3–जटा फरार हो गये जिनकी गिरफ्तारी शेष है। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 466/14 धारा 414 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री तिलकचन्द द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी के अन्तर्गत माधवपुरम् में रिर्पोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना के संदर्भ में दिया गया पत्र हुई कार्यवाही की जानकारी

57–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी के अन्तर्गत माधवपुरम् में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10436630/2014, दिनांक 1–3–2014 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन विभाग को 01–03–2014 को प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश संख्या–568 पी/छः–पु–6–13–300(37)/2014, दिनांक 30–12–2013 द्वारा जनपद मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी के अन्तर्गत माधवपुरम् रिपोर्टिंग पुलिस चौकी एवं थाना नौचन्दी के अन्तर्गत शास्त्रीनगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मुख्यालय कलान में नगर पंचायत बनाने का प्रकरण

58–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मुख्यालय रफियाबाद कलान को नगर पंचायत का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश सं0 दिनांक–28 अगस्त, 2014 द्वारा नगर पंचायत के सृजन हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार रफियाबाद कलान नगर पंचायत बनाने हेतु मानक पूर्ण नहीं करती है।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र–114 बिल्सी के अन्तर्गत बिल्सी को तहसील बने काफी समय व्यतीत होने के बाद बिल्सी थाने को कोतवाली का दर्जा देने की मांग

59–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र 114 बिल्सी के अन्तर्गत बिल्सी को तहसील बने 16 वर्ष बीतने के बाद भी बिल्सी थाने को कोतवाली का दर्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थाने को कोतवाली का दर्जा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–53 जोन–2, श्यामनगर में 56 भोग के पीछे वाली गली की सड़क बनाने की मांग

60–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 जोन–2, श्यामनगर में 56 भोग के पीछे वाली गली की सड़क न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत कार्य निविदा की प्रक्रिया में है। उक्त निविदा प्राप्त होने के उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–53 के अन्तर्गत रामपुरम्, सिद्धार्थनगर के म0नं0–38 से 49 तक सीवर लाइन बिछाने के उपरान्त मेन लाइन से जोड़ने एवं सड़क निर्माण कराने की मांग

61–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के अन्तर्गत रामपुरम्, सिद्धार्थनगर के म0नं0–38 से 49 तक (श्री ओम प्रकाश के खेत के पास) सीवर लाइन बिछाने के उपरान्त मेन लाइन से न जोड़ने एवं सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4, पार्ट–3 परियोजना निर्माणाधीन है। इसके अन्तर्गत कानपुर नगर के वार्ड–53 के रामपुरम्, सिद्धार्थ नगर के म0नं0 38 से 49 तक (ओम प्रकाश के खेत के पास) सीवर लाइन बिछाने के उपरान्त मेन लाइन से जोड़ने का कार्य करा दिया गया है। उक्त वर्णित सीवर लाइन कच्चे मार्ग पर बिछायी गई है और सीवर लाइन बिछाने हेतु कच्चे मार्ग पर ट्रेन्च की खुदाई की गई। सीवर लाइन बिछाने हेतु खोदे गये कच्चे मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने के उपरान्त मिट्टी का पुनर्भरण कराकर मार्ग को जन उपयोग हेतु समतल करा दिया गया है। इस प्रकार नियमानुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय पर पुलिस विजिलेंस कार्यालय की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय पर पुलिस विजिलेंस कार्यालय की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में पत्रांक–सी0एम0 / वि0को0 / एम0पी0जी0–10244915 / 2013, दिनांक 03–04–2013 पर

दर्ज है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सतर्कता अधिष्ठान का सेक्टर कार्यालय जनपद–आगरा में स्थति है। अलीगढ़ में स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचारधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत कांठ का सीमा वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार कर नगर पंचायत कांठ को नगर पालिका का दर्जा दिये जाने का प्रकरण

63–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत कांठ का सीमावृद्धि प्रस्ताव लगभग 10 वर्ष से शासन स्तर पर लम्बित है ? क्या सरकार नगर पंचायत कांठ के सीमा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर, नगर पंचायत कांठ को नगर पालिका का दर्जा दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर पंचायत, कांठ की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में वर्ष 2009 से कार्यवाही प्रचलित है।

नगर पंचायत, कांठ, मुरादाबाद के सीमा विस्तार हेतु निदेशक, पंचायती राज की अनापत्ति चाही गयी है। उक्त अनापत्ति प्राप्त होने पर नगर पंचायत का सीमा विस्तार किया जायेगा। तदोपरान्त मानक पूर्ण होने पर नगर पालिका का दर्जा दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा नवीनीकरण करने के लिये ठेकेदारों से मांगी जा रही रकम के विरुद्ध दिये गये शिकायती–पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

64–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा नवीनीकरण करने के लिये बीस–बीस हजार रुपये ठेकेदारों से मांगे जाने की लिखित शिकायत हलफनामे के द्वारा दिये जाने के बावजूद पत्र सं0–32185, दिनांक 9–7–14 को प्रस्तुत शिकायती–पत्र की जांच करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 एन–321895, दिनांक 18–08–14, जिलाधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

ठेकेदारों के शपथ–पत्र के साथ जिलाधिकारी, चन्दौली के समक्ष दिनांक 09–07–2014 को शिकायत की गयी थी। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा दिनांक 27–09–2014 को जांच की गयी थी। नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय में कुल 75 ठेकेदार हैं। जिनमें से 59 ठेकेदारों का नवीनीकरण हो चुका था। 11 ठेकेदारों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख नहीं दिये गये, जिसके कारण उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सका। जिन 05 व्यक्तियों/कम्पनियों द्वारा अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पर ठेकेदारी नवीनीकरण हेतु सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया गया है, उनके नवीनीकरण नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के न0पा0 परिषद् मुगलसराय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच नं0–3 गिधौली चन्धासी पावर हाउस के पास सड़क व नाली बनाये जाने में की गई धांधली की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

65–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के न0 पा0 परिषद्, मुगलसराय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच वार्ड नं0–3 गिधौली चन्धासी पावर हाउस के पास सड़क एवं नाली तीस लाख रुपये से बनाये जाने एवं पालिका में कोटेशन से निर्माण विभाग में कराये गये कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर जांच करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–321889, दिनांक 26–8–14 मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी, सदर चन्दौली द्वारा की गयी। वार्ड नं0–3 गिधौली चन्धासी पावर हाउस के पास सड़क एवं नाली के निर्माण विषयक आगणन की जांच लोक निर्माण विभाग से कराये जाने पर उक्त कार्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप कार्य नहीं कराया गया।

पालिका में कोटेशन से कराये गये कार्यों में से कुल 06 कार्यों का लोक निर्माण विभाग के साथ रेण्डम भौतिक निरीक्षण कराया गया। भौतिक सत्यापन से स्पष्ट हुआ कि मौके पर कार्य हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के न0पा0 परिषद् मुगलसराय में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

66–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के न0 पा0 परिषद्, मुगलसराय में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–321890, दिनांक 26–8–14 मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी, सदर, चन्दौली द्वारा की गयी। प्राप्त जांच आख्यानुसार नगर पालिका के अध्यक्ष/वार्ड सभासद द्वारा आवश्यक कार्यों को कराये जाने हेतु नगर पालिका परिषद् बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सं0–6 के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्य सम्पादन के उपरान्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच लोक निर्माण विभाग से कराने के उपरान्त एवं क्षेत्रीय सभासद की संस्तुति के आधार पर कार्यों का भुगतान किया गया।

दिनांक 08–11–2014 को कोटेशन द्वारा कराये गये कार्यों में कुछ 06 कार्यों का रेण्डम भौतिक निरीक्षण किया गया। भौतिक सत्यापन के अनुसार मौके पर कार्य हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के कस्बा पनियरा एवं परतावल की नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने का प्रकरण

67–श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पनियरा, जनपद महराजगंज में कस्बा पनियरा एवं परतावल में मार्केट होने के नाते अधिक विदेशी पूंजी कलेक्ट करने वाला एरिया है परन्तु नगर पंचायत न होने के कारण से यहां क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासनादेश संख्या–2934/9–1–2014–426सा/14 दिनांक 28–08–2014 द्वारा नगर पंचायत के सृजन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है। शासनादेश दिनांक 28–08–2014 के अनुसार जिलाधिकारी महराजगंज से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं मानक पूर्ण होने की स्थिति में जनपद महराजगंज के कस्बा पनियरा एवं परतावल को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के अन्तर्गत विश्व बैंक कालोनी बर्रा में एच ब्लाक एवं आई ब्लाक में मेन रोड बनाये जाने उपरान्त सड़क के किनारे नाली एवं फुटपाथ का निर्माण कराये जाने विषयक

68–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत विश्व बैंक कालोनी बर्रा में एच ब्लाक एवं आई ब्लाक के बीच की मेन रोड बनने के बाद क्या सरकार सड़क किनारे नाली एवं फुटपाथ का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र वार्ड 62 विश्व बैंक कालोनी बर्रा में एच–ब्लाक एवं आई–ब्लाक के बीच मेन रोड बनने के बाद सड़क के किनारे नाली एवं फुटपाथ निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम के विकास कार्य वित्तीय वर्ष, 2014–15 के अन्तर्गत वर्तमान में इस जोन/वार्ड में स्वीकृत बजट में धन उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

69–श्री रामवीर उपाध्याय–

ग्राम्य विकास ख्ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0–17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद लखनऊ के वार्ड मुरलीनगर, मोहल्ला बरफखाना 14/72 उदयगंज की सड़क पर किये गये जबरन कब्जे को हटाया जाना

70–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयुक्त लखनऊ को सम्बोधित भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0–092/2014, दिनांक 06–08–2014, जो जनपद लखनऊ के वार्ड मुरली नगर, मोहल्ला बरफखाना 14/72, उदयगंज में 20 फिट चौड़ी सड़क पर जबरन कब्जा कर स्थानीय निवासियों का आवागमन अवरुद्ध किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण नजूल भूमि/इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि का है जिसके अभिलेख विकास प्राधिकरण, लखनऊ में उपलब्ध है। मूलपत्र कार्यवाही हेतु विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन की नगरपालिका कालपी द्वारा किये गये व्यापक/फर्जी अनिमितताओं की उच्चस्तरीय जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

71–श्रीमती उमाकान्ती–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कालपी, जनपद जालौन की नगर पालिका कालपी द्वारा किये गये व्यापक/फर्जी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र दिनांक 20–05–2013 एवं दिनांक 04–06–2013, उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण की जांच की जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–13/1/97/–का–1/97, दिनांक 09–05–1997 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 01–08–1997 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं तो इसके लिये कौन–कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, जालौन को निर्देशित किया गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

72–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तह0 कांठ में वर्ष 2013 में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिये भूमि आरक्षित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तह0 कांठ में अग्निकाण्ड से बचाव के लिये अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

अग्निशमन मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव पर शासन में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

73–श्रीमती उमाकान्ती–

ख्एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

आगरा शहर की सड़कों व गलियों को टोरण्ट पावर द्वारा बिना अनुमति के खोदे जाने के कारण बरसात के समय करेन्ट लगने से हुई नागरिकों व पशुओं की आकस्मिक मृत्यु को देखते हुए गड्ढों को बन्द कराने का प्रकरण

74–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर की सड़कों व गलियों को टोरण्ट पावर द्वारा बिना अनुमति के खोद दिया गया है जिसके फलस्वरूप बरसात के समय करेन्ट आने पर आये दिन नागरिकों व पशुओं की असामयिक मृत्यु हो

रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गड्ढों को पटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासनादेश संख्या ळव्छव 5079/नौ–5–2011–2 सड़क/2011, दिनांक 12–10–2011 एवं ळव्छव 873/नौ–9–14–400ज/2011, दिनांक 22–08–2014 के अनुसार रोड कटिंग की अनुमति टोरेण्ट पावर लि0 को दिनांक 10–10–2014 तक अण्डरग्राउण्ड केबिल डालने हेतु प्रदान की गयी थी, जिसके अनुसार आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत रोड कटिंग की मरम्मत का कार्य मै0 टोरेण्ट पावर को स्वयं अपने स्रोतों से कराया जाना है। बिना अनुमति के यदि किसी भी स्थान पर रोड कटिंग पायी जाती है तो, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य रुकवाने के साथ–साथ सामान भी जब्त किया जाता है तथा रेस्टोरेशन न किये जाने की शिकायत मिलने पर पत्र के माध्यम से भी टोरेण्ट पावर को तुरन्त कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं। जानमाल की हानि का दायित्व टोरेण्ट पावर लि0 का ही है।

टोरेण्ट पावर लि0 को दिनांक 10–10–2014 तक शहर में 577.18 कि0मी0 तक की रोड कटिंग की अनुमति दी गयी है, जिसमें टोरेण्ट पावर लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 383.65 कि0मी0 रोड की पुनर्स्थापना की जा चुकी है, जोकि 66.47 प्रतिशत है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा छावनी में ताजमहल के निकट स्थित महादेव नगर जंगजीत नगर एवं बसन्त बिहार आदि मोहल्लों की गलियों/नालियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण ठीक कराये जाने विषयक

75–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से दो कि0मी0 की दूरी पर स्थित महादेव नगर, जंगजीत नगर एवं बसन्त बिहार आदि मोहल्लों की गलियों में खड़न्जा व नाली क्षतिग्रस्त हैं, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लों में विकास कार्य कराते हुए खड़न्जा व नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त कालोनियां प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित की गयी है। इन कालोनियों में सम्पूर्ण विकास कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाइजरों का है। जनहित के दृष्टिगत मा0 जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर धन की उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर कार्य कराये जाते रहे हैं। वित्तीय वर्ष, 2014–15 में नगर निगम, आगरा

द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में निम्नांकित कार्य धनांक रु0 44.24 लाख के स्वीकृत कराकर कराये जा रहे हैं:–

1. ताजगंज जोन–2 कक्ष संख्या–38 बसन्त विहार में नाली व फर्श का निर्माण कार्य।

(कार्य लागत रु0 6.52 लाख)

2. ताजगंज जोन–2 कक्ष संख्या–83 महादेव नगर में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।

(कार्य लागत रु0 3.54 लाख)

3. ताजगंज जोन–2 कक्ष संख्या–73 उखर्रा जंगजीत नगर में नाली व फर्श का निर्माण कार्य।

(कार्य लागत रु0 4.95 लाख)

4. ताजगंज जोन–2 कक्ष संख्या–73 महादेव नगर में नाली मरम्मत एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।

(कार्य लागत रु0 9.97 लाख)

5. ताजगंज जोन–2 कक्ष संख्या–73 जंगजीत नगर में इण्टरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य।

(कार्य लागत रु0 4.00 लाख)

6. ताजगंज जोन–2 कक्ष संख्या–73 मोहल्ला महादेव नगर में नालियों का निर्माण कार्य।

(कार्य लागत रु0 15.25 लाख)

कार्य प्रगति पर है तथा क्रम संख्या–3, 5 व 6 के कार्यों में ठेकेदारों को कार्यादेश/इंटीमेशन जारी किया जा चुका हैं। सम्भवताः दिनांक 31–03–2015 तक कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर में ज्यादातर सभी जगहों पर पानी के नलों में पीने का गन्दा व दूषित पानी आने से जनता में फैल रही बीमारी को रोके जाने हेतु शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

76–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में ज्यादातर सभी जगहों पर पानी के नलों में पीने का गन्दा व दूषित पानी आता है जिससे जनता भयंकर बीमारियों की चपेट में आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए शहर की जनता को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। जलकल विभाग द्वारा आगरा शहर में जलापूर्ति किये गये पेयजल से किसी भी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दी गयी है।

सरकार शहर की जनता को शुद्ध पीने योग पानी उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

वर्तमान में शहर में जलापूर्ति डब्ल्यू0एच0ओ0 के मानक के अनुरूप की जा रही है। पेयजल की जांच प्रतिदिन प्रयोगशाला में की जाती है। इसके साथ–साथ समय–समय पर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ से भी पेयजल की जांच करायी जाती है। शहर में और अधिक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा गंगा जल परियोजना क्रियान्वित है, जिसके वर्ष, 2017 तक पूर्ण होने का अनुमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर की माया नगर महल वाली रोड पर बने स्पीड ब्रेकर मानक के अनुसार न बने होने से आये दिन हो रही दुर्घटना के कारण स्पीड ब्रेकर हटवाये जाने की मांग

77–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की माया नगर मोहल्ले की माया नगर महल वाली वाली रोड पर मानक के अनुरूप स्पीड ब्रेकर न बने होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है तथा नागरिक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्पीड ब्रेकर को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विजय नगर जोन के वार्ड–23 के अन्तर्गत पेयजल योजना हेतु जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक

78–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के विजयनगर जोन के वार्ड 23 के अन्तर्गत भीमनगर शान्तिनगर सैन विहार डूण्डा हैडा महाराणा विहार में पानी की लाइन न होने के कारण निवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम बोर्ड द्वारा यहां दो पानी की टंकी बनाने और नई ट्यूबवेल लगाने का इस्टीमेट बनाया गया था, परन्तु आज तक कोई कार्य यहां नहीं हुआ है ? यदि हां, तो

सरकार उक्त कालोनियों के निवासियों को जलापूर्ति कराने हेतु पानी के पाइप लाइन एवं इण्डिया मार्का–ष्ठ हैण्डपम्प स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां। उक्त कालोनियों के निवासियों को जलापूर्ति कराने हेतु पानी के पाईप लाइन की एक योजना, गाजियाबाद (सिस हिण्डन क्षेत्र पार्ट–2) पेयजल पुर्नगठन योजना की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रु0 120.26 करोड की विरचित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के द्वितीय चरण की घोषणा किये जाने पर उक्त प्रस्ताव वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को भेजा जा सकेगा।

इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समुचित मात्रा में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प पूर्व से ही अधिष्ठापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत के कैला भट्ठा इस्लाम नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित करने विषयक

79–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के कैला भट्ठा इस्लाम नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा दिनांक 23–11–2013 को हुआ था ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के कैला भट्टा इस्लामनगर में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण को प्रस्ताव नगर निगम द्वारा दिनांक 23–11–2013 को स्वीकृत किया गया है न कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य।

सामुदायिक केन्द्र के निर्माण कार्य की निविदा दिनांक 01–08–2014 को आमंत्रित की गयी थी परन्तु कार्य की कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के थाना कोतवाली पड़रौना मे दर्ज मु0अ0सं0–1987/13 के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी विषयक नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र–792/ने0वि0द0/2014, दिनांक 04–08–2014 जो कि जनपद कुशीनगर के थाना कोतवाली पड़रौना में दर्ज मु0अ0सं0–1987/13, अन्तर्गत धारा–364 ए0 आई0पी0सी0 के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

थाना–पड़रौना में दर्ज मु0अ0सं0–1987/13, अन्तर्गत धारा–364, 302, 201, भा0द0वि0 बनाम मो0नं0 7897987189 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्राइम ब्रान्च द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से अभियुक्त का पता नहीं चला जिसके कारण अन्तिम रिपोर्ट 76/14 दिनांक 31–08–2014 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

81–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र–1094/ने0वि0द0/2013, दिनांक 13–02–2013 जो कि श्रीमती अनीता देवी के परिवार को दिनांक 12–01–2013 को ग्राम प्रधान जमसड़ा आदि लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध थाना–लार पर एन0सी0आर0 नं0 08 के अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0द0वि0 एवं एन0सी0आर0 नं0–09/13, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। जांच में यह पाया गया कि दोनों पक्षों द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाये गये हैं। दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा–151, 107, 116 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के थाना कोतवाली पड़रौना के अन्तर्गत कस्बा पड़रौना के सिधुआ बाजार खिरिया टोला में दो समुदायों के बीच हुए विवाद में दर्ज मुकदमा की वापसी हेतु नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

82–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र–865/ने0वि0द0/2014, दिनांक 22–08–2014, जो कि जनपद कुशीनगर के थाना कोतवाली पडरौना के अन्तर्गत कस्बा पड़रौना के सिधुआ बाजार खिरिया टोला में दिनांक 29/30 जनवरी, 2007 को दो समुदायों के बीच हुए विवाद के कारण दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत अभियोग वापसी के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर से आख्या मांगी गयी है, जो अभी तक प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित आशियाना कालोनी के सेक्टर एम0 को जाने वाली मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पम्प के निकट खतरनाक गड्ढे को ठीक कराने की मांग

83–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आशियाना कालोनी के सेक्टर एम0 को जाने वाली मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पम्प के निकट एक खतरनाक गड्ढा है, जिसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस खतरनाक गड्ढे को ठीक करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

लखनऊ स्थित आशियाना कालोनी के सेक्टर–एम0 को जाने वाले मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पम्प के निकट के गड्ढे को ठीक करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की सीमा के अन्तर्गत चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को लूटने वाले गिरोह सक्रिय होने के कारण ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु कारगर उपायों के किये जाने की मांग

84–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की सीमान्तर्गत चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को लूटने वाले गिरोह सक्रिय है ? क्या यह सही है कि दिनांक 29 अगस्त, 2014 को कर्मभूमि एक्सप्रेस की बोगी संख्या–06461 और 16279 में डकैतों द्वारा रामपुर यार्ड के पास चेन पुलिंग द्वारा ट्रेन को रोककर तमंचे आदि हथियार के बल पर लगभग 400 से अधिक यात्रियों से लाखों का कैश ज्वैलरी मोबाइल आदि लूट लिये गये एवं विरोध करने पर मारपीट की और महिलाओं को बेइज्जत भी किया ? यदि हां, तो क्या

सरकार प्रदेश के अन्तर्गत ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

दिनांक 29–8–2014 को चलती ट्रेन नं0 12408 कर्मभूमि एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रियों से लूटपाट की घटना घटित हुई है। उक्त घटना में लगभग 400 से अधिक यात्रियों से लाखों रुपये लूटने एवं महिलाओं को बेइज्जत करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। दिनांक 29–08–2014 को चलती ट्रेन नं0 12408 कर्मभूमि एक्सप्रेस में यात्राा के दौरान श्री गुरूमीत सिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम राहुनगली, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर तथा अन्य सहयात्रियों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर तमन्चा व चाकू का भय दिखाकर रुपये व पर्स, मोबाइल आदि जबरदस्ती छीनकर बरेली के पास चेनपुलिंग कर कूदकर भाग जाने के सम्बन्ध में श्री गुरूमीत सिंह उपरोक्त द्वारा थाना जीआरपी रामपुर पर दिनांक 30–08–2014 को मु0अं0सं0 158/14 धारा 395/506 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में सुनील कुमार आदि कुल 07 अभियुक्तों में से (1) सुनील पुत्र श्रीपाल (2) किशोर पुत्र त्रिवेणी लाल (3) रामवीर पुत्र बिहारी लाल (4) पंकज पुत्र जीवनलाल (5) धर्मेन्द्र पुत्र पप्पूलाल (6) मुकेश पुत्र झनकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा सातवां अभियुक्त छोटू पुत्र जीवनलाल दिनांक 18–9–2014 को माननीय न्यायालय में हाजिर हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल रु0 15.605 नगद एवं घटना में यात्रियों से लूटे गये सभी 32 मोबाइल बरामद किये जा चुके हैं। विवेचना प्रचलित है।

ट्रेनों में अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित यात्रा हेतु निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं:–

1. रात्रिकालीन ट्रेनों में जी0आर0पी0 के द्वारा स्कोर्ट कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाती है। कतिपय ट्रेनों में आर0पी0एफ0 द्वारा स्कोर्ट लगाया जाता है।

2. ट्रेनों की आकस्मिक चेकिंग कराकर संदिग्ध एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करायी जाती है।

3. रेलवे स्टेशनों व विभिन्न ट्रेनों में हैण्डबिल/स्टीकर लगाकर व फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को सतर्क रहने हेतु सावधान किया जाता है।

4. विभिन्न रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में अपराध करने वाले अपराधियों का फोटो एलबम बनाया गया है ताकि पीड़ित यात्रियों द्वारा तत्परता से पहचान करवाकर कार्यवाही की जा सके।

5. जी0आर0पी0 द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध समय–समय पर अभियान भी चलाया जाता है।

6. ''सी0सी0टी0वी0'' द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाती है।

7. रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आवागमन के समय ''लाउडहेलर'' व रेलवे के ''पब्लिक ऐड्रस सिस्टम'' के माध्यम से प्रसारण करते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने हेतु सतर्क किया जाता है।

8. सीमावर्ती प्रदेशों से भी अपराधियों के सम्बन्ध में सूचनाओं का आदान–प्रदान करके आवश्यक कार्यवाही कराई जाती है।

9. अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

10. उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर समय–समय पर आकस्मिक चेकिंग करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

85–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ग्राम्य विकास ख्ाले मंगलवार के अता0प्र0सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के थाना लार के अन्तर्गत ग्राम सहियागढ़ की नि0 श्रीमती चम्पा देवी पत्नी स्व0 रमेश भारती ने अपने पति की हत्या की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने विषयक नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

86–श्री जय प्रकाश निषाद

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र 329/ने0वि0द0/2014, दिनांक 25–06–2014, जो जनपद देवरिया की तह0 सलेमपुर के थाना लार के अन्तर्गत ग्राम सहियागढ़ की नि0–श्रीमती चम्पा देवी पत्नी स्व0 रमेश भारती ने अपने पति की हत्या की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आवेदिका के लिखित प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर दिनांक–29–03–2014 को मु0अ0सं0–319/14, धारा–302 भा0द0वि03(2) 5 एससी/एसटी एक्ट बनाम (1) राम आश्रय यादव पुत्र चुन्नी यादव निवासी ग्राम सहियागढ़ थाना लार, जनपद देवरिया (2) शिवनरायण मल्लाह पुत्र महेश मल्लाह निवासी ग्राम–पिण्डी, थाना–लार, देवरिया पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 12–04–2014 को अभियुक्त राम आश्रय व दिनांक 25–06–2014 को अभियुक्त शिवनरायण मल्लाह को जेल भेज दिया गया है तथा विवेचनोपरान्त उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण राम आश्रय एवं शिवनरायण मल्लाह के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–69 दिनांक–04–07–2014 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तह0 सगड़ी के थाना रौनापार के ग्राम में हुई मारपीट से सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने विषयक पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

87–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को सम्बोधित नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र 815/ने0वि0द0/2014, दिनांक 06–08–2014 जो जनपद आजमगढ़ के तह0 सगड़ी के थाना रौनापार के ग्राम की नि0 तुलापुर देवन्ती देवी, पत्नी राम किशुन की पुत्री कु0 संगीता को ओम प्रकाश आदि लोगों द्वारा बुरी तरह से मारा–पीटा जाने की रिपोर्ट दर्ज कर एवं अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र पर विपक्षीगण श्री ओम प्रकाश पुत्र बलिकरन, 2–श्यामा देवी पुत्री बलिकरन, 3–कौशल्या पत्नी ओम प्रकाश, 4–आजाद पुत्र ओम प्रकाश उम्र–14 वर्ष करीब निवासीगण ग्राम–तुलापुर, थाना–रौनापार, जनपद–आजमगढ़ के विरुद्ध थाना–रौनापार पर एन0सी0आर0 नं0–101/2014 पंजीकृत कर विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 04–10–2014 को 107/116 द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के थाना लार के अन्तर्गत ग्राम जमसड़ा में इन्दिरा आवास में की गई अनियमितता करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी किये जाने विषयक नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

88–श्री जय प्रकाश निषाद

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 को सम्बोधित नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र 121/ने0वि0द0/2014, दिनांक 13–02–2014 जोकि जनपद देवरिया की तह0 सलेमपुर के थाना लार के अन्तर्गत ग्राम जमसड़ा में इन्दिरा आवास में अनियमितता करने वाले ग्राम प्रधान एवं कर्मचारीगण/अधिकारियों आदि की गिरफ्तारी किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

इस प्रकरण से संबंधित मुकदमों में कार्यवाही निम्नवत् है :–

1–मु0अ0सं0–557/2011, धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना–लार, जनपद–देवरिया में पंजीकृत अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट नं0–5 दिनांक

15–02–2012 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त अभियोग में न्यायालय द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट धारा–173 (8) सी0आर0पी0सी0 के तहत पुनर्विवेचना हेतु आदेशित होने पर अभियोग की पुनर्विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है।

2–मु0अ0सं0–1033/13, धारा–409, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना–लार, जनपद–देवरिया में आरोप–पत्र संख्या–103 दिनांक 14–08–2014 को न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है।

3–मु0अ0सं0–935/13, धारा–342, 504, 508 भा0द0वि0 थाना–लार, जनपद–देवरिया में आरोप–पत्र संख्या–14/2014 दिनांक 03 फरवरी, 2014 को न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है।

4–एन0सी0आर0–140 अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0द0वि0 थाना–लार, जनपद–देवरिया गैर दस्तनदाजी अपराध है जिसमें न्यायालय से विवेचना का आदेश प्राप्त नहीं है। दिनांक 21–11–2013 को धारा–116 जा0 फौ0 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को रु0 50,000/– की धनराशि से पाबन्द कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम् सेक्टर–डी में आवासीय कालोनी से सटे हुए उत्तर दिशा में बने सीवर प्लांट की जल निकासी जे0एनएन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अनतर्गत स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना को लागू किया जाना

89–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के जानकीपुरम् सेक्टर डी में आवासीय कालोनी से सटे हुए उत्तर दिशा में बने सीवर प्लांट में उचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात के दिनों में कालोनी के आवासों एवं सड़कों पर सीवर का गन्दा पानी भर जाता है तथा पूरे वर्ष दुर्गन्ध के कारण कालोनीवासियों का वहां रहना मुश्किल हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार क्या सीवर प्लांट के आस–पास काफी घनी आबादी होने के कारण इसे किसी अन्य निर्जन स्थान पर स्थानान्तरित करवाकर, जे0एन0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत क्षेत्र में समुचित जल निकासी की व्यवस्था कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना के अन्तर्गत टेढ़ी पुलिया से सरस्वती आश्रम रिंग रोड होते हुए मुख्य नाले की जल निकासी की व्यवस्था जून, 2013 में निर्मित कर दिये जाने के पश्चात जल निकासी की समस्या नहीं रह गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी की रानी के जन्म दिवस 19 नवम्बर पर बुन्देलखण्ड में स्थानीय अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में

90–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में अमर शहीद राजेन्द्र प्रसाद लाहिड़ी के जन्म दिवस पर स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसी तरह क्या सरकार झांसी की रानी के जन्म दिवस 19 नवम्बर पर बुन्देलखण्ड में स्थानीय अवकाश घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई भी अवकाश पूर्व में घोषित नहीं किया गया है, अपितु जिलाधिकारी जनपद गोण्डा द्वारा जनपद गोण्डा में दिनांक 17–12–2014 (बुधवार) को अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बलिदान दिवस के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

एम0जी0ओ0 1981 के अध्याय–19 के पैरा–247 में प्रतिपादित व्यवस्थानुसार स्थानीय अवकाश संबंधित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद के सीमान्तर्गत घोषित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के पुलिस कोतवाली एवं थाना पुरानी बस्ती के जर्जर भवन के निर्माण के समबन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

91–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10–6–2014 जो जनपद बस्ती के पुलिस कोतवाली एवं थाना पुरानी बस्ती के जर्जर भवन के निर्माण विषयक था, प्रमुख सचिव, गृह, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01–07–2014, जो इस विषय से सम्बन्धित है, शासन में प्राप्त हुआ है।

भवन निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली महानगर की स्लैम एरिया की कालोनी को नियमितीकरण करके वहां रह रहे निवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

92–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महानगरों की स्लैम एरिया को नियमित कालोनी बनाने की कोई कार्य

योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बरेली महानगर की स्लैम एरिया का नियमितीकरण करके वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की प्रदेश में महानगरों की स्लम एरिया को नियमित कालोनी बनाने की कोई कार्य योजना नहीं है। महानगर बरेली में नगर निगम बरेली द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप जनपद के नगरीय निकायों में अवस्थित स्लम एरिया के अन्तर्गत उपलब्ध बस्तियों में नियमित कालोनी के अनरूप सभी मूलभूत सुविधाएं यथा नाली एवं सड़क निर्माण कार्य, पथ–प्रकाश व्यवस्था व पेयजल आपूर्ति आदि सम्बन्धी सभी आवश्यक कार्य कराये गये हैं तथा वर्तमान में भी कराये जाने प्रस्तावित हैं। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में उपलब्ध धनराशि से भी स्लम बस्तियों में सड़क एवं नाली निर्माण आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

93–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

स्थले गुरूवार के अता0 प्र0सं0–98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

जनपद बस्ती के क्षेत्रान्तर्गत रुधौली के अन्तर्गत नगर पंचायत रुधौली में हो रहे जल भराव को रोकने तथा सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

94–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत नगर पंचायत रूधौली की घनी आबादी वाले कस्बे में जल जमाव व सफाई हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति एवं शासन द्वारा धन आवंटित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17–6–2014, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर पंचायत रुधौली की घनी आबादी वाले कस्बे में जल जमाव व सफाई हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति एवं शासन द्वारा बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल मा0 विधायक का पत्र दिनांक–17–06–2014 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु दिनांक–24 जून, 2014 एवं 01 जुलाई, 2014 का पत्र प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत रुधौली में पद सृजन एवं धन आवंटन के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय का प्रस्ताव दिनांक–07 नवम्बर, 2014 एवं 10 नवम्बर, 2014 को प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है।

जनपद बुलन्दशहर के नागरिकों की मांग पर स्वयं रक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स जारी कराने का प्रकरण

95–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के नागरिकों की मांग पर स्वयं की रक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा पात्र व्यक्तियों की पत्रावलियों की सम्पूर्ण औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त भी लाइसेन्स निर्गत नहीं किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार लम्बित शस्त्र लाइसेन्स जारी कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आयुध अधिनियम 1959 तथा शासन से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की नीति है, जो सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान रुप से लागू होती है। रिट याचिका संख्या–3268 (एम/बी)/2012 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 07–10–2013, 25–11–2013 एवं 06–09–2014 के अनुपालन में शस्त्र लाईसेंस की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विरासत के आधार पर अथवा अपराध पीड़ित आवेदकों के प्रकरण अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लाईसेंस निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों को छोड़कर नये शस्त्र लाईसेंस निर्गत किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक वर्तमान में भी प्रभावी है।

जनपद बुलन्दशहर में डूडा/सूडा को वर्ष 2012–2013 में शासन से प्राप्त हुई धनराशि के सम्बन्ध में खुर्जा विधायक के प्रस्ताव पर मुस्लिम, मलिन बस्तियों का विकास कराया जाना

96–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में डूडा/सूडा को सरकार द्वारा वर्ष 2012–2013 में कितनी धनराशि प्राप्त हुई व खुर्जा के क्षेत्रीय विधायक से प्रस्ताव मांगकर मुस्लिम मलिन बस्तियों के किन–किन स्थानों पर विकास कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) बुलन्दशहर से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पत्र दिनांक 05–12–2013 के माध्यम से नगर निकाय, खुर्जा के रु0 118.44 लाख के निम्नलिखित 07 प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए थेः–

क0 सं0	कार्य का विवरण	धनराशि (लाख रु0 में)
1	मौ0 काजीवाला बाग में इण्डियन धर्मकांटा से सरताज पाटरी पर मिलने वाली गलियों में इण्टरलाकिंग कार्य।	16.88
2	मौ0 खासज्ञान में शक्ति पाटरी से मुल्तानी के घर तक	6.88

क0 सं0	कार्य का विवरण	धनराशि (लाख रु0 में)
	इण्टरलाकिंग कार्य।	
3	मौ0 पंजाबियान में सुभाष रोड पर मिलने वाली गलियों में, प्रसादी के घर से भगवती प्रसाद के घर तक एवं अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग कार्य।	15.84
4	मौ0 मुरारी नगर में रनवीर के घर से रसद एवं ईनामत उल्ला के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य।	35.00
5	मौ0 अहीरपाड़ा में देवीराम के घर से आदर्श विद्या मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
6	मौ0 नई बस्ती में ईदरीश के घर से अन्त तक एवं हबीब के घर से अजीरुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	31.29
7	मौ0 बुर्जउस्मान में सुभाष रोड प्रेमवती स्कूल से अतीक खां के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	7.56
योग		**118.44**

उपरोक्त प्रस्तावों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रु0 59.22 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2138/69–1–2014–88 (बजट)/13 दिनांक 21–02–2014 द्वारा निर्गत की गयी, जिसे सूडा द्वारा यथासमय डूडा, बुलन्दशहर को अवमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में सरकार द्वारा स्वीकृत मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेंट प्लान के अन्तर्गत चयनित गांवों के विकसित करने के सम्बन्ध में विधायक का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

97–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में सरकार द्वारा स्वीकृत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंटर प्लान के अन्तर्गत चयनित गांवों के लिये सम्पूर्ण बजट निर्गत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2014, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–1 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

विषयगत प्रकरण में मा0 विधायक का पत्र दिनांक 09–07–2014 के बजाय दिनांक 01–07–2014 प्राप्त हुआ है।

जनपद बस्ती में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट योजनान्तर्गत रामनगर ब्लाक में 11 नग आंगनबाड़ी केन्द्र, 02 नग स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण एवं 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण की परियोजना स्वीकृत करते हुए भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त तीनों परियोजनाओं की धनराशि शासन स्तर से जारी की जा चुकी है।

जनपद बुलन्दशहर की पुलिस चौकी खुर्जा जंक्शन किराये के भवन में चलने के कारण पुराने जर्जर भवन को नये भवन के रुप में निर्माण कराये जाने की मांग

98–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की पुलिस चौकी खुर्जा जंक्शन किराये के भवन में चल रही हैं जो वर्तमान समय में जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन के स्थान पर पुलिस चौकी के लिये नये भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बुलन्दशहर की पुलिस चौकी खुर्जा जंक्शन शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसलिये उक्त भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

श्री कल्लू गौतम पुत्र स्व0 जोधे निवासी ग्राम खुटौली परगना दरियाबाद, तह0 रामसनेहीघाट, थाना टिकैत नगर की भूमि से दबंगों का अवैध कब्जा हटाया जाना

99–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कल्लू गौतम पुत्र स्व0 जोधे निवासी ग्राम खुटौली परगना दरियाबाद तहसील–रामसनेही घाट, थाना टिकैत नगर की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जमीन पर से कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10474286, पत्र संख्या–सी0एम0वि0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10474286/2014, दिनांक 08–07–2014 महानिदेशक, पुलिस उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

श्री कल्लू गौतम पुत्र स्व0 जोधे की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट से जांच करायी गयी, जिसमें आवेदक के प्रकरण में थाना समाधान दिवस में उसके प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 09–07–2014 को आवेदक, ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान की उपस्थिति में हलका लेखपाल व कानूनगो द्वारा पैमाइश की गयी, जिसके अनुसार उसका कब्जा गाटा संख्या–88क/0.025 हे0 पर पहले से मौजूद है।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक रुप से कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु दी जाने वाली अनुदान योजना के साथ ही साथ बीमारी हेतु अनुदान धनराशि अवमुक्त कराने की योजना की जानकारी

100–श्री मनीष असीजा–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु दी जाने वाली शादी एवं बीमारी अनुदान की धनराशि योजना को सरकार बन्द करने जा रही है ? यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2014–15 में अभी तक इस योजना में कोई भी धनराशि अवमुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

आर्थिक रुप से कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान किये जाने की योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके संचालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि रु0 12.00 करोड़ अवमुक्त कर दी गयी है।

बीमारी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित कोई योजना अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के थाना ककोड तथा चोला चौकी के कार्यक्षेत्र के परिसीमन करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कार्यवाही की जानकारी

101–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10474351, दिनांक 08–07–14 जो जनपद बुलन्दशहर के थाना ककोड़ तथा चोला चौकी के कार्यक्षेत्र के परिसीमन करने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर के थाना ककोड तथा चोला चौकी के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम के परिसीमन का प्रस्ताव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रस्ताव का परीक्षण उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या फैजाबाद की सरयू नदी में गिरने वाले गन्दे नालों का पानी उत्सर्जन अन्यत्र कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

102–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजकुमार दास अध्यक्ष एडवर्ड श्री अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा, अयोध्या फैजाबाद के प्रकरण में वर्णित परिस्थितियों में सरयू नदी में गिरने वाले गन्दे नालों का उत्सर्जन अन्यत्र कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10483827 पत्र संख्या–सी0 एम0 वि0/वि0 को0/एम0/पी0जी0–10483827/2014, दिनांक 23–7–2014 को प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

सरयू नदी में अयोध्या नगर के गिरने वाले गन्दे नालों के ट्रीटमेन्ट हेतु 12 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्रियाशील है। अयोध्या नगर के अवशेष गलियों में ब्रान्च सीवर लाइन डाले जाने हेतु रु0 62.56 करोड़ की सीवरेज योजना स्वीकृत है, जिस पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्माण के उपरान्त अयोध्या नगर के गंदे नालों से सरयू नदी में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

103–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0–23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) की सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

104–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10476709, दिनांक 10–07–14 जो नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) की सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में पेयजल सम्पूर्ति योजना तैयार करके बढ़ती मांग के आधार पर जलापूर्ति सुनिश्चित कराया जाना

105–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में पेजयल की समुचित आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पेयजल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा पेयजल सम्पूर्ति योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन रु0 102.9914 करोड़ स्वीकृत है। इसके सापेक्ष 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पेयजल की बढ़ती हुयी मांग को देखते हुये स्थायी एवं दीर्घकालिक समाधान हेतु गंगाजल परियोजना अनुमानित लागत रु0 2887.92 करोड़ स्वीकृत है, जिसका वित्त पोषण वाह्य सहायतित कार्यक्रम में जायका के माध्यम से किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त ट्रांस यमुना क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु अनुमानित लागत रु0 34.82 करोड़ की स्वीकृति पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्राम–केशरुवा बुजुर्ग, थाना तारुन, तह0–बीकापुर में स्थित बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

106–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के ग्राम केशरुआ बुजुर्ग थाना तारुन, तह0 बीकापुर मे बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10485715, पत्र संख्या–सी0एम0वि0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10485715/2014, दिनांक 30–07–2014, प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन कारागार, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–फैजाबाद के ग्राम–केशरुवा बुजुर्ग, थाना–तारुन, तह0–बीकापुर में स्थित बंजर भूमि पर गाटा संख्या–160 व 169 पर उपरोक्त ग्राम के सुभाष पुत्र भभूती आदि 62 नफर द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी क्षेत्र केशरुवा बुजुर्ग, थाना–तारुन, फैजाबाद द्वारा स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0–665/12 धारा–447 भादंवि व 2/3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम बनाम सुभाष पुत्र भभूती आदि 62 नफर निवासीगण ग्राम–केशरुवा बुजुर्ग के विरुद्ध दिनांक 31–12–2012 को पंजीकृत कराया

गया था, जिसके विवेचना उप निरीक्षक द्वारा की गयी। विवेचनोपरान्त 1–शिवराम पुत्र दुलारे, 2–जयराम पुत्र दुलारे, 3–रामशंकर पुत्र रामनिहोर, 4–छोटेलाल पुत्र दातादीन, 5–रामजियावन पुत्र देवबली निवासी केशरुवा बुजुर्ग, थाना–तारुन को छोड़कर (जिनकी नामजदगी गलत पायी गयी) सुभाष पुत्र भभूती आदि का 57 नफर के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–ए–57 दिनांक 30–5–2013 को ए0सी0जे0एम0 द्वितीय, फैजाबाद के न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं में पीने का पानी, जल निकासी, सड़क आदि अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक धनराशि के आवंटन की मांग

107–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं में पीने के पानी, जल निकासी सड़क आदि अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण यहां के निवासी बहुत कठिनाईपूर्ण जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को इन क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के सुधार हेतु आवश्यक धनराशि आवंटन के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो कब तक धनराशि का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रशासक/जिलाधिकारी, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा नगर निगम सीमा में सम्मिलित समस्त 13 ग्राम सभाओं में एवं नगर का सर्वे कराने के उपरान्त नगर फिरोजाबाद में पीने के पानी, जल निकासी सड़क आदि अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 1260.97 लाख एवं नगर की कच्ची जलभरावयुक्त एवं क्षतिग्रस्त गलियों, सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु रु0 2261.00 लाख की कार्य योजना तैयार की गई है।

फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या से निपटने हेतु फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 44946.83 लाख गठित की गई है, जिसका व्यय वित्त समिति से अनुमोदन हो चुका है।

धन की उपलब्धता की स्थिति में धनावंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में निराश्रित महिलाओं के विधवा पेंशन के आवेदन–पत्र स्वीकृत होने के बावजूद पेंशन का लाभ दिलाने हेतु बजट धनराशि अवमुक्त करने विषयक

108–श्री मनीष असीजा–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ऐसी कितनी विधवा महिलायें हैं जिनके विधवा पेंशन के आवेदन–पत्र स्वीकृत एवं पात्रता श्रेणी में होने के बावजूद बजट अभाव के कारण पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा

है ? क्या सरकार इन महिलाओं को तत्काल विधवा पेंशन प्रदान करने हेतु बजट धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

जनपद फिरोजाबाद में 3026 ऐसी निराश्रित महिलाएं है जिनके विधवा पेंशन के आवेदन–पत्र स्वीकृत हेतु पात्रता श्रेणी में होने के बावजूद पेंशन का लाभ नहीं मिला है।

जी हां। लक्ष्य की वृद्धि हो गई है तदनुसार बजट धनराशि का प्राविधान करते हुए उन्हें समायोजित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

109–डा0 धर्मपाल सिंह (आवास एवं शहरी नियोजन)–

खाले बुधवार के अता0प्र0सं0–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

आगरा महानगर के मुख्य मार्गों पर सीवरेज व्यवस्था ठीक कराने विषयक

110–डा0 धर्मपाल सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा आगरा महानगर के मुख्य मार्गों पर सीवर लाइन डाली गयी है ? यदि हां, तो क्या उसे आन्तरिक मार्गों पर सीवर लाइन डालकर जोड़े जाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

आगरा नगर के सीवरेज व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों एवं आन्तरिक मार्गों हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के एक्सटेन्डेड फेज के अन्तर्गत रु0 1293.53 करोड़ की चार सीवरेज परियोजनाएं बनायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के वर्ष 2014–15 में माह जनवरी से अगस्त, 2014 तक मिलने वाली अवस्थापना निधि न दिये जाने से विकास प्रभावित, धनराशि अवमुक्त की मांग

111–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद को वर्ष 2014–15 में माह जनवरी से अगस्त, 14 तक विकास के लिये मिलने वाली अवस्थापना निधि प्राप्त न होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लम्बित अवस्थापना विकास निधि की धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर की छावनी क्षेत्र के वार्ड–53 के अन्तर्गत सीवर लाइन डलवाने की मांग

112–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 के अन्तर्गत भवानी नगर में म0 नं0–13 बी से 60 फिट रोड तक में सीवर लाइन न होने के कारण जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर नगर छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के अन्तर्गत भवानी नगर में म0नं0 13 बी से 60 फीट रोड तक में सीवर लाइन डालने का कार्य प्रस्तावित है।

कानपुर नगर छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के अन्तर्गत भवानी नगर में म0 नं0 13 बी से 60 फिट रोड तक में सीवर लाइन डालने का कार्य दो माह में कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

नगरपालिका परिषद्, फिरोजाबाद के नगर निगम का दर्जा प्रदान करने तथा मानक के अनुसार पदों का सृजन किये जाने का प्रकरण

113–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद्, फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा देकर मानकानुसार पदों का सृजन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिसूचना संख्या–1216/नौ–7–14–01 घोषणा/2013, दिनांक 04–08–14 द्वारा नगर निगम, फिरोजाबाद का गठन करते हुए आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त पदों के सृजन विषयक आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी वार्ड–54 की मलिन बस्तियों में सीवर लाइन डलवाने तथा सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

114–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबूपुरवा खटिकाना मलिन बस्ती में ब्लाक नं0–130, 456ए से म0 नं0–130, 434, 424 तक सीवर लाइन न होने एवं वार्ड नं0–53 मंगला विहार राजेश राजपूत के मोड़ से म0 नं0–243 होते हुए चौधरी ट्रेडर्स बाईपास

रोड तक सड़क न होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने एवं सड़क बनवाने का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त क्षेत्र निजी सोसाइटी क्षेत्र है। शासनादेश संख्या–05097/9–अ–3–2001(अ0व0) दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी वार्ड–28 के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराया जाना

115–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

115–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 28 के अन्तर्गत कृष्णानगर में लगभग 25 हैण्डपम्प खराब होने के कारण क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–28 कृष्णा नगर क्षेत्र में 76 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 51 हैण्डपम्प चालू हैं तथा 25 हैण्डपम्प रि–बोर योग्य हैं।

इसके अतिरिक्त 02 नलकूप भी अधिष्ठापित हैं, जो चालू हैं, जिनसे क्षेत्र में सामान्य जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

उक्त 25 रि–बोर योग्य हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग की कार्यवाही की जा रही है।

रिबोर योग्य 25 हैण्डपम्पों को माह मार्च 2015 तक रि–बोर कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में सामान्य श्रेणी के भर्ती में अनारक्षित वर्ग लिखे जाने के औचित्य की जानकारी

116–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में अब सामान्य श्रेणी के स्थान पर अनारक्षित वर्ग लिखकर

विज्ञापन कराने का फैसला लिया गया है ? यदि हां, तो सामान्य वर्ग के स्थान पर अनारक्षित वर्ग से क्या तात्पर्य है ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के अनुक्रम में निर्गत सीधी भर्ती के रोस्टर में अनारक्षित रिक्ति का प्राविधान पूर्व से है। शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2014 द्वारा इसे पुनः प्रसारित किया गया है।

उक्त आरक्षण अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का उल्लेख है, अनारक्षित वर्ग का उल्लेख नहीं है। शब्द श्अनारक्षितश का आशय रिक्ति के सन्दर्भ में है अर्थात अनारक्षित रिक्ति, वह रिक्ति है, जिसके सापेक्ष सभी अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद विपमनगर जोन के वार्ड–23 में सीवर लाइन डलवाने का प्रकरण

117–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र के गाजियाबाद के विपमनगर जोन के वार्ड 23 के अन्तर्गत शान्तिनगर, सैन विहार में सीवर लाइन नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के विपमनगर (विजय नगर) जोन के वार्ड–23 के अन्तर्गत शान्तिनगर एवं सैन विहार बस्तियों में वर्तमान में सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव/आगणन विरचित कराया जा रहा है। औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर आगामी वित्तीय वर्ष मे बजट व्यवस्था की उपलब्धता पर प्रश्नगत कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में शहरी गरीबों एवं अल्पसंख्यक परिवारों के लिए ष्आसरा आवासष् योजना के अन्तर्गत नगर पालिका खुर्जा के बने आवास एवं उनका आवंटन

118–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की घोषणा के अनुसार शहरी गरीबों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के लिये आसरा योजना के तहत रु0 2.50 लाख रुपये की लागत से जनपद बुलन्दशहर

की नगर पालिका खुर्जा में कितने मकान तैयार करके निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शहरी गरीबों एवं अल्पसंख्यक परिवारों के लिए ''आसरा आवास'' योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में भी निःशुल्क आवास मुहैया कराये जाने हेतु योजना लागू की गयी है। जनपद–बुलन्दशहर के न0पा0, खुर्जा क्षेत्र में आवासों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम इकाई अलीगढ़ को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु चयनित भूमि का सीमांकन करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत भूमि पर ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान तथा मरघट जाटवान मौके पर बने हैं। उक्त विवादित मरघट व कब्रिस्तान की भूमि सम्बन्धी संवेदनशील प्रकरण होने के कारण आवास निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में भूमि विवादित होने की सूचना राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अवर अभियन्ता पदों पर 15 वर्षों से कार्यरत अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जाना

119–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अवर अभियन्ता के पद पर पिछले 15 वर्षों से कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

जनपद मिर्जापुर में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में पिछले 15 वर्षों से अधिक मात्र एक अवर अभियन्ता ही कार्यरत/तैनात है, जो वर्तमान में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के मंडल सचिव का पद धारित करने के कारण, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2014 के प्रस्तर–13 के अनुसार स्थानान्तरण से मुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत पू0वि0 निधि जिलांश वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित कार्यों का टेण्डर होने के बाद भी कार्यदायी संस्थाओं को न दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

120–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पू0वि0 निधि जिलांश वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित

किये गये कार्यों को टेण्डर करा लिये जाने के बाद भी कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग चन्दौली द्वारा कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5–एन–321897, दिनांक 18–08–2014 जिलाधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

जी हां।

वर्ष 2012–13 में जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि (जिलान्श) से पूर्व स्वीकृत पांच कार्यों में से प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 15–5–2013 में उल्लिखित निर्देश के अनुसार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चन्दौली के स्तर से दो कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं, जिसमें से एक कार्य पूरा हो चुका है तथा एक कार्य प्रगति पर है। अवशेष तीन कार्य प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली को प्रेषित पत्र दिनांक 06–04–2013 के क्रम में रोक दिया गया है तथा उक्त तीन कार्यों के स्थान पर पुनः दूसरे कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव/प्रारम्भिक आगणन प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली को प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी स्वीकृति अभी ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चन्दौली को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा कैन्ट–87 के अन्तर्गत नाला काजीपाड़ा के अधूरे निर्माण को पूरा कराया जाना

121–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्ट–87 के अन्तर्गत नाला काजीपाड़ा में निर्माणाधीन नाला निर्माण कार्य जिसका 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अधूरे नाला निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत निर्माणाधीन नाले का नब्बे प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

शेष नब्बे मीटर नाला रेलवे लाइन के किनारे बनी रेलवे की प्रोटेक्शन वाल के सहारे बनाया जाना है। जिसके लिए रेलवे विभाग से अनापत्ति मांगी गयी है। रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा। इस बीच शेष कार्य के निर्माण हेतु निविदा दिनांक 10–11–14 को मांगी गयी है।

रेलवे विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विधान सभा क्षेत्र–87 कैण्ट के अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों के जर्जर शौचालयों का निर्माण/मरम्मत कराया जाना

122–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र 87 कैन्ट के अन्तर्गत ताजमहल पूर्वी गेट के निकट के मौहल्लों असद गली व नाला शेख बुलाकी में रेलवे लाईन के किनारे नगला वासी में, शहीदनगर के अन्तर्गत खिड़की बाग राजपुर में, चीलगढ़ औलिया रोड स्थित नगला बिझामनी की बाल्मीक बस्ती में, ईदगाह बस स्टैण्ड के पास बाग नानकचन्द में, नगला वासी एवं कुम्हारपाड़ा में निर्मित शौचालय अत्यन्त जर्जर होने के कारण वहां की जनता को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मोहल्लों में शौचालयों का निर्माण/मरम्मत कराते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत शौचालयों के मरम्मत एवं निर्माण की आवश्यकता है। नगर निगम, आगरा द्वारा समय–समय पर धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम सीमा अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाता है। गली असद एवं नाला शेख बुलाकी में 16 सीटेड शौचालय का आगणन तैयार कराये गये हैं। रेलवे लाइन के किनारे नगलावासी में शौचालय निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। शहीद नगर में खिड़की बाग राजपुर में शौचालय जर्जर व अप्रयुक्त अवस्था में है। इस शौचालय के निकट मन्दिर होने के कारण स्थानीय नागरिकों द्वारा शौचालय निर्माण/मरम्मत का विरोध किया गया है। चीलगढ़ औलिया रोड स्थित नगला बिझामनी की बाल्मीक बस्ती में शौचालय का निर्माण/मरम्मत की आवश्यकता के दृष्टिगत चीलगढ़ औलिया रोड का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा एवं बिझामनी का आगणन तैयार किया जा रहा है। ईदगाह बस स्टैण्ड के पास बाग नानक चन्द में शौचालय का निर्माण प्रगति पर है। कुम्हार पाड़ा में स्थित शौचालय आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का आगणन तैयार कराया जा रहा है।

उपरोक्त शौचालयों में जिन शौचालयों के निर्माण कार्य प्रगति पर है, उन्हें 31 मार्च, 2015 से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष शौचालयों के निर्माण/मरम्मत का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में ताजमहल के निकट सदर के बीच उखर्रा स्थित तालाब में वाउण्ड्रीवाल के निर्माण की मांग

123–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ताजमहल के निकट सदर के बीच उखर्रा स्थित तालाब में बाउण्ड्री वॉल न होने के कारण दिनांक 29–07–2014 को बड़ा उखर्रा निवासी सुनील पुत्र तोताराम की मृत्यु उक्त तालाब में डूबने के कारण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उखर्रा स्थित तालाब की बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण दिनांक 29–07–14 को बड़ा उखर्रा निवासी श्री सुनील पुत्र श्री तोता राम की मृत्यु उक्त तालाब में डूबने के कारण नहीं हुयी थी अपितु श्री सुनील की मृत्यु स्थानीय लोगों से तालाब को तैरकर पार करने की शर्त लगाकर तालाब को पार करते समय डूबने से हुयी थी।

सीमा विस्तार होने के पश्चात नगर निगम सीमा से आया उक्त तालाब, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2880.00 वर्ग मी0 है, के दो तरफ आबादी बसी हुयी है एवं दो तरफ खुले खेत हैं। इस तालाब में आस पास के क्षेत्र की नालियों का एवं बरसाती पानी एकत्रित होता है। चाहरदीवारी (बाउण्ड्रीवाल) होने पर क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी।

अतः सुरक्षा की दृष्टि से तालाब के चारों तरफ आर0सी0सी0 पिलर के साथ पाइप लगाकर बाउण्ड्रीवाल कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है जिससे भविष्य में कोई अप्रिय दुर्घटना घटित न हो और संपूर्ण क्षेत्र का पानी इसमें बिना रुकावट कर एकत्रत होता रहेगा।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में नई आबादी नरीपुरा नगला प्यारे जो जगनेर रोड एवं रेलवे लाइन के बीच बसी आबादी में जलभराव रोकने तथा खराब सड़क, नाला आदि बनाया जाना

124–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के पास नई आबादी नरीपुरा नगला प्यारे, नगला ऊदा आदि मलिन बस्तियों में गन्दे पानी की निकासी न होने के कारण दूषित पानी सड़क व आस–पास के घरों में भर जाता है जिससे आये–दिन लोग संक्रमण व बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तथा जनता को आवागमन में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु नगला ऊदा से नगला प्यारे होते हुए सौहल्ला तक सड़क व नाले का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद आगरा में नई आबादी नरीपुरा नगला प्यारे जो जगनेर रोड एवं रेलवे लाइन के बीच के क्षेत्र में अनियोजित बसी आबादी है। यह क्षेत्र अत्यधिक नीचे स्तर में बसा हुआ है, जिसके कारण समस्या है।

प्रश्नगत क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने हेतु नगर निगम आगरा द्वारा 02 बड़े स्थायी पम्प लगाकर जल निकासी की जाती है। नई आबादी नरीपुरा नगला प्यारे की स्थायी जल निकासी हेतु जिला स्तर पर स्टार्म वाटर ड्रेनेज का प्राक्कलन रु0 1892. 23 लाख तैयार कराया गया है।

नगला ऊदा क्षेत्र नगर निगम सीमान्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों में संविदा कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की नीति निर्धारण का मामला

125–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निगमों में लगभग 17 वर्षों से या इससे अधिक समय से संविदा/दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने हेतु सरकार कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगरीय स्थानीय निकायों में संविदा कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में न तो कोई नीति निर्धारित है और न ही विचाराधीन है।

नगरीय स्थानीय निकायों में दिनांक 29 जून, 1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर में फूलबाग मोहल्ला निकट हुसैनगंज के नाले पर अवैध कब्जा कर नाला बन्द होने के कारण सफाई का कार्य बाधित होने विषयक

126–श्री अवस्थी बाला प्रसाद

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में फूलबाग निकट हुसैनगंज में नाले के ऊपर अवैध कब्जा कर नाला बंद कर दिया गया है, जिससे सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवा कर नाले की सफाई कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

127–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगरीय सड़क सुधार की योजना के अन्तर्गत चन्दौली जनपद के नगर निकायों को कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा उक्त के सापेक्ष जनपद की नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में कराये गये कार्यों से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख 5 एन0 321887, दिनांक 18–8–14 जिलाधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद चन्दौली की नगर पंचायत, चकिया को वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 60.97 लाख की धनराशि नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत स्वीकृत/अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रस्तावित कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय, नगर पंचायत, चन्दौली एवं नगर पंचायत, सैय्यदराजा को उक्त योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत न0प0 परिषद् मुगलसराय घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

128–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत न0पा0 परिषद् मुगलसराय में चार बिन्दुओं पर घोर अनिमितताएँ एवं भ्रष्टाचार की जांच करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5–एन0–321316, दिनांक 25–08–2014 मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में चार बिन्दुओं पर घोर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की जांच उप जिलाधिकारी, सदर जनपद चन्दौली द्वारा की गयी। जांच आख्या के अनुसार शिकायतें निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय न0पा0 परिषद् में लगायी जा रही सोलर लाइट में व्यापक पैमाने पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कार्यवाही की जानकारी

129–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय न0पा0 परिषद् में लगायी जा रही सोलर लाइट में व्यापक पैमाने पर अनिमिततायें एवं भ्रष्टाचार की जांच करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5–एन0–321315, दिनांक 25–08–2014 जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली को सभासदों के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा की गयी। जांच आख्यानुसार नगर पालिका परिषद् की बोर्ड बैठक दिनांक 28–6–14 के प्रस्ताव संख्या–14 द्वारा 300 अदद् सोलर लाइट लगवाने का निर्णय लिया गया एवं परीक्षण के तौर पर एक सोलर लाइट लगाकर जांच की गयी। उक्त सोलर लाइट मानक के अनुरूप न पाये जाने पर सोलर लाइट क्रय किये जाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार न तो कोई सोलर लाइट लगवायी गयी, न ही कोई भुगतान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

130–श्रीमती उमाकान्ती–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद उन्नाव की नगर पंचायत बीघापुर स्थित गोदा बलेश्वर मन्दिर, सन्दोही देवी मन्दिर तथा नागेश्वर मन्दिर स्थित सरोवरों, घाटों का जीर्णोद्धार पर्यटकों के लिये कराये जाने विषयक

131–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बीघापुर जनपद–उन्नाव स्थित गोदा बलेश्वर मन्दिर, सन्दोही देवी मन्दिर तथा नागेश्वर मन्दिर स्थित सरोवरों, (तालाबों) का जीर्णोद्धार एवं पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार जनता घाटों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर पंचायत बीघापुर स्थित उक्त मन्दिरों तथा तालाबों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

जनपद आगरा के क्षेत्र छावनी में ताज महल के निकट ताजगंज वार्ड के अन्तर्गत शमशाबाद रोड स्थित नीतिबाग कालोनी की सड़क, नाला, जलभराव की समस्या के निदान का प्रकरण

132–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से दो किमी. की दूरी पर शमशाबाद रोड स्थित नीति बाग कालोनी में म0सं0–53 से म0सं0–65 तक (लम्बाई लगभग 150 मीटर) सड़क व नाला क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त सड़क सतह से काफी नीचे हैं, जिसके कारण जलभराव की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाले का निर्माण कराते हुए नाले की ढलान 100 फुट रोड के बड़े नाले से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ताजगंज वार्ड के अन्तर्गत शमशाबाद रोड स्थित नीतिबाग कालोनी की सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सड़क बीच में क्षतिग्रस्त होने के कारण जल भराव होता है। नीति बाग कालोनी में म0 नं0 53 से म0 नं0 65 तक सड़क का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण तथा नाला/नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार किया गया है, जिससे उक्त क्षेत्र की जल भराव की समस्या का निदान हो जायेगा।

उपरोक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के निकट ताजमहल नारीपुरा में शमशान घाट तक सड़क निर्माण तथा जल–भराव की समस्या आदि के निदान की मांग

133–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के पास नरीपुरा में जलनिकासी की व्यवस्था न होने के कारण वहां स्थित शमशान घाट में एवं उसके रास्ते तथा आस–पास के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने के कारण दाह संस्कार के लिए आने वाने मृतक के प्रियजनों को वापिस लौटना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु शमशानघाट से मुख्य सड़क तक खड़न्जा व नाली निर्माण कार्य कराते हुए नाली का ढलान मुख्य सड़क की ओर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नरीपुरा में शमशान घाट से मुख्य सड़क तक खड़न्जा (सड़क) व नाली का निर्माण कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना की उप योजना बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत जिसकी लम्बाई लगभग 800 मीटर है स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष लगभग 300 मीटर में सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य हो चुका है जिसका ढलान मुख्य

सड़क की तरफ ही है। धनाभाव के कारण उक्त कार्य बाधित है तथा धन प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में छावनी क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगला महादेव नगला पैमा, नौपुरा आदि मलिन बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली के निर्माण कराये जाने की मांग

134–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कायर्कक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के अन्तर्गत 6 किमी0 की दूरी पर स्थित नगला महादेव, नगला पैमा, नौपुरा, नगला मेवाती, सिद्धार्थनगर, गौबरचौकी, कच्ची सराय, नरीपुरा, तुलसीनगर, अब्बासनगर, दिनेशनगर, करीमनगर, बल्देवनगर आदि मलिन बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली की व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मलिन बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली का निर्माण कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उल्लिखित बस्तियों में इंगित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराये जा रहे है। मलिन बस्ती नगला पैमा में नगर निगम आगरा द्वारा रु0 8.62 लाख का नाली व सड़क का निर्माण कार्य वर्तमान में कराया गया है।

मलिन बस्ती नगला में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0एस0पी0) योजना के अन्तर्गत रु0 170.80 लाख की स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

गोबर चौकी क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना की उपयोजना बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत रु0 3514.33 लाख की परियोजना स्वीकृत होकर उक्त के सापेक्ष रु0 2344.19 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिससे मलिन बस्ती तुलसी नगर, कच्ची सराय, सिद्धार्थनगर, दिनेश नगर व बल्देव नगर में आवासों का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इसी योजनान्तर्गत रु0 11624.80 लाख की परियोजना स्वीकृत हुयी है, जिससे कमाल खां बस्ती क्षेत्र में मलिन बस्ती नरीपुरा एवं अब्बास नगर में आवासों का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

नौपुरा मलिन बस्ती ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है, जिसके कारण वांछित विकास कार्य इस विभाग के माध्यम से नहीं कराये जा सकते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ में पदोन्नति प्राप्त उप सचिव/संयुक्त सचिव व विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण शासनादेश के अनुसार करने विषयक

135–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में सचिवालय संवर्ग से पदोन्नति होकर उप सचिव, संयुक्त सचिव व विशेष सचिव स्तर के कितने अधिकारी सचिवालय में एक ही सीट पर तीन वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित मानक/शासनादेश के तहत तीन वर्ष के बाद ऐसे अधिकारियों का पटल परिवर्तन होना चाहिए ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश का पालन कराते हुए तीन वर्ष से ऊपर तैनात सचिवालय संवर्ग के इन अधिकारियों का पटल परिवर्तन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उप सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव को किसी सीट/पटल पर तैनात नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें विभाग में तैनात किया जाता है। अधिकारियों के मध्य कार्यों का विभाजन विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा किया जाता है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी एक विभाग में उप सचिव अधिकतम 05 वर्ष एवं संयुक्त सचिव/विशेष सचिव अधिकतम 03 वर्ष तक तैनात रखे जा सकते हैं। उक्त नीति में निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं, परन्तु विभाग के कार्यात्मक आवश्यकता एवं शासकीय कार्यहित के दृष्टिगत स्थानान्तरण नीति में शिथिलता प्रदान करते हुये अधिकारियों को निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी उसी विभाग में तैनात रखा जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में अधिवक्ता चैम्बरों के निर्माण कराने विषयक

136–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में अधिवक्ता चैम्बरों की कमी के कारण उन्हें अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए 200 नये अधिवक्ता चैम्बर निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में 50 चैम्बरों का निर्माण कार्य हो गया है। जनपद न्यायाधीश द्वारा अधिवक्तागण को चैम्बर्स आवंटित किये गये हैं। अधिवक्ता चैम्बरों की कमी को पूरा करने हेतु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से 100 नये चैम्बर्स निर्माण कराये जाने हेतु रु0 421.85 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है, जोकि स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–54 बाबूपुरवा खटिकाना, मलिन बस्ती के वार्डों में सीवर लाइन डलवाने की मांग

137–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबुपुरवा खटिकाना, मलिन बस्ती में ब्लाक नं0 130/456ए से म0नं0 130, 434, 424 तक सीवर लाइन न होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सीवरेज मास्टर प्लान के अनुसार कानपुर नगर को चार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है। छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 54 बाबूपुरवा, खटिकाना, मलिन बस्ती में ब्लाक नं0 130/456ए से म0 नं0 130, 434, 424 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–2 में सम्मिलित हैं। नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–2 में सीवरेज कार्यों हेतु योजना तैयार की जा रही है। योजना के भारत सरकार से स्वीकृत होने तथा धनावंटन प्राप्त होने के पश्चात ही इन बस्तियां में सीवर लाइन बिछाने का कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–554 किदवई नगर चौराहे पर पुलिस चौकी के पीछे स्थित चिल्ड्रेन क्रैंडल स्कूल के सामने क्षतिग्रस्त सड़क, नाली आदि के निर्माण की मांग

138–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54 किदवई नगर चौराहे पर पुलिस चौकी के पीछे स्थित चिल्ड्रेन क्रेडल स्कूल के सामने सड़क एवं नाली क्षतिग्रस्त होने से जलभराव की समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं नाली की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

संबंधित सड़क लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। अतः प्रश्नगत सड़क पर कार्य कराये जाने का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53, न्यू आजाद नगर में भूतेश्वरी मंदिर के चन्द्र कला त्रिपाठी म0नं0 16 के घर से अलखराम साहू के घर म0नं0 735 के घर तक सड़क बनाने की मांग

139–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53, न्यू आजाद नगर में भूतेश्वरी मंदिर के चन्द्र कला त्रिपाठी म0नं0 16 के घर से अलखराम साहू के घर म0नं0 735 के घर तक सड़क न होने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या–05097/9–अ– 3–2001(अ0व0) दिनांक 26–5–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण को है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 44 के ओमपुरवा नई बस्ती में खाली भूमि को सार्वजनिक पार्क घोषित करने की मांग

140–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 44 के ओमपुरवा नई बस्ती में खाली भूमि को नियमानुसार सार्वजनिक पार्क घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 44 के ओमपुरवा नई बस्ती में खाली भूमि नगर निगम की सम्पत्ति नहीं है इसलिये उक्त खाली भूमि को नियमानुसार पार्क घोषित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद नगर में भाऊ का नगला स्थित औद्योगिक आस्थान पर पड़ी निष्प्रयोज्य भूमि पर श्रमिकों के कल्याण हेतु पेयजल सुविधा एवं शौचालय आदि के निर्माण का प्रकरण

141–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार फिरोजाबाद नगर में भाऊ का नगला स्थित औद्योगिक आस्थान पर पड़ी निष्प्रयोज्य भूमि पर श्रमिकों के कल्याण हेतु पीने के पानी एवं शौचालय सुविधा युक्त विश्राम गृह बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत स्थल पर निष्प्रयोज्य भूमि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में भवन निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले राजगीर मजदूरों के एकत्रीकरण स्थलों पर सुविधायुक्त शैल्टर/श्रमिक अड्डों का निर्माण कराने विषयक

142–श्री मनीष असीजा–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भवन निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले राजगीर मजदूरों के एकत्रीकरण स्थलों पर धूप–बरसात–सर्दी से बचाव के लिए सरकार सुविधायुक्त शैल्टर/श्रमिक अड्डों का निर्माण कार्य कराने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रदेश में भवन निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले राजगीर मजदूरों के एकत्रीकरण स्थलों पर धूप–बरसात–सर्दी से बचाव के लिये सुविधायुक्त/शैल्टर/श्रमिक अड्डों का निर्माण कार्य नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड सं0–53 के मोहल्ले की गलियों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करना

143–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड सं0–53 में देहली सुजानपुर में मकान नं0 66 से 95 तक एवं वार्ड सं0–77 में मार्डन गैस एजेन्सी चौराहे से विन्ध्वासिनी चौराहे तक एवं छप्पन भोग के ठीक पीछे वाली गली की सड़के क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम के विकास कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत वर्तमान में इस जोन/वार्ड में स्वीकृत बजट में धन उपलब्ध नहीं है। अतः धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा। 56 भोग के पीछे वाली गली की सड़क के मरम्मत के कार्य की निविदा प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के अन्तर्गत रामपुर सिद्धार्थ नगर में सीवर लाइन डालने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत का प्रकरण

144–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के अन्तर्गत रामपुर सिद्धार्थ नगर में म0 नं0 38 से 49 तक एवं भवानी नगर में म0 नं0 9 से म0नं0 29 तक सीवर लाइन डालने के दौरान

क्षतिग्रस्त सड़कों की आज तक मरम्मत नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4, पार्ट–3 परियोजना निर्माणाधीन है। इसके अन्तर्गत कानपुर नगर के वार्ड 53 के रामपुरम् सिद्धार्थ नगर के म0नं0 38 से 49 तक सीवर लाइन कच्चे मार्ग पर बिछायी गई है। उक्त वर्णित सीवर लाइन कच्चे मार्ग पर बिछायी गई है और सीवर लाइन बिछाने हेतु कच्चे मार्ग पर ट्रेन्च की खुदाई की गई। सीवर लाइन बिछाने हेतु खोदे गये कच्चे मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने के उपरान्त मिट्टी का पुनर्भरण कराकर मार्ग को जन उपयोग हेतु समतल करा दिया गया है। इसी प्रकार वार्ड 53 के अन्तर्गत भवानी नगर में म0नं0 9 से 29 तक सीवर बिछाने हेतु काटी गई सीसी0 रोड के पुनर्स्थापन का कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्ण करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में गरीबों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने हेतु मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

145–श्री संजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट न होने के कारण यहां के गरीबों को सुलभ व सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा

है ? यदि हां, तो क्या सरकार गरीबों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए तहसील विलासपुर जनपद रामपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अधीनस्थ न्यायालयों पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। नये न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में पहले मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। सम्प्रति जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति प्राप्त नहीं है।

146–श्री अनीसुर्ररहमान–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

जनपद लखनऊ के इब्राहिम वार्ड के ग्राम हैबत मऊ मवइया में पेयजल की सुविधा हेतु पानी के टंकी का निर्माण कराने विषयक

147–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इब्राहिम वार्ड के ग्राम हैबत मऊ मवइया में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पानी की टंकी से हैबतमऊ मवइया एवं समीप के ग्रामों तथा बस्तियों में पानी की सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो उक्त टंकी से जलापूर्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के इब्राहिमपुर वार्ड के ग्राम हैबत मऊ मवइया में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है।

जी नहीं।

योजना में केवल दलित बाहुल्य बस्ती ही सम्मिलित है। योजना पूर्ण है। हैबत मऊ मवइया की सामान्य बस्ती तथा समीप के ग्रामों व बस्तियों में पानी की सप्लाई हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के एक्टेण्डेड फेज के अन्तर्गत वाटर सप्लाई डिस्ट्रिक्ट–डी पार्ट–1 पुनर्गठन पेयजल योजना आलमबाग क्षेत्र अनुमानित लागत रु0 451.99 करोड़ विरचित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

148–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

ख्1लें मंगलवार के अता0प्र0स0–172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न0पा0 परिषद् में अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा टेण्डर में की गई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

149–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न0पा0 परिषद् मुगलसराय में अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा एक लाख रुपये से कम के कार्य को टेन्डर न कराकर कोटेशन से अपने चहेते ठेकेदारों को देकर अनियमतता की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क5नं0 210926, दिनांक 01–09–2014 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के महराजपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुए हैण्डपम्पों को लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

150–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के महराजपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुए 200 हैण्डपम्प मुख्य मंत्री घोषणा के अनुरूप लगाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17–07–2013 मुख्य मंत्री को सम्बोधित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्देशित किया गया था। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी मा0 सदस्यों को 100–100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शहरी क्षेत्रों में इसका वित्त पोषण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के ''प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास'' मद से किया जाना निर्देशित है। तत्क्रम में शहरी क्षेत्रों के लिये कुल 3236 हैण्डपम्पों (अनुमानित लागत रु0 1846.06 लाख) का समेकित प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को सन्दर्भित किया गया है। ग्राम्य विकास अनुभाग–5 के शासनादेश दिनांक 28–05–2013 के अनुक्रम में विधान सभा क्षेत्र महराजपुर में 100 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य वित्तीय वर्ष 2014 में पूर्ण कराया जा चुका है। विधान सभा क्षेत्र महराजपुर में कानपुर महानगर का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें मुख्यतः सनिगवां, चकैरी, हरिजेन्दर नगर, यशोदानगर, हंसपुरम्, नौबस्ता, बसन्त बिहार, पशुपतिनगर आदि क्षेत्र आते हैं। जे0एन0एन0ए0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इन वार्डों में सी0डब्ल्यू0आर0 शिरोपरि जलाशय तथा जल वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के नदी गांव ब्लाक कुठौद एवं ब्लाक रामपुरा में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने के प्रकरण

151–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के नदी गांव ब्लाक कुठौद एवं ब्लाक रामपुरा में अग्निशमन केन्द्र न होने के कारण आगजनी से होने वाली धन–जन हानि को रोक पाने में नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्नगत ब्लाकों में आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से अग्निकाण्डों पर नियंत्रण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठतां

जनपद मऊ में दिनांक 14–09–2014 को धारा 144 लागू होने के उपरांत शहीद स्मारक पर धरना देने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

152–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ में दिनांक 14–09–2014 को धारा 144 लागू होने के उपरांत भी क्षेत्र में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से बिना जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त किये लोगों द्वारा थाना मधुवन के अन्तर्गत मधुवन बाजार स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शहीद स्थल पर आम नागरिक एवं जनप्रतिनिधि प्रायः इकट्ठा होकर अपना मन्तव्य आदान प्रदान करते हैं तथा भीड़–भाड़ का माहौल बना रहता है। दिनांक 14–09–2014 को भी शहीद स्मारक पर दैनिक क्रम में लोग उपस्थित हुये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में दिनांक 31–8–2014 को बिन्देश्वरी तिवारी एवं परशुराम तिवारी की हत्या की घटना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से कराने हेतु नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही जानकारी

153–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के थाना मधुवन के अन्तर्गत ग्राम बांसतरांव के नि0–बिन्देश्वरी तिवारी एवं परशुराम तिवारी की उन्हीं के गांव धनन्जेय सिंह, राजेश सिंह आदि लोगों ने जिला बलिया के थाना उमांव के क्षेत्र में दिनांक 31–08–2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी, जिसकी प्राथमिकी थाना उमांव में मु0अ0सं0–431/14अं0धारा–147, 148, 149, 302,120बी, 379 आई0पी0सी0 में दर्ज है। जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से कराने एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिये जाने विषयक उन्हें सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 962/ने0वि0द0/2014 दिनांक 08–09–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

दिनांक 31–08–2014 को विन्देश्वरी तिवारी एवं परशुराम तिवारी की हत्या की घटना के सम्बन्ध में वादी श्री आनन्द तिवारी पुत्र स्व0 बिन्देश्वरी तिवारी साकिन बांसतराव थाना मधुबन, जनपद–मऊ की लिखित सूचना के आधार पर थाना–उभांव में मु0अ0सं0–431/14 धारा–147, 148, 149, 302,120, 379 भा0द0वि0 बनाम, 1–धनन्जय सिंह उर्फ बब्बल सिंह, 2–राजेश सिंह उर्फ पिन्टू सिंह, 3–अनूप सिंह, 4–प्रवीण तिवारी उर्फ सोनू, 5–राजेन्द्र मिश्र पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक, रसड़ा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के मध्य नामजद अभियुक्तों के अलावा अभियुक्तगण स्वामीनाथ तुरहा, सम्पूर्णानन्द यादव, मोनू उर्फ चवन्नी व अरूण सिंह का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त स्वामीनाथ तुरहा दिनांक 09–09–2014 को गिरफ्तार होकर तथा अभियुक्त धनन्जय सिंह उर्फ बब्बल सिंह दिनांक 24–9–2014 को जेल भेजे गये। राजेश सिंह व अनूप सिंह दिनांक 19–9–2014 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुये हाजिर हुये उन्हें 29–9–2014 को रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ किया गया। प्रवीण तिवारी उर्फ सोनू तिवारी, दिनांक 17–10–2014 को हाजिर अदालत हुये और इनको कस्टडी में लेकर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर लिया गया है। शेष नामजद व प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध धारा–82 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। अन्य अनुवर्ती विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गो–वंश हत्या रोकने के लिये पशुवधशालाओं के संचालन हेतु बिना प्रतिबंधित जानवरों के मांस उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस मुक्त कराने हेतु सरकार से मांग

154–डा0 मो0 अयूब–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गो–वंश की हत्या के उन्मूलन के लिए अप्रतिबंधित जानवरों (भैंस, भैंसा, ऊंट) का सस्ता गोश्त उपलब्ध कराने की सरकार समुचित व्यवस्था (लाइसेन्स मुक्त) करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या–309/2003 लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य से सम्बन्धित मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय समिति'' का गठन किया गया है। इस समिति को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन हेतु कई दायित्व सौंपे गये हैं, जिसमें पशुवधशालाओं की स्थापना हेतु लाइसेंस निर्गत किया जाना भी सम्मिलित है। इस प्रकार प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित होने के कारण इस पर विचार किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में लव जेहाद जैसे नारे तथा ऐतिहासिक घटनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के कारण हो रहे विकास कार्यों की बाधा के सम्बन्ध में सौहार्द बिगाड़ने वाले के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र तथा हुई कार्यवाही की जानकारी

155–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लव जेहाद जैसे नारे तथा ऐतिहासिक घटनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत कर विकास को अवरुद्ध करने, सामाजिक समरसता एवं सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15–09–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य के उक्त पत्र दिनांक 15–09–2014 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को भेजा गया था, जिसके संदर्भ में पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था के पत्र दिनांक 13–11–2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 सदस्य के उपरोक्त पत्र में उठाये गये तथ्यों का विधिक परीक्षण कराकर कार्यवाही करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0/एन0जी0आर0बी0ए0 के अन्तर्गत सीवर निर्माण के अन्तर्गत किये गये टेण्डरों में लिये गये स्थानों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करवाना

156–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0/ एन0जी0आर0बी0ए0 के अन्तर्गत सीवर निर्माण के द्वितीय चरण 2014 में डिस्ट्रिक्ट सी के अन्तर्गत टेंडर कब विज्ञापित किया गया है तथा इसमें कौन कौन से मुहल्लें सम्मिलित किये गये हैं व किस कम्पनी को सीवर निर्माण का काम दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सेक्टर सी में चल रहा कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सीवर निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–सी के सीवरेज कार्यों की निविदा की विज्ञप्ति दिनांक 28–02–2014 को जारी की गई तथा दिनांक 04–03–2014 को समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुई।

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–सी के अन्तर्गत शिवकुटी, गोविन्दपुर, इंजीनियरिंग कालेज हास्टल एवं स्टाफ क्वार्टर्स, चांदपुर सलोनी, बघाड़ा, ईश्वरचरण एवं अल्लाहपुर क्षेत्र सम्मिलित हैं।

अभी यह कार्य किसी कम्पनी को नहीं दिया गया है।

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–सी के अन्तर्गत स्वीकृत सीवरेज कार्य के निर्माण अनुबन्ध गठन के पश्चात् अगले दो वर्षों में पूर्ण कराया जाना लक्षित है। इस अवधि में ही सीवर लाइन बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त सड़क की पुनर्स्थापन कार्य भी पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में सोलर लाइट लगाने में की गई धांधली की जांच से सम्बन्धित विषय पर प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

157–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय में टेण्डर कराकर लगाये जा रहे सोलर लाइट में बड़े पैमाने पर धांधली कर घटिया किस्म की सोलर लाइट लगायी जा रही है तथा 52 हजार रुपये की जगह 14500/ रुपये की लाइट लगायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–नं0–210932, दिनांक 01–09–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय की नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा वार्ड नं0–3 गिधौली चन्धासी में सड़क बनाने के टेण्डर में हुई धांधली की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

158–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय के अध्यक्ष द्वारा वार्ड नं0–3 गिधौली चन्धासी पावर हाउस के पास से सड़क बनवाने का टेण्डर निकाला गया था, जबकि उक्त स्थल पर कोई आबादी भी नहीं है ? नगरपालिका के धन का दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5 नं0–210931 दिनांक 07–09–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। उक्त पत्र संख्या–क–5 नं0 210931 दिनांक 07–09–2014 के स्थान पर पत्र सं0 क–5नं0 210931 दिनांक 01–09–2014 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा की गयी। सन्दर्भित स्थल विषयक आगणन की जांच लोक निर्माण विभाग से करायी गयी। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता कार्य कराने का औचित्य न पाये जाने के फलस्वरूप कार्य नहीं कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत ए0एन0एम0 सेन्टर के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

159–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत ए0एन0एम0 सेन्टर के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–/195058, दिनांक 15–9–2014 जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान वर्ष 2009–10 के तहत मुस्लिम बाहुल्य आबादी में स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाने के लिये जनपद को 25 ए0एन0एम0 सेन्टर का निर्माण कराये जाने हेतु रु0 6.90 लाख प्रति सेंटर ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के संयुक्त खाते में धन उपलब्ध करा दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक सभी सेंटर का निर्माण न कराये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 विधायक का सन्दर्भित पत्र दिनांक 15–09–2014 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

जी हां।

25 स्वास्थ्य उपकेन्द्रो के सापेक्ष 17 उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1 उपकेन्द्र निर्माणाधीन है। अवशेष उपकेन्द्र भूमि की अनुपलब्धता एवं निर्माण इकाई द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण अनारम्भ है। इन्हें तत्काल निर्माण कराकर पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।

भातखण्डे डीम्ड विश्वविद्यालय, लखनऊ का कोई नया कैम्पस गोरखपुर में स्थापित करने की मांग

160–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भातखण्डे डीम्ड विश्वविद्यालय, लखनऊ का कोई नया कैम्पस गोरखपुर में स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी–

भातखण्डे डीम्ड विश्वविद्यालय, लखनऊ का कोई नया कैम्पस गोरखपुर में किये जाने की कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में बन्द पड़े अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह का निर्माण गोरखपुर के किसी अन्य स्थल पर बनाने की सरकार की योजना की जानकारी

161–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर महानगर में बन्द पड़े अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह का निर्माण 1989 से अभी तक वैधानिक कारणों से पूरा न होने के कारण क्या सरकार गोरखपुर में किसी नये स्थल पर उक्त प्रेक्षागृह बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी–

जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षाग्रह का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका। गोरखपुर में किसी नये स्थल पर प्रेक्षागृह बनाने का प्रस्ताव प्रचलन में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में बक्शी बांध स्थित एस0टी0पी0 के रिंग बांध का निर्माण में व्यय हुई धनराशि की जानकारी तथा बांध पर सड़क का निर्माण की मांग

162–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में बक्शी बांध स्थित एस0टी0पी0 के रिंग बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो कब और अभी तक इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ? क्या सरकार उक्त बांध पर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इलाहाबाद में बक्शी बांध स्थित एस0टी0पी0 के रिंग बांध के निर्माण कार्य में बोल्डर पिचिंग, लांचिंग एप्रन एवं बन्धे के पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

इलाहाबाद में बक्शी बांध स्थित एस0टी0पी के रिंग बांध के पुनर्स्थापना के कार्य पर अब तक रु0 915.25 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है।

जी हां।

इलाहाबाद में बक्शी बांध स्थित एस0टी0पी0 रिंग बांध पर सड़क निर्माण, इण्टरलॉकिंग टाइल्स एवं पक्का पैरापेट के कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित की जा चुकी है। प्रश्नगत कार्य मार्च–2015 तक कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–54 बाबूपुरवा कालोनी में क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली की मरम्मत कराने की मांग

163–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 54 बाबूपुरवा कालोनी में ब्लाक नं0–206 दुर्गा मन्दिर से ब्लाक नं0–210 नया सेन्टर चौराहा तक सड़क एवं नाली क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को दिनांक 31–01–2015 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना के अन्तर्गत निर्मित ओवर हेड टैंकों में चालू बन्द टैंकों की स्थिति की जानकारी

164–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना के अन्तर्गत निर्मित ओवर हेड टैंकों में से कितने चालू हैं एवं कितने बन्द हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बन्द ओवर हेड टैंकों को कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 45 ओवर हेड टैंक प्रस्तावित हैं, जिनमें से 6 ओवर हेड टैंक के समस्त कार्य पूर्ण हैं एवं शेष निर्माणाधीन हैं।

39 नग ओवर हेड टैंक निर्माणाधीन हैं, जिनको मार्च, 2015 तक चालू किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के महाराजपुर क्षेत्र में एम0एल0डी0 ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाइन बिछाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

165–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र में 2500 एम0एल0डी0 ओवर हेड टैंक का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26–6–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक ओवर हेड टैंक निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के सन्दर्भित पत्र दिनांक 26–6–2014 में विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर के अन्तर्गत गोपालनगर एवं यशोदानगर क्षेत्र में 2500 कि0ली0 का एक ओरवहेड टैंक एवं पाइप लाइन बिछाये जाने की अपेक्षा की है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना फेज–2 में यशोदानगर पूर्वी एवं पश्चिमी वार्ड सम्मिलित है। यशोदानगर पश्चिमी वार्ड में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित किया हे, जिसके अन्तर्गत 1000 कि0ली0 क्षमता का भूमिगत जलाशय 1700 कि0ली0 क्षमता का शिरोपरि जलाशय निर्मित किया गया है। इस वार्ड में कुल 29.80 कि0मी0 जल वितरण प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध 20.38 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली बिछायी जा रही है तथा 9.42 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य प्रगति पर है यशोदानगर पूर्वी वार्ड में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित किया है, जिसके अन्तर्गत 1000 कि0मी0 क्षमता का भूमिगत जलाशय 1700 कि0ली0 क्षमता का शिरोपरि जलाशय निर्मित किया गया है। इस वार्ड में कुल 54.00 कि0मी0 जल वितरण प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध 41.61 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली बिछायी जा रही है तथा 12.39 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना के अन्तर्गत कितने सी0डब्लू0आर0 (क्लीयर वोटर रिजर्वायर) प्रस्तावित में चालू किये गये सी0डब्ल्यू0आर0 की स्थिति की जानकारी

166–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना के अन्तर्गत कितने सी0डब्लू0आर0 (क्लीयर वोटर रिजर्वायर) बनाया जाना प्रस्तावित था और उनमें से कितने चालू हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो सी0डब्लू0आर0 चालू नहीं हैं उनको कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0आर0यू0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर महानगर में कुल 75 सी0डब्ल्यू0आर0 प्रस्तावित हैं, जिनमें 6 सी0डब्ल्यू0आर0 चालू हैं तथा 69 निर्माणाधीन हैं, जिन्हें मार्च, 2015 तक चालू किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों में संविदा पर सेवा प्रदत्त कार्यरत सफाई कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की नीति निर्धारण की जानकारी तथा संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक के भुगतान में हो रहे शोषण को रोकना

167–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सहित पूरे राज्य में सफाई व्यवस्था हेतु संविदा पर सफाई कर्मचारियों को आउट सोर्स किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके स्थायीकरण हेतु सरकार कोई कार्य योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन्हें मिलने वाली पारिश्रमिक के भुगतान में हो रहे शोषण को रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश की अनेक निकायों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सफाई व्यवस्था हेतु आउट सोर्स के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को नियोजित किया गया है।

जी नहीं।

नगरीय स्थानीय निकायों में संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में न तो कोई नीति निर्धारित है और न ही विचाराधीन है।

नागर निकायों में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों (जिसमें सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित) के पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक में तत्काल खाता खुलवा कर चेक द्वारा भुगतान किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या–173/9–1–13–30 टी/13, दिनांक 09 जनवरी, 2014 द्वारा दिये गये हैं।

नगर निगम फिरोजाबाद की बिल्डिंग को मानक एवं आधुनिक सुविधाओं के अन्तर्गत निर्मित कराने की मांग

168–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवनिर्मित नगर निगम फिरोजाबाद का कार्य–संचालन पुराने नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद के भवन से ही संचालित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम के मानक एवं आवश्यकतानुसार एक नया आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम, फिरोजाबाद से भवन निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी कैन्ट क्षेत्र बंगाली टोला के पतालेश्वर तथा देवनाथपुरा नगवा के मलिन बस्ती भदेनी के माता आनन्दमयी आश्रम के पीछे के क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरण

169–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के बंगाली टोला के पतालेश्वर तथा देवनाथपुरा, नगवा के मलिन बस्ती, भदेनी के माता आनन्दमयी आश्रम के पीछे के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार की उपरोक्त क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की कोई योजना है यदि हां, तो वह कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

बंगाली टोला के पतालेश्वर तथा देवनाथपुरा, नगवा के मलिन बस्ती, भदैनी के माता आनन्दमयी आश्रम के पीछे के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी के द्वारा करायी जा रही है। जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी द्वारा पूर्व से ही गंगा नदी के जल का वितरण आवश्यक ट्रीटमेन्ट के उपरान्त किया जा रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल पुनर्गठन योजनाओं में गंगा नदी से सिस–वरुणा क्षेत्र में 125 एम0एल0डी0 एवं ट्रांसवरुणा क्षेत्र में 100 एम0एल0डी0 अतिरिक्त पानी लेकर आवश्यक ट्रीटमेन्ट के उपरान्त जनता को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

सिस–वरुणा क्षेत्र में एक शिरोपरि जलाशय की भूमि फरवरी, 2013 में प्राप्त हुई, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है। टैंक की टेस्टिंग की जा चुकी है। फीडरमैन के माध्यम से जलापूर्ति हेतु कार्य प्रगति पर है।

एक अन्य शिरोपरि जलाशय की भूमि पर विवाद होने तथा 05 शिरोपरि जलाशय की भूमि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शिरोपरि जलाशय का निर्माण विलम्ब से प्रारम्भ हो सका है। कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ओवर हेड टैंकों में चालू पानी की टंकी की स्थिति की जानकारी

170–श्री सलिल विश्नोई–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कानपुर महानगर में बनी लगभग 2 दर्जन ओवर हेड वाटर टैंक (पानी की टंकी) पानी वितरण के प्रयोग में उपयोग लायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 45 नग ओवर हेड टैंक प्रस्तावित हैं, जिसमें 6 चालू हैं तथा शेष 39 निर्माणाधीन हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में वित्तीय वर्ष 2012–13 में पांच गांवों में सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु अवमुक्त धन से कार्य पूर्ण कराने की मांग

171–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में वित्तीय वर्ष 12–13 में पांच गांवों में सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को प्रत्येक भवन की लागत 16.40 लाख रुपया स्वीकृत कर मार्च, 2013 में अवमुक्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि धन के उपलब्धता के बावजूद भी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अवगत करायेगी कि उक्त भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

एकीकृत विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद–बस्ती के पांच गांवों में पांच सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु प्रति भवन रु0 1640 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को प्रथम किस्त के रूप में प्रति भवन मात्र रु0 6.56 लाख की धनराशि मार्च, 2013 में अवमुक्त किया गया।

द्वितीय किश्त के रूप में प्रति भवन अवशेष धनराशि मु0 रु0 9.84 लाख, विलम्ब से माह मार्च, 2014 में प्राप्त हुई, जिस कारण निर्माण कार्य बाधित रहा।

वर्तमान में 03 सामुदायिक भवनों की छत का कार्य पूर्ण है तथा शेष 02 भवनों का कार्य लिन्टर स्तर पर है। उक्त सभी सामुदायिक भवनों का अवशेष निर्माण कार्य माह मार्च, 2015 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में स्थित धार्मिक कुण्ड लक्ष्मी कुण्डा में मछलियों के मर जाने के कारणों की जानकारी तथा कुण्ड के पानी आदि की समुचित व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

172–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में स्थित लक्ष्मीकुण्डा सफाई पिछले करीब दो दशक से न होने के कारण पिछले दो साल से वहां बड़े पैमाने पर अनुष्ठान के बाद मछलियां मरी पानी में उतराती हैं ? यदि हां, तो क्या

सरकार इन धार्मिक कुण्डों के मरम्मत, सफाई तथा पानी बदलवाने का कार्य कराने की कोई सुव्यवस्थित योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

लक्ष्मी कुण्ड की सफाई वर्ष 2002 में की गयी थी। कुण्डा में मछलियों की बहुतायत हो जाने एवं स्थानीय लोगों द्वारा अनुष्ठान के बाद कुण्ड में पूजन सामग्री एवं केमिकल युक्त मूर्तियां डाले जाने से मछलियों के मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः पिछले दो सालों में कुण्ड में मछलियां मर कर उतराती हुई पायी गयी।

उक्त तालाब घनी आबादी के मध्य स्थित है जिसकी लम्बाई 70 मीटर व चौड़ाई 40 मीटर है। यह कुण्ड पक्का बना हुआ है, जो ठीक स्थिति में है। आवश्यक्तानुसार त्योहारों पर कुण्ड के जल के ऊपरी सतह की सफाई करके पोटेशियम परमेग्नेट व बिना बुझा हुआ चूना डाल कर जल प्रदूषण दूर किया जाता है। साथ ही पम्प द्वारा पानी लिफ्ट करके आक्सिडेशन भी किया जाता है। कुण्ड के पानी को प्रदूषण से बचाने हेतु जागरूकता के लिये मूर्तियों एवं पूजन सामग्री न डालने के लिये वाल पेंटिंग करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोहल्ला माया नगर में पेयजल की सुविधा ठीक कराने तथा क्षतिग्रस्त सड़क बनाने विषयक प्रकरण

173–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मोहल्ला मायानगर के महल वाली रोड पर म0 नं0–495/42 के सामने लगे हैण्डपम्प खराब होने के कारण नागरिकों को पीने के पानी की असुविधा हो रही है तथा उक्त मोहल्ले में बाबूगंज पार्क की टंकी के पास पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण जलापूर्ति गन्दा एवं कम प्रेशर के साथ होने के कारण असुविधा हो रही है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बाबूगंज पार्क (सोहनलाल की चक्की के सामने वाली रोड) से म0नं0–495/84 मायानगर से आगे नाले की पुलिया तक रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं का निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बाबूगंज पार्क की टंकी के पास उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवर लाइन डालते समय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसकी मरम्मत करा दी गयी है। वर्तमान में क्लोरीनयुक्त स्वच्छ जलापूर्ति उचित दबाव में की जा रही है।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ द्वारा सीवर लाइन बिछाने हेतु रोड कटिंग की गई थी। सीवर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जल निगम द्वारा सड़क रेस्टोरेशन का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में आबादी के बढ़ने के कारण मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में नया स्लाटर हाउस खोलने हेतु लाइसेन्स जारी करने विषयक

174–डा0 मो0 अयूब–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के पहले से अप्रतिबन्धित बड़े जानवर जैसे भैंस, भैंसा, ऊंट आदि को काटने के लिये स्लाटर हाउस के लाइसेन्स जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि आज प्रदेश की आबादी कई गुना बढ़ गयी है और बहुत सारे नये कस्बे हो गये हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य है तथा उनका मुख्य आहार रोटी, चावल, गोश्त है परन्तु वहां स्लाटर हाउस नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार नीति की समीक्षा करके नये स्लाटर हाउस के लाइसेन्स जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–237 के अन्तर्गत नागर निकायों में पशुवधशाला के संचालन हेतु लाइसेन्स निर्गत किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अन्तर्गत भैंस/भैंसा, भेंड़/भेंड़ा, बकरा/बकरी का वध किया जाता है, जिससे स्थानीय उपभोग हेतु मांस की आपूर्ति होती है।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–237 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–423 के अन्तर्गत नागर निकायों में पशुवधशाला के संचालन हेतु लाइसेन्स निर्गत किये जाने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय मांस आपूर्ति हेतु भैंस/भैंसा, भेंड़/भेंड़ा, बकरा/बकरी का वध किया जाता है।

जनपद सन्त कबीर नगर में वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में कब्रिस्तानों की चहार दीवारी बनाने हेतु प्राप्त धन के सापेक्ष किये गये कार्यों की जानकारी तथा अवशेष कब्रिस्तान की चहारदीवारी जल्दी बनाये जाने की अपेक्षा

175–डा0 मो0 अयूब–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में जनपद सन्तकबीर नगर में कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कितनी ग्राम पंचायतों में कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी का निर्माण कराया गया तथा अवशेष कब्रिस्तानों की चाहर दीवारी का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु जनपद सन्तकबीरनगर में वित्तीय वर्ष

2012–13 में रु0 215.46 लाख तथा वर्ष 2013–14 में रु0 323.968 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

वर्ष 2012–13 में 21 ग्राम पंचायतों के 25 कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपलब्ध धनराशि से 17 ग्राम पंचायतों के 27 कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने हेतु आवंटित धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी गयी है, जिसके सापेक्ष 11 कब्रिस्तानों पर चहारदीवारी निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही शेष कब्रिस्तानों पर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में घटित साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गये विस्थापितों के लिए तैयार किये गये कैम्पों में रह रहे लोगों को जमीन देकर बसाये जाने का प्रकरण

176–डा0 मो0 अयूब –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में वर्ष 2013 के साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गये व विस्थापितों में से कितने लोग आज भी कैम्पों में रह रहे हैं ? क्या सरकार की कोई ऐसी कार्य योजना है जिससे की उक्त प्रकार की घटना पुनः न घटित हो ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कैम्पों में रह रहे लोगों को सरकारी जमीन देकर बसायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2013 के जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में घटित साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गये और विस्थापितों हेतु कोई कैम्प जिला प्रशासन की और से नहीं चलाया जा रहा है।

पुनः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा छोटी सी छोटी घटनाओं का तत्काल संज्ञान लिया जाता है। ऐसी किसी भी घटना जिससे साम्प्रदायिक हिंसा की लेश मात्र भी सम्भावना हो का तत्काल संज्ञान लेकर तुरन्त समुचित कार्यवाही की जा रही है, तथा ऐसी समस्याओं का तत्काल समाधान कराकर किसी भी सम्भावित घटना को रोकने की कार्यवाही की जाती है।

जी नहीं। क्योंकि वर्ष 2013 के जनपद मुजफ्फरनगर, शामली व आस–पास के जनपदों में घटित साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को कुल रु0 15,00,000/– की दर से आर्थिक सहायता तथा मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में सेवायोजित किया गया है और विस्थापित प्रत्येक परिवार के मुखिया को 5,00,000/– की दर से पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता वितरित की गयी है।

जनपद कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के वार्ड–77 श्यामनगर में सड़क, नाली बनाये जाने की मांग

177–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 77 श्यामनगर में ई ब्लाक म0 नं0–25 श्री के0पी0 यादव के मकान से श्री जयशंकर तिवारी के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त स्थल निजी सोसायटी क्षेत्र है। शासनादेश संख्या–5097/9–अ–3–2001(अ0व0), दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यह कि विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के वार्ड–28 के अन्तर्गत कृष्णा नगर के पुरानी पुलिस चौकी के पीछे शनिदेव मन्दिर के पीछे सड़क एवं जल निकासी की व्यवस्था कराने विषयक

178–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 28 के अन्तर्गत कृष्णा नगर में पुरानी पुलिस चौकी के पीछे शनिदेव मन्दिर के पीछे सड़क एवं जल निकासी न होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास कार्य को करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा के वार्ड–28 के अन्तर्गत कृष्णा नगर में पुरानी पुलिस चौकी के पीछे का क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश सख्या–5097/नौ–अ–3–2001 (अ0वि0), दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–53 देहली सुजानपुर बड़ा पार्क दक्षिण की ओर ई0डब्लू0एस0–33 से ई0डब्लू0एस0–49 तक की सड़क का निर्माण कराया जाना

179–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 देहली सुजानपुर बड़ा पार्क दक्षिण की ओर ई0डब्लू0एस0 33 से ई0डब्लू0एस0 49 तक सड़क निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को

परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र में उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम के विकास कार्य वित्तीय वर्ष, 2013–14 के अन्तर्गत वर्तमान में इस जोन/वार्ड में स्वीकृत बजट में धन उपलब्ध नहीं है। अतः धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

180–श्री दीपक पटेल–

खदिनांक 14–11–2014 को अता0प्र0सं0–126 द्वारा उत्तरित,

जनपद बस्ती में नव सृजित नगर पंचायत के भवन आदि का निर्माण कराने की मांग

181–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नवगठित नगर पंचायत रूधौली की नगर पंचायत भवन का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नव सृजित नगर पंचायत रूधौली बाजार जनपद बस्ती के कार्यालय भवन निर्माण अवस्थापना विकास कार्य आदि के लिये जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा धनराशि की मांग की गई है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रदेश में अजैविक कचरे को पूर्णतः निस्तारण करने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

182–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अजैविक कचरे के पूर्णतः निस्तारण की कोई कार्य योजना बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रदेश के 177 नगरों की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की (जैविक/अजैविक कचरे) रु0 2410.00 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर विश्व बैंक से वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को सितम्बर, 2014 में प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के क्षेत्र चमरुउवा में नगर पंचायत बनाये जाने विषयक

183–श्री अली यूसूफ अली–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरउवा में कोई नगर पंचायत नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार चमरउवा में नगर पंचायत बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र चमरौआ में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, जो शासनादेश दिनांक 28–08–2014 के अन्तर्गत नगर पंचायत सृजन हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती हो।

जनपद गोरखपुर में चहारदीवारी विहीन कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाये जाने की मांग

184–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद गोरखपुर के चहारदीवारी विहीन कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

अल्संख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वर्ष 2013–14 में जिला कार्यान्वयन/चयन समिति द्वारा 43 ग्रामों के 57 स्थल चयनित किये गये, जिनमें से 31 स्थलों पर कार्य पूर्ण हो गया है, 25 स्थलों पर निर्माणाधीन है। 01 स्थल पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के ग्राम दोद आलमपुर ब्लाक शेरगढ़, तहसील मीरगंज में देवस्थान के रास्ते पर से अवैध कब्जा हटाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

185–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दोद आलमपुर, ब्लाक शेरगढ़, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली में देवस्थान के रास्ते पर से अवैध कब्जे को हटाकर रास्ता खुलवाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10520827/2014, जो जिलाधिकारी, बरेली को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

देवस्थान पर जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर 144 वर्ग मीटर भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण को हटवाकर रास्ता खुलवा दिया गया है।

जनपद आगरा के 30, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के गांव देवरौठा में पृथ्वीनाथ रेलवे फाटक से रेलवे लाइन के सहारे देवरौठा रेलवे फाटक तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग तथा नाली को ठीक कराया जाना

186–श्री काली चरन सुमन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव देवरौठा में पृथ्वीनाथ रेलवे फाटक से रेलवे लाइन के सहारे देवरौठा रेलवे फाटक तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण जगह–जगह गहरे गड्ढे हो जाने से आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त सड़क जगह–जगह पर क्षतिग्रस्त है।

उपरोक्त क्षेत्र में नगर निगम सीमा के अन्तर्गत शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या–75 पृथ्वीनाथ फाटक से आजमपाड़ा अम्बेडकर वाटिका तक हॉटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार एवं साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग तथा नाली/नाला मरम्मत कार्य का आगणन तैयार किया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद शहर के विभिन्न मार्गों/चौराहों पर लगे ट्रेफिक सिग्नल जो खराब हो चुके हैं, को पुनः चालू कराना

187–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद शहर के विभिन्न मार्गों/चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल जो बन्द हैं, को क्या सरकार यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने हेतु पुनः चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम सीमांतर्गत नगर के प्रमुख दस चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर क्रियान्वित की गयी है। दसों चौराहों–बालसन चौराहा, मेडिकल कालेज चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा, इन्कम टैक्स चौराहा, सुभाष चौराहा, हाटस्टेप चौराहा, यांत्रिक चौराहा, गवर्नमेन्ट प्रेस चौराहा, धोबीघाट चौराहा तथा म्योहाल

चौराहा पर सिग्नल चालू हालत में हैं। अन्य चौराहों पर भी सिग्नल व्यवस्था पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में खराब यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने विषयक

188–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में खराब यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कानपुर नगर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान एवं शमन शुल्क की कार्यवाही की जा रही है तथा नो पार्किंग जोन में खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध क्रेनों के माध्यम से लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिन स्थानों पर ओवरब्रिज/समान्तर पुल का निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सुगम यातायात संचालन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु निम्नलिखित कार्य योजना है :–

1–समस्त चौराहों पर जेब्रा/स्टॉप लाइन का निर्माण कार्य कराया जाना।

2–ट्रैफिक बूथ/आईलैण्ड का निर्माण।

3–एकल मार्ग व्यवस्था लागू किया जाना।

4–नो टैम्पो जोन लागू किया जाना।

5–यातायात पुलिस की जनशक्ति में विद्यमान रिक्तियों को पूर्ण कराना।

6–नगर का अतिक्रमण हटाया जाना, सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण तथा मार्ग विभाजक बनवाना।

7–टैम्पो/आटो को निर्धारित स्टैण्ड से संचालित कराया जाना।

8–नो टैम्पो जोन के रूट पर नगर बस के लिए शेल्टर व पानी आदि की व्यवस्था कराया जाना, नो टैम्पो जोन का बोर्ड लगाया जाना।

9–यातायात संकेतो के बोर्ड लगवाया जाना।

10–यातायात पुलिस हेतु छोटी क्रेनों की खरीदारी किया जाना।

11–नगर में बारिश के दौरान गिरने वाले पेड़ आदि को काटने के लिए डिजास्टर वैन की व्यवस्था कराया जाना।

12–इण्टरसेप्टर की भांति अन्य मोबाइल ट्रैफिक वैन प्रमुख सड़कों पर लगाया जाना।

13–ट्रैफिक सिग्नल लाइटों का निर्माण कराया जाना।

14–टैम्पो/विक्रम के मार्गों का निर्धारण किया जाना।

15–टैम्पो के परमिट का नवीनीकरण बन्द किया जाना। नगर में केवल आटो को ही परमिट दिये जाने की कार्यवाही कराया जाना।

16–नगर बसों की संख्या एवं उनका संचालन बढ़ाया जाना।

17–महानगर में ''यातायात प्रशिक्षण विंग'' की स्थापना कराया जाना।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती करने की सरकार की कार्य योजना

189–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती करने की सरकार कोई कार्य योजना बनाने व उसे लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासनादेश दिनांक 15–03–2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) प्रतिबन्धित कर दिया गया था किन्तु, शासनादेश दिनांक 18–04–2012 द्वारा मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन तथा शासनादेश दिनांक 11–06–2012 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अन्य उच्च शिक्षा से जुड़े विभागों की संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों (यथा–असिस्टेण्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर आदि) के पदों को भी भर्ती पर प्रतिबन्ध विषयक शासनादेश दिनांक 15–03–2012 से मुक्त कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त जिन विभागों में पदों को भरा जाना अपरिहार्य है, उन विभागों से पदों को भरे जाने की अपरिहार्यता के औचित्य सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उनका परीक्षण कर उक्त शासनादेश दिनांक 15–03–2012 के प्रतिबन्ध से मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

190–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी, अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो जाय।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बंटवा दी जाय।

(प्रतियां वितरित की गईं।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

हां बतायें।

आज की कार्य–सूची में 10 प्रश्नों का उत्तर आने पर श्री अध्यक्ष को बधाई तथा महिला उत्पीड़न हेल्प लाइन की तरह व्यापारियों का संरक्षण देने हेतु हेल्प लाइन नम्बर चालू कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने कृपापूर्वक दस प्रश्नों का उत्तर दिलवाया उसके अतिरिक्त अल्पसूचित प्रश्न भी आ गये, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या–08 है मा0 श्री सुरेश राणा जी का, उसके सम्बन्ध में मा0 सदस्य यह जानना चाहते थे कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न के लिए 1090 हेल्पलाइन नम्बर दे दिया, उसी प्रकार से इस प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है व्यापारियों से रंगदारी वसूलने की और यह कमोवेश उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में है। मान्यवर, वह पूछ रहे थे कि क्या इस सम्बन्ध में कोई हेल्पलाइन नम्बर होगा, जिससे व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उस नम्बर पर फोन कर के, उस पर संरक्षण प्राप्त कर सकें। तो मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं जो समस्या पूरे प्रदेश में निहित है, उसमें हम लोग विशेष रूप से चाहते हैं कि आप पीठ से निर्देश दे दें कि कम से कम इस सम्बन्ध में भी एक हेल्पलाइन हो जाय, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न के लिए की गई, वह एक अच्छा कदम होगा और इस सरकार की उपलब्धियों में यह जोड़ा जायेगा, इसलिए मान्यवर, यह बहुत आवश्यक है कि एक ऐसी हेल्पलाइन चालू करवा दें। इस पर मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको और मा0 मुख्यमंत्री जी से बात कर के इस पर कुछ कहूंगा। अब आप बैठ जायं।

प्रश्नों का उत्तर भ्रमात्मक तथा त्रुटि पूर्ण आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप बैठ जांय, जब समय आयेगा, तब बताइयेगा। मा0 नेता प्रतिपक्ष, आप इनको समझाइये।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जो सरकार से सूचना आई है, वह सूचना भ्रमात्मक है, त्रुटिपूर्ण है, आपका संरक्षण प्राप्त कर के यह केवल उसी का निदान चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आप जानते हैं, हमारी नियमावली में विधान है कि अगर कोई त्रुटिपूर्ण है तो उसके नियमों के अन्तर्गत उस मामले को उठाया जाता है और उस पर कार्यवाही भी होती है तो अगर कोई प्रश्न इनकी नजर में त्रुटिपूर्ण है तो आप देखें उसमें नियम–63 है, तमाम सेक्शन हैं, आप उसके अन्तर्गत लायें, उस पर कार्यवाही होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ठीक है मान्यवर।

ख12.24, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17–11–2014 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :–

पहली सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में घाघरा नदी के किनारे तटबन्धों को बनाये जाने हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के मालिकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के गांव सोनियापार एवं जनपद आजमगढ़ के गांव भगवानपुर के मध्य गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री प्रदीप चौधरी की दिल्ली–सहारनपुर यमुनोत्री राजमार्ग के लम्बित (फोर लेन) निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी को ए0सी0पी0 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम सभा व पोस्ट–खजुरी के कृषक को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की महानगर बरेली में थाना बारादरी से बरेली कालेज तक ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री ओम कुमार की है।

(मा0 सदस्य श्री ओम कुमार का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

नौवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पश्चिमपुरी में नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री बृजेश वर्मा की जनपद हरदोई के ग्राम दारूकुइयां से जलालाबाद तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र उर्फ ब्रजेश सिंह की (अनुपस्थित रहने पर)

बारहवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की प्रदेश के प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की पश्चिमी गण्डक नहर से विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त जलमग्न की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के टाउन एरिया में उप मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

इसमें 02 मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है इसलिये पहली सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की और दूसरी सूचना श्री सुरेश बसंल की ले ली गई है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं:–

1. श्री अमर पाल शर्मा
2. श्री सुरेश कुमार खन्ना
3. श्री सतीश महाना
4. श्री रामचन्द्र यादव
5. श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)
6. श्री मनीष असीजा
7. श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव
8. श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
9. श्री अगयश राम सरन वर्मा
10. श्री धर्मपाल सिंह
11. श्री अलगू प्रसाद चौहान
12. श्री भीम प्रसाद सोनकर
13. श्री विजय कुमार पासवान
14. श्री जय प्रकाश अंचल
15. श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
16. श्री दलवीर सिंह

17. श्री सन्तराम कुशवाहा
18. श्री जय प्रकाश निषाद
19. श्री उमाशंकर
20. श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
21. श्री राजेश त्रिपाठी तथा
22. श्री आशीष कुमार यादव

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में घाघरा नदी के किनारे तट बन्धों को बनाये जाने हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के मालिकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

ख्महोदय,

जनपद गोरखपुर के खजनी विधान सभा के खजनी तहसील अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे वर्षों पहले तटबन्ध बना जिसमें लगभग 50 गांवों की भूमि ली गयी और उनका उचित मुआवजा भी दिया गया परन्तु उस मुआवजा से कुछ गांव जैसे मकरहा गायघाट और कुछ अन्य गांव उस मुआवजा से बाकी रह गये। बाकी गांवों में भू–स्वामी गरीब किसान है उनके पास कम जमीन है वह भी बन्धें में ले लिया गया और अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया जिससे वे किसान भुखमरी के कगार पर है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खजनी विधान सभा के खजनी तहसील में घाघरा नदी के किनारे बने तटबन्धों के मुआवजा से वंचित गांवों को तत्काल नई घोषित सर्किल रेट पर मुआवजा दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद गाजीपुर के गांव सोनियापार एवं जनपद आजमगढ़ के गांव भगवानपुर के मध्य गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्मान्यवर,

हमारे विधान सभा क्षेत्र का सबसे गम्भीर प्रश्न यह है कि मेरे विधान सभा के उत्तर तरफ का आखिरी गांव सोनियापार तथा आदरणीय नेता जी का दक्षिण ओर का आखिरी गांव भगवानपुर के बीच में गांगी नदी बहती है जिस पर आजादी से लेकर अभी तक लोग बल्ली और पटरो का सहारा लेकर इस पार से उस पार आते जाते हैं जिसे प्रायः पटरे टूट जाने के कारण कई अप्रिय घटनायें घटित हो चुकी हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि दोनों जिलों को जोड़ने एवं ग्रामों के

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास को दृष्टिगत रखते हुए मात्र 52 मी0 का पुल बनवाने की मांग करता हूं। इसी के साथ–साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही धुवार्जुन तथा कांदर नहर के ऊपर पुलिया बनवाने हेतु भी सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि बलिया जनपद में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत धांधली हो रही है। पात्रों का चयनित लिस्ट में अपात्र व्यक्तियों का चयन किया गया है। शासन द्वारा 20 (बीस) प्रतिशत कोटा जो अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित था। उसको भी ग्राम सभा वार्ड न देकर कुछ गांव में सीमित कर दिया गया है और वहां भी कोटे के अनुसार पात्रों का चयन न करके रिक्त घोषित कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण विभाग में धोखाधड़ी एवं हेराफेरी एवं धन उगाही का कार्य बहुत दिनों से चल रहा है इस विभाग में 20 साल से जो बाबू बैठे है वह शासन के मन्सा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे है और केवल धन उगाही करके प्रधानों का भी शोषण कर रहे हैं और अपना हित साध रहे है। बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन योजना एवं वृद्धा पेंशन में हेराफेरी किया गया है। मेरे क्षेत्र के ग्राम–पूर, किकोड़ा, डुहाबेड़ा, सिहटा सीसोटार, नरहनी, जिगिड़सर, खड़सरा, एकइल, सरसी, जवानगर, बिजलीपुर आदि अनेकों गांव के जनता को जबरजस्त शिकायत एवं आक्रोश व्याप्त है। मैं इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को भी अवगत कराता हूं, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से कार्यवाही किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मांग करता हूं।,

दिल्ली–सहारनपुर यमनोत्री राजमार्ग के लम्बित (फोर लेन) निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्महोदय,

अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली, सहारनपुर, यमनोत्री राजमार्ग पिछले 4–5 वर्षों से अत्यन्त दयनीय स्थिति में है। इस मार्ग का फोर लेन हेतु टैण्डर भी हो गया है,

---

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परन्तु कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ। इस मार्ग पर जो गांव पड़ते हैं उन गांवों में यातायात के कारण इतनी धूल उड़ती है कि क्षेत्रवासी बीमारियों का सामना कर रहे है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग का कार्य अविलम्ब चालू होना चाहिए। ताकि यातायात के साथ–साथ क्षेत्रवासी भी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी को ए0सी0पी0 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को एक ही पद पर लगातार 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड पे रु0 2400/– का लाभ प्रदान कर दिया गया है किन्तु वर्तमान में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को ग्रेड पे रु0 2800/– दिया जा रहा है। जबकि पुलिस विभाग में ग्रेड पे रु0 2800/– मौजूद ही नहीं है। अब 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ ग्रेड पे रु0 4200/– प्रदान नहीं किया जा रहा है। जिससे पुलिस विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करते हुए द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ ग्रेड पे 4200/– का भुगतान कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।,

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम सभा व पोस्ट–खजुरी के कृषक को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे–

ख्महोदय,

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम सभा व पोस्ट–खजुरी, निवासी देवनारायण पुत्र खूबलाल, कृषक का दिनांक 10–08–2013 को मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हुआ था। पी0एम0 आदि की सभी आवश्यक कागजात मृतक के परिजनों द्वारा जमा करने के बावजूद अभी तक मृतक देवनारायण पुत्र खूबलाल को किसान दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उक्त असहाय परिवार भुखमरी के कगार पर है। जिनको उक्त सरकारी लाभ दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

महानगर बरेली में थाना बारादरी से बरेली कालेज तक ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महानगर बरेली काफी पुराना व बड़ा शहर है इस शहर का क्षेत्रफल तथा आबादी काफी बढ़ी है। जिससे सड़क पर आवागमन काफी अधिक हो जाने से आये दिन जाम की समस्या से आम जनता को परेशानी हो रही है। शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिये शहर के उत्तरी तथा दक्षिणी छोर को आपस में जोड़ने के लिये थाना बारादरी से बरेली कालेज तक एक ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त ओवरब्रिज का निर्माण जनहित में कराने का कष्ट करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पश्चिमपुरी में नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन–

ख्महोदय,

कृपया अवगत करना है कि जनपद–आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पश्चिमपुरी कालोनी, सिकन्दरा आगरा में मकान नं0–289 से लेकर मकान नं0–333 तक कच्चा एवं खराब रास्ता है, जल भराव एवं बड़े–बड़े गड्ढे होने के कारण आवागमन हेतु स्थानीय निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे आवागमन बाधित होता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण एवं इण्टरलॉक, सी0सी0 निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद हरदोई के ग्राम दारूकुइयां से जलालाबाद तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार–

ख्महोदय,

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मल्लावां जनपद हरदोई में ग्राम दारूकुइयां से गंज जलालाबाद तक की रोड अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, बड़े–बड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

ख्श्रीमान्

अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की प्रक्रिया गतिमान है किन्तु इस प्रक्रिया में डायट प्राचार्यों ने अभ्यर्थियों का डाटा सही–सही फीड न करने की वजह से इस प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब एवं अफरा तफरी का माहौल बन गया है। डायटों के यह प्राचार्य एन0आई0सी0 को सही डाटा प्रेषित नहीं कर रहे है क्यों कि इसका सबसे ताजा उदाहरण विगत 2 नवम्बर को तृतीय काउंसलिंग हेतु एन0आई0सी0 द्वारा जारी कट आफ एवं रिक्तियों में तथा डायटों पर उपलब्ध रिक्तियों में भारी अंतर है जिससे यह प्रक्रिया प्रतिदिन विवादास्पद बनती जा रही और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा में समस्याओं का उचित निस्तारण न करने से अभ्यर्थियों में असमंजस एवं भ्रम की स्थिति बनती जा रही है जिसके कारण किसी न किसी डायट पर रोज पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि इस समस्या का सबसे बड़ा कारण डायट प्राचार्यों द्वारा आवेदन–पत्रों एवं प्रत्यावेदनों का समय पर निस्तारण एवं फीडिंग में विलम्ब करना है, एवं काउंसलिंग हेतु रिक्तियों के सापेक्ष दस गुना अभ्यर्थियों के बुलाने से इस प्रक्रिया में फर्जीबाड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्योंकि जब यह प्राचार्य इतने लम्बे समय में अपने यहां आवेदन–पत्रों की स्कूटनी एवं फीडिंग नहीं कर पाये वह हजारों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पारदर्शी तरीके से कैसे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में डायट प्राचार्यों द्वारा की जा रही हीला–हवाली से अभ्यर्थियों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से इस प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी डायट प्राचार्यों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न मार्गों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है इन मार्गों पर भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है जिससे क्षेत्रवासियों एवं किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा चूंकि अब गन्ने का पेराई सत्र भी चालू होने जा रहा है ऐसे में किसानों को बुग्गी व ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा गन्ने को मिल तक पहुंचाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सड़क खराब होने के कारण कई बार किसानों के साथ दुर्घटनाएं हो चुकी है। जिसके कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। यह मामला जनहित से सम्बन्धित है। मार्गों की सूची निम्नवत् है :–

1–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम नाहली से ग्राम अमीपुर तक सड़क।

2–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम ईशापुर से ग्राम भदौला होते हुए ग्राम त्योडी–13 तक।

3–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम किल्हौड़ा में बम्बे की पटरी से ग्राम करतला तक।

4–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम तिवड़ा से ग्राम जहांगीरपुर वाली सड़क तक।

5–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत रजवाहे की पटरी मोदीनगर हापुड़ मार्ग से मोदीनगर कलछीना मार्ग तक सड़क।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने एवं उक्त मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

पश्चिमी गण्डक नहर से विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त जलमग्न की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर बाल्मिकि नगर नेपाल राष्ट्र से निकलकर बिहार राज्य तक जाती है जिससे किसानों की सिंचाई का कार्य कराया जा रहा है। इस नहर में अतिरिक्त पानी को खारिज करने हेतु जगह–जगह स्केपों का निर्माण कराया गया है। जनपद कुशीनगर में सेखपुरा स्केप 89.800 कि0मी0 एवं मंझरिया स्केप 115.400 कि0मी0 पर स्थित है। इन दोनों स्केपों का अस्तित्व इधर–उधर बदलता रहता है जिससे पानी इधर–उधर फैल जाता है। सेवरही वि0ख0 एवं दुदही वि0ख0 के लगभग 50 गांव की लगभग हजारों एकड़ फसलें हर वर्ष बर्बाद हो जाती हैं तथा कई गांव व हजारों एकड़ भूमि भी विलीन हो गई है जिससे अगल–बगल के गांव जलमग्न हो जाते हैं, एवं आवागमन बाधित हो जाता है तथा फसलें बर्बाद होने के साथ–साथ इन गांवों के विलीन होने की आशंका बनी रहती है। नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण अत्यन्त गरीब एवं असहाय किस्म के लोग हैं। फसलें बर्बाद हो जाने से भुखमरी के

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कगार पर आ जाते हैं। इन स्केपों से होने वाली बर्बादी को दृष्टिगत रखते हुए इसे बन्द करना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के टाउन एरिया में उप मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की टाउन एरिया केमरी में उप मंडी निर्माण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है तथा मण्डी न होने के कारण कृषक को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण कृषक को अपनी पैदावार का अनाज विचौलियों को बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। इस कारण कृषकों में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यहां पर सिंचाई विभाग की भूमि मंडी समिति निर्माण के लिये चयनित कर ली गई है जिसका मूल्य मंडी परिषद् द्वारा एक करोड़ पिचहत्तर लाख रुपये का भुगतान सिंचाई विभाग को कर दिया है। यह भुगतान लगभग दो वर्ष पूर्व कर दिया गया है मगर अभी तक मंडी समिति का निर्माण टाउन एरिया केमरी में नहीं हुआ है जिसके कारण जनता व कृषकों में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है यदि यहां पर मंडी समिति का निर्माण अविलम्ब नहीं कराया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्मान्यवर,

लोकतांत्रिक प्रणाली में शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जन कल्याणकारी, शासन–प्रशासन का अनिवार्य प्रमुखता है। जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों का बुरा हाल है। कहीं आवश्यक संसाधन तो कहीं डाक्टरों का अभाव बना हुआ है। सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति न होने की वजह से क्षेत्र के रोगियों को झोलाछाप डाक्टरों से इलाज कराने की विवशता बन गयी है। इस संवेदनहीन स्थिति के लिए जिला प्रशासन के साथ–साथ शासन भी जिम्मेदार है। जनपद स्तर पर भी स्थित चिकित्सालयों का लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालय से भिन्न नहीं है। दिनांक 05–11–2014 को दैनिक जागरण में प्रकाशित ओ0टी0 से मरीज को कर

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया गया रिफर की हेडिंग से प्रकाशित खबर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि डाक्टरों के द्वारा मरीजों के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता है।

जनपद बस्ती के रानी तलाश कुंवरी महिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला मरीज सविता सिंह को चिकित्सक डा0 ममता ने देखा और उसे तत्काल भर्ती कराकर जांच आदि कराने को कहा। जिस पर महिला मरीज के साथ आये अभिभावक के द्वारा चिकित्सालय में उपलब्ध जांच संसाधन का लाभ उठाते हुए जांच करवाकर डा0 ममता को दिखाया। डा0 ममता ने जांच रिपोर्ट देखते हुए भड़क गयी। क्योंकि जांच के लिए उन्होंने एक प्राइवेट पैथालोजी तथा अल्ट्रासाउण्ड के लिए प्राइवेट सेन्टर का नाम बताया था। उक्त केन्द्रों पर जांच न कराये जाने के कारण डा0 ममता का गुस्सा गर्भवती महिला के ऊपर टूट पड़ा। इसी बीच गर्भवती को आपरेशन थियेटर में पहुंचाया जा चुका था, गम्भीर स्थिति के बावजूद भी महिला को यह कहते हुए अन्य अस्पताल में रिफर कर दिया गया कि अस्पताल की जांच रिपोर्ट पर मुझे विश्वास नहीं है और मरीज को रिफर किये जाने की सम्पूर्ण औपचारिकता ओ0टी0 में पूर्ण कर दिया। जबकि अभिभावक के द्वारा बार–बार डाक्टर से अनुनय विनय करने के पश्चात भी डा0 ममता का गुस्सा कम नहीं हुआ। मामले की जानकारी सी0एम0एस0 डा0 सरोजबाला को भी दी गयी लेकिन उन्होंने भी डा0 ममता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। उपरोक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि चिकित्सालयों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच उपकरण पर डाक्टरों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता तथा जांच के लिए प्राइवेट सेन्टरों पर मरीजों को भेजना यह प्रदर्शित करता है कि सरकार द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जबकि मा0 मुख्य मंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि बिना उपचार के रोगियों को वापस न किया जाय। डा0 ममता के द्वारा महिला गर्भवती श्रीमती सविता सिंह के साथ किया गया व्यवहार निन्दनीय है। जिसके लिए कार्यवाही किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

महानगर गाजियाबाद के जी0टी0 रोड चर्च से दवाई मार्किट तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत जी0टी0 रोड चर्च से एक मुख्य सड़क जो नई बस्ती दवाई मार्किट के अन्दर टी प्वाइन्ट तक जाती है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, हजारों की संख्या में लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं, यह एक मुख्य सड़क है।

गाजियाबाद में दवाइयों की यह एक मशहूर थोक की मार्किट है यहां बाहर से लोग काफी संख्या में थोक में दवाइयां खरीदने आते हैं।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित में जर्जर हालत में इस सड़क पर चलना दूभर हो रहा है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को नियम–300 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई है।

लेकिन इसमें मेरा मा0 सदस्यों से निवेदन है कि जब आप नियम–300 की सूचना दें तो उसमें सड़क, नाली निर्माण को नहीं लिया जाता है और इसके लिये आपको सम्बन्धित किताबों को पढ़ना चाहिये कि नियम–300 में क्या–क्या चीजें आती हैं और उसी को उठाना चाहिये।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की विधान सभा की कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–14 के प्राविधान के अनुसार एक वर्ष में विधान सभा के 90 उपवेशन न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकृत बजट की स्वीकृतियों का विवरण और खर्च की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये बिना वित्तीय वर्ष 2014–15 का अनुपूरक बजट लाये जाने के सम्बन्ध में है। यह ग्राह्य नहीं है।

तीसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर उपवेशन से एक दिन पूर्व उपलब्ध कराने के मा0 अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद उक्त प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

डा0 साहब, इसमें यह है कि प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व नहीं, जब आप सवेरे आते हैं तो उसके पहले सबको उत्तर तो मिल ही जाता है। सबको उत्तर मिल जाता है, अगर न मिले तो शिकायत करिये। यह इसका विषय नहीं है।

चौथी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के थाना क्षेत्र फखरपुर के ग्राम ढपरापुर में दिनांक 08–09–2013 को मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना में की गयी द्वेषपूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष पीठ के निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना कैंसिल है।

पांचवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की शारदा सागर प्रणाली की बीसलपुर शाखा नहर तथा शारदा नहर प्रणाली की निगोही शाखा नहर एवं जनपद शाहजहांपुर की शाहजहांपुर शाखा नहर में सिल्ट की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री रामहेत भारती की सीतापुर के हरगांव विकास खण्ड में बाकीपुर चक से ग्राम ददवारा तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री उमाशंकर की गरीब रोगियों के इलाज हेतु मा0 मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष एवं विधायक निधि से मिलने वाली धनराशि की औपचारिकतायें पूर्ण करने में विलम्ब होने पर चिकित्सालयों द्वारा अनुपालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना डा0 मो0 अय्यूब की वर्ष 2014 के तृतीय सत्र में प्रथम शुक्रवार को लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या–84 एवं 85 को दिनांक 14 नवम्बर, 2014 की कार्य–सूची में निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

देखिये, निरस्त करने के लिये सरकार जब लिख देती है कि इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है तो फिर वह निरस्त कर दिया जाता है। अब मा0 खन्ना जी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली–1958 के नियम–14 के अनुसार एक वर्ष में विधान सभा के 90 उपवेशन न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस नियम–300 सूचना पर विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, हम आपके माध्यम से इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कम से कम इस नियमावली का पालन इस सरकार की ओर से जरूर किया जायेगा। मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था है और मैं पहले भी कई बार आपका ध्यान आकर्षित कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको हर सत्र में उठाते हैं और सबकी सरकारों में आपने इसको उठाया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लेकिन ऐसा है कि हम इस पीठ का संरक्षण आपसे चाहते हैं। जब से यह सरकार आई है, तब से वर्ष 2012 में 28 दिन के उपवेशन हुये, 2013 में 30 दिन के उपवेश हुये और 2014 में अगर ये 6 दिन शामिल कर लें तो 25 दिन के उपवेशन होते हैं। मान्यवर, आप नियमावली देख लें, आप भिज्ञ हैं। नियमावली के नियम–14 में यह व्यवस्था दी है कि अनु0–174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन अर्थात् आय–व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव 2 माह के अन्तराल पर कम से कम 10 दिन कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, यह नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, दो सत्र हुये हैं, एक फरवरी में हुआ है, दूसरा आय–व्ययक हुआ। वर्षाकालीन सत्र मान्यवर, गोल कर दिया गया। वर्षाकालीन सत्र पास कर दिया गया। मान्यवर, यह शीतकालीन सत्र आहूत किया गया। मान्यवर, नियमावली में अगर 10 कार्यकारी दिवस को ही अगर मान लेते, तो यह सत्र भी कम से कम 10 कार्यकारी दिवस का होना चाहिए था। यानि उल्लंघन दर उल्लंघन, अवहेलना–दर–अवहेलना मान्यवर, शासन का इकबाल तब हो जाता है, जब स्वयं शासन की ओर से नियमावली का अनुपालन नहीं होता और अगर सत्र मान्यवर, पूरा चले। अगर पूरे 90 दिन सत्र चलाया जाये तो बहुत–सी समस्यायें ऐसी होंगी जिनका सत्र के चलने से ही निराकरण हो जायेगा और सम्बन्धित को न्याय मिल जायेगा। तो सत्र के चलने से जितने भी यहां पर सदस्य हैं मान्यवर, सभी का इसमें लाभ होता है और इसीलिए नियमावली में इसका प्राविधान किया गया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अब आप देखिए मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी आप तो सर्वशक्तिमान हैं।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी आप आगे कहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सरकार को इस बात के निर्देश अवश्य दें कि कम से कम इस नियम का पालन अवश्य करायें। इससे पूरे सदन का हित मान्यवर, जुड़ा है और सारे माननीय सदस्यों का इससे हित जुड़ा है। आपने मान्यवर, अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, कुछ कहेंगे इस पर, 90 दिन पर। नहीं कहेंगे ठीक है चलिए। इसमें लिखा हुआ है अधीन रहते हुए साधारणतया, साधारणतया है आप बैठिये, प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन आय–व्ययक अधिवेशन होंगे, वर्षाकालीन अधिवेशन होंगे, ये 90 दिन की कम्प्लशरी गारन्टी या अनिवार्य नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमको अवसर देंगे एक मिनट का।

श्री अध्यक्ष–

कोई आपात स्थिति नहीं है मान्यवर, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई जिससे विधान सभा का सत्र काटा जाये मान्यवर, सरकार स्वयं मानती है कि सूखे की स्थिति एक दैवीय आपदा है लेकिन उस वक्त यह सरकार किसी भी मद में, किसी भी विषय पर जो जनहित से सीधे–सीधे मुद्दा जुड़ा हुआ है, उस पर यह मान्यवर, संवेदनशील नहीं है। आखिर वो कौन सा दिन आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया आप हर बार यही तर्क देते हैं प्रोसीडिंग में आता है। आपसे मैंने कहा कि साधारणतया है ना। साधारणतया है तो आपसे नहीं हो पाता होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

वो कौन सी स्थिति आयेगी, जब बजट सत्र पूरा चलेगा, कौन–सी स्थिति आयेगी जब तीनों सत्र नियमावली के अनुसार चलेंगे, ऐसी कौन सी स्थिति आयेगी, मान्यवर स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, बैठिये, हो गया, इसे मैं ग्राह्य नहीं करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत बजट की स्वीकृतियों का विवरण और खर्च की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये बिना अनुपूरक बजट लाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

देखिए ये ऐसा नहीं है ये तो क्या खर्चे हुआ क्या नहीं हुआ। आपके पास तो पूरा बजट आता है, ये इसमें नहीं है। यह प्रश्न नहीं है, नहीं कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं दूसरे नंबर पर आपका है, लेकिन यह प्रश्न ही नहीं है। आप बजट पढ़िए न, उसमें कहीं व्यवस्था नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह उचित बात नहीं है। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है मेरी।

श्री अध्यक्ष–

आप संविधान में पढ़िए, कहां लिखा है कि पहले खर्चे का हिसाब दे दिया जाए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मुझे पढ़ने तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

डॉ0 राधा मोहन दास जी, आप बोलो। मा0 सदस्य आप अनावश्यक समय न बर्बाद करें। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी आपको नहीं बोलना है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मा0 महाना जी, आपका यह प्रश्न ही नहीं है। आप सुनिये अनुपूरक मांगें हर बार रखी गयी हैं। कभी आज तक का उदाहरण है संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इतना रुपया खर्च कर दीजिए, उसके बाद बताइये, तब आयेगा। ऐसा नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

हम जब जानते हैं तो क्या सुनें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप सब जानते हैं, लेकिन हमें सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा बताइये। आपको बोलना है किसी तरह से कानपुर में इतना बोल लिये अब क्या कुछ बाकी है।

'श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो यहां पर बजट आता है वह वार्षिक बजट होता है। सरकार जो वह बजट लाती है वह पूरे वित्तीय वर्ष के लिये होता है । उसमें कोई ऐसा कारण इसमें नहीं है कि सरकार के द्वारा किया गया वित्तीय प्रबन्धन, जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित किया गया है, वह कम पड़ गया हो, जिसके लिये यह लाया जाये। मान्यवर, वह पूरा खर्च नहीं हो पाया अथवा ऐसी कोई योजना नहीं बन पायी जिसकी वजह से यह जरूरी हो गया हो। मान्यवर, आप भारत के संविधान के अनुच्छेद–204 और 205 को देखने का कष्ट करें। मान्यवर, 205 में आप देखें लिखा है कि ''अनुच्छेद–204 के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गयी हो, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के और उस सेवा के लिये अनुदान की गयी रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है।'' मान्यवर, आप देखें कि पिछले बजट में पारित धनराशि पूरी तरह से खर्च हुई नहीं है यदि वह खर्च हो गयी होती और अपर्याप्त पायी जाती तो उसकी आवश्यकता पड़ती। आप किसी नयी सेवा पर अनुपूरक ला रहे हों, आपने कोई विधायक निधि की राशि तो हमारी बढ़ा नहीं दी है। मान्यवर, चार महीने पूर्व ही बजट आया है यहां पर अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और यह नवम्बर माह चल रहा है तो फिर कौन सी नयी आवश्यकता पैदा हो गयी है या वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त हो गया हो जिससे आपको अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता पड़ी हो। मान्यवर, बहुत से विभागों में बजट की 36 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग हो पाया है किसी में तो 13 प्रतिशत, किसी में तो 15 प्रतिशत ही धन अब तक खर्च हो पाया है।

श्री अध्यक्ष–

जब अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी तो आपको उस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा । आप देखें संविधान का अनुच्छेद–205 इसमें सरकार को अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मद को लाने का अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार इसे लायी है। आप बैठिये महाना जी।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आपने कह दिया कि इसे आपने चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यही आप पहले कहना चाह रहे थे वह आपने अब कह दिया है। अब आप बैठिये।

अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर उपवेशन से एक दिन पूर्व उपलब्ध कराने के मा0 अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद उक्त प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, हम लोग कम से कम दो माह पूर्व अपने प्रश्न विधान सभा सचिवालय में भेजते हैं उसमें कौन सा प्रश्न तारांकित कौन सा प्रश्न अतारांकित प्रश्न स्वीकार होगा यह बाद में पता चलता है। मान्यवर, हम यह मन बनाकर चलते हैं कि सदन का कार्य नियमों से चलता है, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को स्वीकृति के लिये देते हैं। मान्यवर, उसके आधार पर हम यह उम्मीद करते हैं कि स्वीकृत प्रश्नों के जवाब हमें समय से उपलब्ध करा दिये जायेंगे। मान्यवर, इस संबंध में मैं प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–32 (1) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसमें है कि प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो, उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्न के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

आप देखें कि इसमें एक दिन पहले है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, पहले और एक दिन पूर्व में बड़ा अंतर है।

श्री अध्यक्ष–

आप सब जानते हैं कि प्रश्नों के जवाब सुबह मा0 सदस्यों को मिल जाते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, जब सुबह भी उत्तर न भेजा हो तब की बात कह रहा हूं यह एक बार नहीं कई बार हुआ है। मैं इसकी शिकायत वरबल रूप में भी कर चुका हूं।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

इसके बावजूद आज कार्यवाही का वह जो सब्सटेंस है वह तो दे दिया और जवाब तक नहीं पहुंचा अब प्रश्न यह है कि जब जवाब हमारे पास नहीं होगा तो हम इसका अनुपूरक कैसे तैयार करेंगे ? इसलिए यह सीधे सीधे सदन की कार्यवाही में जानबूझकर किया जा रहा हस्तक्षेप है और मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात सुन लिया है मुझे निर्णय देने दीजिए।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

हम इसको दिखवा लेंगे। अगर प्रश्न समय से आ गया है और नहीं पहुंचा है वह और अगर प्रश्न नहीं आया है तो इसको हम गम्भीरता से लेते हैं इसको दिखवा लेंगे।

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के थाना क्षेत्र फखरपुर के ग्राम ढपरामऊ में दिनांक 08–09–2013 को मन्दिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना में की गयी द्वेषपूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष पीठ के निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, ध्यानाकृष्ट कराया था।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, आप लिखकर दीजिएगा तब कार्यवाही करेंगे।

ख12.40, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर, 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या–5[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर, 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या–5 को संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2011 (उप लो0आ0) के सम्बन्ध में शासन के स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

ख12.41, लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–012014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–1–2014 (उप लो0आ0) के सम्बन्ध में शासन के स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

ख12.42, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–684/ग्यारह–9 (295)/07 उ0प्र0 वैट नियमावली–8–आदेश–(114)– 2014४

---

[४] छापे नहीं गये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–684/ग्यारह–9(295)/07–उ0 प्र0 वैट नियमावली–08–आदेश–(114)–2014, दिनांक 27 जून, 2014 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23–क(1)के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–683/ग्यारह–9 (165)/2008 उ0प्र0 अधि0–05–2008 आदेश–(116)– 2014[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–683/ग्यारह–9(165)/2008–उ0प्र0 अधि0–05–2008–आदेश– (116)–2014, दिनांक 10 जुलाई, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1109/ग्यारह–9 (114)/12 उ0प्र0 अधि0–05–2008 आदेश–(117)– 2014[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1109/ग्यारह–9(114)–12–उ0 प्र0 अधि–05–2008–आदेश–(117)–2014, दिनांक 4 सितम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1270/ग्यारह–9 (1)/08 उ0प्र0 अधि0–05–2008–आदेश–(118)–2014[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1270/ग्यारह–9(1)–08–उ0 प्र0 अधि0–05–2008–आदेश–(118)–2014, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

४ छापे नहीं गये।

४४ छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा–37 की उपधारा (7)[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा–37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12, 13, 14 एवं 15 में कुछ नहीं है।

ख12ण44, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं ।

ख12ण45, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा–4 की उपधारा (1) खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदे ा दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह सदन, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में

---

४ छापे नहीं गये।

दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त संस्थान में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त संस्थान में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त संस्थान में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.47, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा–26 (1) के वर्ग–6 की उपधारा (बारह) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा–26(1) के वर्ग–6 की उपधारा (बारह) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा–26(1) के वर्ग–6 की उपधारा (बाहर) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालय की सभा में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय की सभा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.48, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17–11–2014 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मो0 इकबाल, श्री लोकेश दीक्षित, श्री ममतेश शाक्य, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री उमेश पाण्डेय, श्री दीपक पटेल, श्री अनिल कुमार, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री हरविन्दर सिंह उर्फ रोमी साहनी, श्री ओम कुमार, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री मो0 जासमीर अंसारी, श्री कृष्ण कुमार ओझा, श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

दूसरी सूचना (1) श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री आशुतोष गोपाल टण्डन, श्री रवि शर्मा, डा0 अरूण कुमार, (2) श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गजराज सिंह, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, कुं0 कौशल सिंह, श्री दिलनवाज खां, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री राधेश्याम, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', (3) श्री वीरपाल राठी, श्री पूरन प्रकाश, श्री त्रिलोकी राम, (4) श्री अगयश राम सरन वर्मा की सम्पूर्ण प्रदेश में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना समर्थन मूल्य घोषित न किये जाने व अवशेष मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी आप लोग रुक जाइये, इतना उतावले क्यों हो जाते हैं।

तीसरी सूचना श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह की प्रदेश में धान खरीद में बरती जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की ध्यानाकर्षण हेतु है। मैं चाहता हूं कि पहले इन तीनों सूचनाओं को सुन लेते हैं उसके बाद आगे की सूचनाओं पर फैसला सुनाएंगे।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप लोग कृपया शान्त हो जाएं, पहले इन सूचनाओं को सुन लेते हैं अन्यथा इसको पढ़ने में ही समय लग जाएगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसका नतीजा है कि पूरा प्रदेश आज जंगलराज बन गया है, अपराधी बैखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार उनके सामने असहाय महसूस हो रही है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मान्यवर, महिलाओं के साथ बड़ा भद्दा मजाक हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अरे आप बैठ जाओ न, अभी आगे आयेगा, तब बताना। अभी नेताजी बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दो न। आप तो लिखकर दी नहीं और महिलाओं वाला बोलने के लिये खड़ी हो गयीं। आप बैठिये।

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा पुनः अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी आप बोलिये, यह अनावश्यक व्यवधान डाल रही हैं। सोलंकी जी, आप बैठिये पहले इनको बोलने दीजिये। माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात जारी रखें।

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा पुनः अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी आप रुक जाओ न, इनकी बात खत्म हो जाने दो। आप इन्हें बोल लेने दो। यह क्या तरीका है, माननीय खन्ना जी, यह कुछ लिखकर तो दीं नहीं हैं। नेता विरोधी दल बोल लेते हैं, उसके बाद यह अपनी बात कह लेंगी। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हैं, इनकी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह पहले तो खड़ी नहीं हुयीं, आप भी नियमों की धज्जियां काहे उड़वा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ऐसा है मान्यवर, पहले इनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लें, उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात कह लेंगे । यह महिला हैं इनकी जानकारी कम हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

पहले इनको बोल लेने दीजिये, तब आप अपनी व्यवस्था कहियेगा।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्ा ग ग,

श्री अध्यक्ष–

जब आप कुछ लिखकर दीं नहीं तो आप कैसे बोल रही हैं। आप बैठिये, आपका कुछ नहीं सुना जायेगा। माननीय नेता जी खड़े हो गये थे, वह बोल रहे थे, उस बीच में आपको इस तरह से व्यवधान नहीं करना चाहिये। जब उनकी बात खत्म हो जाती, तब आप अपनी बात कहतीं।

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा पुनः अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

नोट :–ख्ा ग ग ग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग सीमा पार मत करिये । आप लोग बैठिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत कर रहा था कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जिसके कारण पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। आज हालात यह है कि गुन्डे, माफिया, अपराधियों के सामने सरकार बौनी साबित हो रही है और अपने को असहाय पा रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में अराजकतत्व बड़े पैमाने पर दुराचार, बलात्कार, हत्या, बैंक डकैती, डकैती और साथ ही साथ गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मान्यवर, यह इतना गंभीर और भी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उन्होंने भी इस कानून व्यवस्था पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। यही नहीं मान्यवर, इलाहाबाद के कौहडार पुलिस चौकी पर जिस प्रकार से अराजक तत्वों ने हमला किया और वहां मौजूद स्टाफ की रिवाल्वर छीन ली और उसका संज्ञान लेते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात पर अपनी टिप्पणी की कि कानून के रखवाले ही जब सुरक्षित नहीं हैं तो प्रदेश की सुरक्षा कैसे होगी। इस प्रकार इस पर अपने आप सवालिया निशान उठता है। इसी क्रम में, मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं कि 10 नवम्बर, 2014 को गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाने में पीहा–मोहम्मदपुर गांव में दलित समाज के एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गयी, मां की, उसकी बेटी की और बेटी के बेटे की, तीन–तीन हत्या एक ही घर में हो जाती है। इसी प्रकार 12 नवम्बर, 2014 को जनपद रायबरेली के महाराजगंज थाने में सिसकोई गांव में किसान महाराजदीन की पिटाई करके हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार, जिस दिन यहां सत्र का पहला दिन था, 14 नवम्बर, उस दिन आपके इसी अम्बेदकर नगर जनपद के कोतवाली टांडा के मोहल्ला मुबारकपुर में एक दलित परिवार के घर में धावा बोलकर उस परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट और लूटपाट की गयी और उसकी झोपड़ी जला दी गयी, दो–दो मोटरसाइकिलें जला दी गयीं। मान्यवर, इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे गंभीर मुद्दे पर जब पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा हो। महामहिम राज्यपाल महोदय चिन्ता व्यक्त कर रहे हों, मा0 उच्च न्यायालय चिन्ता व्यक्त कर रहा हो तो ऐसे हालात में सरकार को इस पर बहुत ही गम्भीर होना चाहिये। इसीलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए यह मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें जिससे कि मान्यवर, इस कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके, अराजकतत्वों पर नकेल लगाई जा सके और उत्तर प्रदेश की जनता में जो असुरक्षा की भावना है उसमें सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। इसलिये मान्यवर, मैं इस विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह सही नहीं है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और जो कानून व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है, इसलिये बिल्कुल निश्चिन्त रहें मा0 नेता प्रतिपक्ष, और जहां कमी होगी उसको भी दूर करने की कोशिश की जायेगी और जो मुल्जिमान नहीं गिरफ्तार हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 मौर्या जी को और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्या जी, आप लिख करके दे दीजिये, आप लिख करके भिजवा दीजिये मैं भिजवा दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं कि इसी 12–11–2014 को 13 साल का बच्चा अविशेष ओचीवाल सन्त बैलीपुर इण्टरनेशनल वैशाली गाजियाबाद से गायब हुआ। अभी तक वह लापता है और मान्यवर, अगर शीघ्र ही उसे खोज नहीं लिया जाता तो हत्या की भी आशंका है। मान्यवर, इस तरीके से जैसे कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कानून व्यवस्था चिन्ताजनक नहीं है तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिख करके दे दीजिये, कार्रवाई हो जायेगी, जब संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है तो आप लिख करके दे दीजिये। आप हमें लिख करके दे दीजिये हम भिजवा देंगे।

(सदस्या, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या है आपका, आप कोई लिखित सूचना तो दे नहीं रही हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मा0 सदस्या का कहना है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से ख्ग ग ग, जैसा कोई शब्द आया है जो संसदीय नहीं है कृपया उसे निकलवा दिया जाय।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

नोट :–ख्ग ग ग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, जो आखिरी शब्द है उसे निकलवा दीजिये क्योंकि ऐसे शब्द शोभा नहीं देते।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमारी भी तो सुनें, बिल्कुल निकलवायें लेकिन यह सब व्यंग्य की बाते हैं इसलिये इनको हल्के में आप लिया करें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम उसे दिखवा लेंगे और जो भी असंसदीय शब्द होगा उसे निकलवा देंगे।

गन्ना मूल्य पर कांग्रेस के प्रदीप माथुर से लेकर सबने दिया था इसमें आपका भी है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी ओर से एक सदस्य बोल लें और उनकी ओर से भी एक सदस्य बोल लें।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, कांग्रेस की ओर से शुरू करा लीजिये क्योंकि आपने नाम भी पहले कांग्रेस का पुकारा था इसलिये मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी तक परम्परा यही रही है।

श्री अध्यक्ष–

पहले मा0 खन्ना जी बोल लें उसके बाद आप बोल लीजियेगा।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि नियम–56 की सूचना की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि इस प्रदेश में 13–14 करोड़ लोगों का जीवन खेती पर निर्भर करता है। वह साल भर का बजट खेती की पैदावार के आधार पर ही बनाते हैं। अभी तीन दिन पहले 12 तारीख को प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया गया 280 रुपया और 280 रुपये में भी यह कहा गया कि 240 रुपया मिल मालिक तुरन्त देंगे और शेष 40 रुपया मिल बन्द होने के बाद देंगे। उसमें से भी 20 रुपये की विभिन्न मदों में सरकार उनकी सहायता करेगी। पिछले दो वर्षों से यह मूल्य 280 रुपये ही है और इस वर्ष भी 280 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। मान्यवर, गन्ना शोध परिषद् का एक अध्ययन है। गन्ना शोध परिषद् ने अपने अध्ययन में स्पष्ट रूप से कहा है कि एक क्विंटल गन्ने की पैदावार में जो सामान्य गन्ना है उसमें 300 रुपये प्रति कुन्टल का खर्चा आता है और जो पेड़ी गन्ना है उसमें 205 रुपये प्रति कुन्टल, तो कुल एवरेज देखें तो 254 रुपये एक कुन्टल गन्ने के पैदावार का खर्चा आता है यह गन्ना शोध परिषद् का आंकलन है। पिछले वर्ष जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें 251.30 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च आता था

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और 2.70 पैसे प्रति क्विंटल इस वर्ष बढ़ाया गया है जब 254 रुपये एक क्विंटल गन्ना पैदा करने का खर्च आता है और 280 रुपये गन्ने का मूल्य घोषित किया है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस सरकार ने अपनी घोषणा–पत्र में एक वायदा किया था, घोषणा–पत्र का पृष्ठ नं0–7 की लाइनें देख लें, लागत मूल्य का 50 प्रतिशत जोड़कर जो राशि आयेगी, विभिन्न फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। इस सरकार की घोषणा–पत्र का पेज नं0–7 पर ऊपर से चौथी लाइन है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम वायदा निभाते हैं।

(इसी बीच श्री राजेन्द्र सिंह राणा के मा0 संसदीय कार्य मंत्री से बात करने पर)

मान्यवर, यह देखिये साहब, यहां की व्यवस्था कैसे ठीक होगी। आप हमारे संरक्षक हैं, अगर हमारी बात को ध्यान से सुना नहीं जायेगा तो उत्तर क्या दिया जायेगा, उसके संग न्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

राणा साहब बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने सारे जरूरी काम इस गैर जरूरी काम के साथ ही निपटा देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, आप भी मंत्री रहे हैं। मंत्री की जिम्मेदारियों को आप समझते होंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं समझता हूं। मेरा कहना है कि गन्ना शोध परिषद् इस सरकार की एक अधिकृत संस्था है, आंकलन की कि किस पर कितना खर्चा आता है। आप यह देख लें, वायदा निभाने वाली सरकार कहते हैं और यह भी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं जब एक अधिकृत संस्था इस बात का मूल्यांकन करती है कि 254 रुपये प्रति क्विंटल पैदावार पर खर्चा आ रहा है जबकि 280 रुपये प्रति क्विंटल मिलने जा रहा है, इसमें किसान क्या खायेगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ायेगा और क्या अपने दूसरे जरूरी खर्चे करेगा। हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि गन्ना का मूल्य कम से कम 350 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। होता क्या है चीनी मिलों की कुप्रबन्धन की सजा आज किसान को दी जा रही है। चीनी मिलों का कुप्रबन्धलन, उनकी आज वर्तमान स्थिति में लाने के लिए, उनकी अपनी लापरवाही और वह लोग जिम्मेदार हैं जिसकी सजा इस प्रदेश के किसानों को दी जा रही है। हम आपसे यह मांग करते हैं कि इसका मूल्य जरूर बढ़ाया जाए। दूसरी बात धान की है। प्रदेश में एक लक्ष्य डिक्लेयर किया गया कि 25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होगी। समय पर धान के क्रय–केन्द्र चालू नहीं हुए, 800, 900 और 1000 रुपये में किसान धान बेचने के लिए मजबूर हुआ और पूरे प्रदेश में रिपोर्ट यह आती है कि सारे प्रदेश में धान अधोमानक है।

अगर धान अधोमानक है तो कृषि विभाग क्या कर रहा है ? क्योंकि इतना रेट नहीं दे सकते इसलिए मना कर रहे हैं, मना किस आधार पर करें तो आधार उन्होंने यह ले लिया कि धान अधोमानक है। एक जगह अधोमानक है, दो जगह अधोमानक है, एक जिले, दो जिले में अधोमानक हो सकता है क्या पूरे प्रदेश में अधोमानक है ? धान की खरीद कल शाम तक 60 हजार मीट्रिक टन केवल हुई है, 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा था। आपका संरक्षण चाहता हूं कि अगर समय पर धान का क्रय किया जाता तो किसान को जो 1359 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य घोषित किया गया था, प्रदेश के किसानों को उसका लाभ मिलता।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, यह मानक कौन तय करता है ? केन्द्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) मान्यवर, अल्टीमेटली केन्द्र सरकार तय करती है।

श्री अध्यक्ष–

मूल्य नहीं, मानक कौन तय करता है, कितना चावल होना चाहिए यह कौन तय करता है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह केन्द्र सरकार तय करती है लेकिन मेरा यह कहना है कि अधोमानक के लिए कृषि विभाग जिम्मेदार है इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। मान्यवर, हमारी शिकायत यह है कि समय से अगर धान क्रय केन्द्र चालू कर देते, तो यह किसानों की दुर्दशा नहीं होती और उनको रेट मिल जाता। तीसरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मान्यवर, यह बात जरूरी है कि आज प्रदेश में एक वर्ष से कर्जे के कारण और फसल खराब होने के कारण फसल का मूल्य न मिलने के कारण प्रदेश में कम से कम 12–14 लोगों ने आत्महत्या की। मान्यवर, मैं आपको सूची पढ़कर सुना देता हूं, सरकार इसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष–

क्या मतलब है इसमें। आप ग्राहय्ता पर बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए कि इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

बिजनौर में अशोक कुमार, सीतापुर में बलराम पाण्डेय, बड़ौत में राहुल, बुन्देलखण्ड महोबा, पनवाड़ी, जालौन में देवदास, रामनाथ, बिहारी लाल, बागपत में रामवीर और महोबा में आशाराम, पलिया कला में वेदराम, फैजाबाद में पवन जायसवाल

और राज नारायण, फैजाबाद में इन्द्रजीत वर्मा, बांदा के अतर्रा के ग्राम तेन्दुरा में भगवानदीन यादव और लखीमपुर खीरी में भारत प्रसाद। मान्यवर, इन लोगों ने आत्महत्यायें की हैं। पूरे एक वर्ष में अभी फरवरी से लेकर नवम्बर तक। मान्यवर, यहां पर इतनी बदहाल स्थिति है और हम चाहते हैं कि पूरे किसानों के संबंध में सरकार अपनी नीति को पुनरीक्षित करे, पुनरावलोकन करे और अपने घोषणा–पत्र का पालन करते हुए 50 परसेण्ट जो लागत मूल्य है, उसका फायदा दिलाते हुए गन्ना किसानों का जो गन्ना समर्थन मूल्य घोषित किया है उसमें वृद्धि करके 350 रु0 प्रति क्विंटल करें तथा धान क्रय केन्द्रों पर जो लापरवाही बरती गई है, उसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करें। मुझे आपने ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उसके पहले मैं भी मान्यवर, अनुरोध करना चाहूंगा। चूंकि पूरे प्रदेश में गन्ना किसान आंदोलित है और यह अपने को किसानों की हमदर्द सरकार कहती है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

खन्ना साहब, अब आपका हो गया है। अब माननीय नेता विरोधी दल को बोलने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रह गई थी। 1850 करोड़ रुपया आज भी गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। पिछले वर्ष के गन्ने के मूल्य का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। मान्यवर, क्या उम्मीद करें इस सरकार से जिन्होंने अपना गन्ना बेंचा उसका मूल्य तक उनको नहीं मिला। इसलिए मान्यवर, हम विशेष रूप से चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब उत्तर दें तो इस बात का जवाब जरूर दें कि बकाया पैसा कब तक मिल जायेगा।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, दो लोग और बोल लेते तो, उसके बाद आप लास्ट में इसको समराइज कर देते।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि यह मान्यवर, आज बहुत महत्वपूर्ण सूचना आई है और जो आपका ही निर्देश है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–संचालन नियमावली जो है, वो भी इस बात को इंगित करती है कि जो विषय एक बार सदन के अंदर प्रस्तुत हो जाये, दोबारा उसी सत्र में उस पर बात नहीं की जा सकती है। मान्यवर, इसीलिए चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे प्रदेश का गन्ना किसान आंदोलित है और यह किसान हमदर्द सरकार ने विगत तीन वर्षों से लगातार गन्ने की

कीमतों में एक पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं किया है। मान्यवर, 2012–13 में रुपये 280, 2013–14 में रुपये 280 और 2014–15 में रुपये 280 लगातार एक ही दाम घोषित किया गया और कहने के लिए किसानों की हमदर्द सरकार है। आज मान्यवर, यही नहीं लगभग दो हजार करोड़ रुपया इन पर बकाया भी है और दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इनके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है और दूसरी ओर गन्ना की कीमतों में एक पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश में जगह–जगह, हर जिले में अलग से किसान धरने पर हैं और आंदोलन पर उतारू हैं। इसलिए मान्यवर, इस गंभीर विषय पर आपसे संरक्षण चाहता हूं और इस पर चर्चा कराने की भी मांग करता हूं। यह मामला आज पूरे प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है पूरे प्रदेश के किसान आन्दोलित हैं । मैं इस गम्भीर विषय को आपके संज्ञान में लाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। क्योंकि लगातार तीन वर्षों से कीमतों के न बढ़ाए जाने से इसका बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम प्रदेश के सामने आ रहा है। गन्ना की बुआई के क्षेत्रफल में बड़े पैमाने पर गिरावट आ रही है। इस गिरावट को रोका जाय और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मिल मालिकों से उनके बकाए का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय साथ ही साथ इस गम्भीर मामले को सरकार के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गन्ने का दाम बढ़ाने का भी सरकार काम करें।

' श्री अनूप कुमार गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी लेवी अब 25 प्रतिशत पर जा रही है मिल वाला मरा जा रहा है वह धान अब कहां से खरीदे केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से आज यहां का किसान बरबाद हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लेवी का जो रेट है उसको 75 रुपए करवा दें।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे गन्ना किसानों के दर्द को बयां करने का मौका दिया अध्यक्ष जी सारी बातें इससे पहले यहां के वरिष्ठ सदस्यों ने कही मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज गन्ना किसान मरने के कगार पर खड़ा है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछला बकाये का भुगतान हुआ नहीं है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय न्यायालय द्वारा बार–बार निर्देशित करने के बावजूद आज भी 1832.51 करोड़ लगभग दो हजार करोड़ किसानों का बकाया है। किसान कहां से खाएगा कहां से कमाएगा। आज किसानों के घर में मैं अध्यक्ष जी सच्चाई बताना चाह रहा हूं मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि यह किसानों की सरकार है इसके पहले प्रदेश में एक अंधी बहरी सरकार थी लेकिन आज यह किसानों की सरकार है लेकिन आज भी किसानों का लगभग दो हजार करोड़ रुपया बकाया है आज किसानों के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है मैं आपको किसानों का दर्द बता रहा हूं आज प्रदेश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके बच्चों की फीस जमा नहीं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो पा रही है शादी नहीं हो पा रही है हमारे बच्चों में अज्ञानता फैलती जा रही है बच्चे दूसरे रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी कुछ दिन पहले ही साम्प्रदायिकता की आग से निकलकर आया है। अध्यक्ष जी अभी गन्ना मूल्य की बात हो रही थी जो गन्ना मूल्य घोषित किया गया था वास्तव में वह कम है। यह किसानों का दर्द है कि जो गन्ना मूल्य कम से कम 350 रुपए प्रति कुंतल होना चाहिए उसे पिछले वर्ष की तरह रखा गया है अध्यक्ष जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मण्डल में 365 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का मेरठ मण्डल में 766.82 करोड़ बकाया है। मैं मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला हूं। शामली विधान सभा से मैं चुनकर आता हूं वहां के किसान तिताली मिल पर बहुत भारी मात्रा में गन्ना डालते हैं। तिताली शुगर मिल जो श्रीराम ग्रुप की है मान्यवर अकेले उस मिल का 159 करोड़ रुपया किसानों का सुगर मिल पर बकाया है। एक बार भी मिल मालिकों ने किसानों के बीच आकर उनके दर्द को जानने का प्रयास नहीं किया। बार–बार हम लोगों ने प्रशासन के लोगों को शासन के लोगों को पत्र के माध्यम से अधिकारियों के माध्यम से मिलकर, टेलीफोन के माध्यम से बताने का काम किया 31 तारीख से हमारे पूर्व सांसद श्री हरेन्द्र मलिक के नेतृत्व में गन्ना किसान रोज हजारों की संख्या में धरना दिए बैठे हैं आज आवश्यकता है उनके दर्द को दूर करने की उनके दर्द पर मरहम लगाने की आज किसान आत्महत्या के कगार पर खड़ा है। यह हाल तो तब है जब गन्ना किसान मेहनत करता है खतरे को उठाकर रात में दिन में कोई भी वक्त हो 24 घण्टे खेती में काम करता है। गन्ना किसान मेहनत करके गन्ना पैदा करता है। गन्ना पैदा करके जब मिल में डालता है तो मिल मालिक उसके गन्ने से चीनी बेचने का काम करते हैं शीरा निकाला जाता है खोई बेची जाती है। 63–64 परसेन्ट घाटा होता हो। मान्यवर, लगभग 63 परसेन्ट लोगों का अकेले तिताली शुगर मिल पर बकाया है वह अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। इसी तरह से मवाना चीनी मिल का 182.64 करोड़ रुपये, नंगनामल का 56.48 करोड़ रुपया, तिताली पर 159 करोड़ रुपया बकाया है, इसके अलावा मोदी का भी बकाया है। पूरे प्रदेश में बुरा हाल है मान्यवर। किसानों के प्रति सजग दिख रही सरकार से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार तिताली शुगर मिल पर बैठे किसानों के दर्द को समझ करके 159 करोड़ रुपये जो बकाया है उसको दिलवाने के लिये कोई ठोस कदम उठाने का काम करे। मान्यवर, किसान जिस दिन से धरने पर बैठे हैं उस दिन से..

श्री अध्यक्ष–

अरे हो गया, आपकी बात आ गई।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, थोड़ी सी बात और आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अरे चर्चा थोड़ी हो रही है। ग्राह्यता पर बोल रहे हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, शुगर मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मान्यवर, हमारी सरकार से मांग है कि पूरे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए गन्ना किसानों के दर्द को दूर करने के लिये तिताली शुगर मिल पर धरने पर बैठे गन्ना किसानों का 159 करोड़ रुपया जो बकाया है भुगतान कराने के लिये कोई ठोस कदम उठायें और अगर वह भुगतान नहीं करते हैं तो मिल मालिकों को जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि जो अगले सत्र जो अब चल रहा है, उसका गन्ना मूल्य का जो भुगतान है वह चाहे शुगर मिल मालिक चीनी बेच कर भुगतान करे लेकिन किसान को भुगतान नकद कराये जाने की कोई योजना बनाने का काम सरकार करे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

वीर पाल राठी जी, आप गन्ना पर बोलेंगे। अरे लल्लू जी, आप बैठो। राठी जी को बोलने दीजिये।

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्ग ग ग,

श्री अध्यक्ष–

यह इनका लिखा नहीं जायेगा। प्रदीप जी आप बैठ जाइये। वीरपाल राठी जी बोलिये, नहीं तो हम आगे बढ़ जायेंगे।

'श्री वीरपाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या हमारे बहुत से साथियों ने उठाई लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लोकदल के बहुत से माननीय विधायकों ने वर्ष 2013 में यहां पर धरना दिया था गन्ना पेमेन्ट को लेकर और यहां पर इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि हम मिल चालू करने से पहले गन्ने का पेमेन्ट कर देंगें। लेकिन मान्यवर, पेमेन्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी हमने इस सदन के अन्दर बहुत रोष प्रकट किया और कुछ प्रदर्शन भी किया। लेकिन मान्यवर, आज तक 2013 का 2 हजार करोड़ रूपया गन्ने का शेष है लेकिन बड़े अफसोस की बात तो यह है कि मिल मालिकों को, चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो इनको तो सुविधा दे रही है, मिल मालिकों को तो सुविधा दे रही है लेकिन किसान का जो गन्ने का पेमेन्ट है, जो किसान की गाढ़ी कमाई है, जो किसान मेहनत करके अपनी कमाई से अपना पोषण भी नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहा है, उसको अपने गन्ने का पेमेन्ट नहीं मिल पा रहा है और मिल मालिकों को सरकार कहीं चीनी की लेवी पर, कहीं चीनी की ढुलाई पर बहुत सुविधा दे रही है, कहीं शीरे पर, कहीं जनरेशन पर सुविधा दे

नोट :–ख्ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। जिस तरह से यह मिल मालिकों को सुविधा दे रहे हैं अगर यह गन्ना किसानों को दे दें। हाई कोर्ट का आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, कोई भी आदेश हो, उसकी अवहेलना हो रही है। मान्यवर, किसानों के खिलाफ तो मुदकमे दर्ज होंगें जो उनके देय है चीनी मिल मालिकों पर, जो कि उनका अधिकार है। मिल मालिकों के खिलाफ मुदकमे होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

श्री वीरपाल राठी–

यह सरकार का मुखौटा है। मान्यवर एक छोटा सा प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकदल ने मुरादनगर के अन्दर किया था। उस पर लाठियां बरसाई गयीं, उस पर गोलियां बरसायीं गयी और सरकार देखती रही। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है एस0पी0, डी0एम0, बड़े–बड़े अधिकारी मात्र आपके सामने प्रदर्शन करते रहे।

(श्री वीरपाल राठी ने अध्यक्ष पीठ की ओर बैनर दिखाया)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रदर्शन का विषय नहीं है, रखिये इसे।

श्री वीरपाल राठी–

इसके बावजूद भी उन पर मुकदमें दर्ज किये गये। मान्यवर बड़े अफसोस की बात है किसानों को गन्ना पेमेन्ट नहीं हो रहा है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उनके मुकदमें वापस लिये जायें और किसानों के बकाया गन्ने का पेमेन्ट कराया जाये।

श्री अध्यक्ष–

सरकार का जवाब आने दीजिये, ये चर्चा नहीं हो रही है। यह तो ग्राह्यता पर बोला जा रहा है। चर्चा के बारे में सोचा जायेगा। जब चर्चा होगी तो आप लोग बोल लीजियेगा। सुदेश जी, एक ही आदमी बोलेगा, पार्टी का हर सदस्य नहीं। अब बस आप बैठिये। अब जी0एम0 सिंह को धान पर बोलना है आप बताइये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा करिये एक लोग आपकी पार्टी के बोलें, अब आप सब बोलने लग जायेंगे, इसका क्या मतलब है ?

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, किसानों से सम्बन्धित चीनी मिल का मामला है वही मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

हां, अब आपने बता दिया उतना आ गया जितना आपने कहा।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

अध्यक्ष जी, पड़रौना चीनी मिल नीलाम होने जा रही है, 29 तारीख को, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्या उसे खरीदना चाहते हैं आप ? नीलाम हो रही है तो हम क्या करें। आप बैठिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब सुदेश शर्मा जी बैठ जाइये आपकी पार्टी के सदस्य बोल चुके हैं।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनेगी और मेरा प्रत्याशी जीतेगा तो पड़रौना चीनी मिल चलवाऊंगा। अध्यक्ष जी, उनकी सरकार बनते ही पड़रौना चीनी मिल 29 तारीख को नीलाम होने जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, आप बैठिये।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

मान्यवर किसानों से सम्बन्धित मामला उठा था चूंकि धान को इसी में माननीय खन्ना जी ने लिया इसलिए बोलना पड़ रहा है हमको। मान्यवर अभी एक हमारे सदस्य प्रभारी पार्टी के बात का इन्डीकेशन है, जिसे हल्के में ले लिया गया है। मान्यवर किसानों की स्थिति को हल्के में लिया गया है वह बात सही है परन्तु मुझे सारे क्वेशचनों पर ताज्जुब हो रहा है जो क्वेशचन लगाये गये हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे सदस्य ने कहा कि धान की खरीद ठप पड़ने जा रही है और सारा दोष केन्द्र सरकार का है। मान्यवर, इसको आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। 04 परसेन्ट डैमेज चावल उत्तर प्रदेश का जो है उसको सी0एम0डी0 जो हरियाणा का है वह पंजाब का चावल जो 08 प्रतिशत डैमेज 25 लाख रुपये किराया लगाकर उत्तर प्रदेश के एफ0सी0आई0 के गोदामों में भरवाने का काम कर रहे हैं, मान्यवर। 05 दिन बाद राइस मिलों से चावल उठना बन्द हो जायेगा, मान्यवर उत्तर प्रदेश के किसान बर्बाद हो जायेंगे। हमारे सदस्य कह कर चले गये बहुत हल्के से किसानों के हितैषी लोग। मान्यवर बहुत गम्भीरता से इसको ध्यान देने की जरूरत है और इसको किसी भी हाल में अपने सी0एम0डी0 को केन्द्र सरकार से निर्देशित करायें कि उत्तर प्रदेश का जो डैमेज है उसका परसेंटेज बढ़ाकर साढ़े चार किया जाये और पंजाब–हरियाणा का भी डैमेज परसेन्ट साढ़े चार किया जाये अगर यह इक्वेल मामला हो जायेगा, तभी उत्तर प्रदेश के धान के किसानों का मामला हल हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी पंजाब और हरियाणा का कितने परसेन्ट डैमेज लिया जा रहा है ?

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

मान्यवर, 08 प्रतिशत लिया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, बहुत ही गम्भीर मुददे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था और मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस पर ठोस कदम उठायेंगे और कठोर कार्यवाही करायेंगे। जो धान पंजाब–हरियाणा का आ रहा है 08 परसेन्ट डैमेज का इसको रोकने का काम करेंगे इस मुददे पर केन्द्र सरकार पर दबाव डालने का काम करेंगे। सदन में बैठते हुए किसान हितैषी का नारा तो लगा रहे हैं लेकिन कहीं से भी किसान हितैषी हैं नहीं। मान्यवर, हुदहुद से जो किसानों का धान बचा था, वह सब समाप्त हो गया, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जिक्र हुआ किसका ? साम्प्रदायिक सद्भाव का। बड़ा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने वाले यह लोग हैं, मान्यवर, अगर बहुजन समाज पार्टी की सामाजिक सद्भाव बनाने के बारे में सोचिए।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलिए।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए। मैं एक मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, यह लोग धान पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए, आपकी बात आ गयी है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के कई सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

जो लोग ऐसे–ऐसे प्रश्न लगाकर सदन का समय जाया करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए, मंत्री जी का जवाब आने दीजिए।

(श्री पंकज कुमार मलिक, श्री सुदेश शर्मा तथा श्री अजय कुमार ''लल्लू'' लगातार बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष–

पंकज जी, आप इन लोगों को क्यों उकसा रहे हैं ?

'श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, पडरौना चीनी मिल भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय से संचालित होती है और पडरौना चीनी मिल 29 तारीख को नीलाम

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रही है। देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जब पडरौना में चुनावी सभा करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी और मेरे सांसद होंगे तो पडरौना चीनी मिल को 100 दिन के अन्दर चलवाया जायेगा और आज डेढ़ सौ दिन हो गए हैं और उनके जीतने के बाद स्थिति यह हुई, जो कपड़ा मंत्रालय से संचालित होने वाली पडरौना चीनी मिल चलने की स्थिति में रही, वह चीनी मिल आज नीलाम होने जा रही है। आपके माध्यम से मैं यह मांग करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक प्रस्ताव जाए, पडरौना चीनी मिल पर किसानों का 18 करोड़ और मजदूरों का 10 करोड़ रूपया बकाया है, उसे अविलम्ब नीलामी से रोका जाए तथा पडरौना चीनी मिल को किसान हित और जनहित में चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए, आपकी बात आ गयी।

(श्री सुदेश शर्मा अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी, आपकी पार्टी के वीरपाल राठी जी बोल चुके हैं, पूरी बात आ गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य– मान्यवर, पडरौना चीनी मिल का अलग मामला है, इस पर मेरी सूचना भी है। आज केवल गन्ना का मूल्य बढ़ाये जाने से सम्बन्धित मामला है। अब इसमें घौच–पौच न किया जाए, मान्यवर।

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

लल्लू जी, आप बैठिए। आज जिसकी मर्जी आ रही है, वही बोल रहा है।

श्री सुदेश शर्मा–

अध्यक्ष जी, हमारा क्षेत्र गन्ना बहुल क्षेत्र है, डेढ़ सौ करोड़ रूपया वहां के किसानों के लिए चाहिए। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा क्षेत्र, गन्ना किसानों का क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मैं एक मिनट का समय चाह रहा हूं, क्षमा के साथ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी है और यही कोशिश की है कि किसानों को कोई नुकसान न हो। मान्यवर, गन्ना किसानों

का मूल्य निर्धारण करने के लिए सरकार की यही नीति है कि किसानों का किसी भी तरह से अहित न हो, उनको लाभ हो, उनका गन्ना लिया जा सके, उनके गन्ने की उचित कीमत मिल सके। मुकदमें कायम हुए, जेलों को भी गए और सख्ती बरकरार है और किसानों का पैसा दिलवाने के लिए सरकार सचेत है और उसका पैसा दिलवायेगी। जहां तक मान्यवर, इस चीनी मिल का मामला है क्योंकि यह राजनैतिक इश्यू हो गया और आपके यहां पडरौना में जो अब प्रधानमंत्री हैं, उस समय कैन्डीडेट थे, वह गए थे, उन्होंने क्योंकि घोषणा की थी तो मेरे पास चिट्ठी आ गयी है, मैं भी उनको वायदा याद दिलाते हुए, आपकी चिट्ठी के साथ भेज दूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यो के एक साथ बोलने पर शोरशराबा उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार हीलाहवाली कर रही है। गन्ना किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिगर्मन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज पार्टी एवं श्री सतीश कुमार खन्ना, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, बसपा ने सारी चीनी मिलें बेच दी और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ताल से ताल मिलाती रही।

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य वेल में आ गये।)

(शोरशराबे के मध्य व्यवधान जारी रहा।)

श्री अध्यक्ष–

वेल में आने से कुछ नहीं होगा। अपनी सीट पर चलिये। बहुत सीमा न पार करिये। आप लोग बहुत देर से बोल रहे हैं। अब क्या हर आदमी बोलेगा। नहीं अब नहीं सुना जाएगा। यह क्या तरीका है। आप अपनी बात कह चुके। आपकी पार्टी के नेता ने गन्ने पर विस्तृत बात की। चलिये। यहां हर आदमी थोड़े ही बोलेगा। ठाकुर साहब मैं आपको बहुत शरीफ समझता हूं। एक सीमा होती है। उसको पार नहीं किया जाता। अब आप अपनी सीट पर चलें। बैठिये।

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गये।)

(श्री पंकज कुमार मलिक सहित कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर उनका माइक आफ होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुनाई दी।)

श्री अध्यक्ष–

भई, आपने कहा, मा0 मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अब उसमें मैं क्या करूं।

(श्री सुदेश शर्मा के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बोल चुके। कितनी बार एक बात को कहोगे।

श्री पंकज कुमार मलिक–

हम नियमों के तहत जवाब चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है। वहां पर 31 अक्टूबर से धरना एवं क्रमिक अनशन चल रहा है। आज भी तितावी चीनी मिल में क्रमिक अनशन जारी है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने अपनी बात कह ली। गन्ने के बारे में पूरा ब्योरा रख दिया। सरकार ने जवाब दिया। आपने सुना। आपने कार्य स्थगन दिया। पूरा बोलने का मौका दिया। हर सदस्य ने थोड़ी–थोड़ी अपनी बात कह ली। और इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया। कार्रवाई करेंगे। गन्ना मूल्य दिलायेंगे।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, तितावी शुगर मिल में धरना चल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, आपकी पीठ का निर्देश सर्वोपरि है। अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, 159 करोड़ रूपया आज भी बकाया है। आपसे अनुरोध है कि मा0 मंत्री जी तितावी शुगर मिल के बारे में जवाब दे दें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चाहते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाये। क्या चाहते हो। क्या चार आदमी असेंबली को हाईजेक कर लेंगे। आप बैठिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के वेल में आकर एक साथ बोलने पर शोर उत्पन्न हो गया, शोरशराबे के मध्य)

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठो। मा0 मंत्री जी, इनके किसी शुगर मिल पर किसान अनशन कर रहे हैं क्या आपको जानकारी है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल से वापस चले गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक तो समस्या है एक समस्या का निदान है। मान्यवर समस्या है यह सरकार के संज्ञान में है और उसके निदान की पूरी कोशिश जारी है। मैंने आपसे यह कहा था कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे किसानों का कोई अहित हो जाये। कभी–कभी यह लगता है कि यह कदम बहुत अच्छे हैं लेकिन वह उस सरकार के पक्ष में नहीं होते। मान्यवर, इस मामले में भी सरकार पूरी सहानुभूति से किसानों की ही मदद करेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी आप बैठिये।

'श्री उपेन्द्र तिवारी–

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले 09 नवम्बर, को जनपद बलिया के एक जिला पंचायत सदस्य श्री बृजनाथ सिंह को साढ़े तीन बजे सुखपुरा थाने और तीन–चार थानों की पुलिस बिना एफ0आई0आर0 लॉज किये उनको सुखपुरा थाने में उठाकर ले गयी। जब इसकी सूचना मिली तो हम, हमारी पार्टी के दो–दो सांसद श्री भरत सिंह जी और श्री रवीन्द्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी की नेता श्रीमती केतकी सिंह, हम सब लोग थाने पर पहुंचे और हमने पूछा तो थाना सुखपुरा के थाने की पुलिस के पास कोई स्पष्ट कारण नहीं था। हम लोगों ने पूछा कि क्या इनके खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 है तो पुलिस ने कहा कि इनके खिलाफ एफ0आई0आर0 नहीं है। हम लोग एफ0आई0आर0 की कापी मांगते रहे और साढ़े तीन बजे से रात साढ़े आठ बजे तक हम लोग सुखपुरा थाने में हम लोग थे। प्रशासन के पास एफ0आई0आर0 नहीं थी। हम लोगों ने कहा कि अगर बृजनाथ सिंह ने गुनाह किया है और एक डाक्टर, उन लोगों ने बताया कि आकाश नर्सिंग होम, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थाना सुंखपुरा में बिना कारण बताये एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार करके अपमानित तरीके से थाने में ले जाया गया। इसको लेकर उस थाने के थानाध्यक्ष के निलंबन की कार्यवाही की मांग को लेकर हम लोग अड़े रहे। रात साढ़े आठ बजे जिलाधिकारी, बलिया और पुलिस अधीक्षक, बलिया के निर्देश पर एस0डी0एम0 सदर द्वारा और सिटी सी0ओ0 द्वारा यह कहा गया कि 24 घण्टे का समय दे दिया जाये। 24 घण्टे में जांच करके थाना सुंखपुरा के थानाध्यक्ष के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही होगी। मान्यवर, इस बात से हम लोग सब वापस चले आये और हमकों पता चला कि उसी दिन रात में पुलिस अधीक्षक और वहां के कलेक्टर के दबाव में हमारे ऊपर और श्रीमती केतकी सिंह के ऊपर और श्री बृजनाथ सिंह के ऊपर और ढाई सौ लोगों के ऊपर सरकारी काम में बाधा, सड़क जाम करने जबकि यह कुछ भी नहीं हुआ था और वहां के कलेक्टर और कप्तान ने अपने थानाध्यक्ष को बचाने के लिए हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की। हमारे दोनों सांसद को छोड़ दिया गया। मैं इस सदन से मांग करता हूं कि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी भी हैं। पूरे घटनाक्रम की जांच करायी जाये अगर थानाध्यक्ष दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे विरूद्ध सरासर यह अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गयी है। द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर यह किया गया है। थाना सुंखपुरा के खिलाफ कार्रवाई की जाये और हम लोगों के ऊपर जो मुकदमा किया गया है उसको वापस लिया जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह केस स्पंज होना चाहिए, यह गलत केस किया गया है।

मान्यवर, आप इसमें कोई निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? यह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो जानकारी लेने की बात है, जानकारी लेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में आया है, सही–गलत तो जानकारी लेने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मालूम यह हुआ कि मा0 सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, उसे थाने से छुड़ाकर ले गये थे, उसकी वजह से फिर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन हम इस पर पूरी तरह से यकीन न करते हुए, इसकी जानकारी ले लेंगे और जो न्यायोचित कार्यवाही होगी, वही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

अगली सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया की दिनांक 11–11–2014 को लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत जर्जर एवं टूटे हुये विद्युत तारों से राम नरेश पुत्र शुभम की अकाल मृत्यु एवं विद्युत आपूर्ति बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कह लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब कुछ नहीं। अब आईटम पर तो ज्यादा है नहीं, आप चाहो तो जल्दी खत्म हो जाय, नहीं चाहो तो घुमाते रहो।

'श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। फिरोजाबाद जनपद में राजेश जैन जिसकी उम्र 43 वर्ष थी, सवा सात बजे अपने लोहे के गोदाम से अपने विकलांग भाई प्रदीप जैन को लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। अभी अपने प्रतिष्ठान से जो शहर के बीचो–बीच है, वहां से मात्र 200 मीटर चला होगा कि मोटर साईकिल सवारों ने उसको टक्कर मारी, टक्कर से वह असंतुलित होकर गिरा, सीधे उसकी छाती पर गोली मारी, जिससे घटना स्थल पर ही राजेश जैन की मृत्यु हो गयी और लगभग पांच लाख से सात लाख रूपये के बीच की रकम से भरा हुआ थैला था, वह लूट कर बदमाश चले गये। 13 तारीख यानी आज से मात्र चार दिन पहले की यह घटना है। मान्यवर, पूरे फिरोजाबाद में व्यापारी समाज में सभी के अन्दर भारी रोष है,

---

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भय का वातावरण है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि उन हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाय। पिछले अक्टूबर और नवम्बर माह में यह मेरे पास लिखित तथ्य हैं कि सात से ऊपर तो गम्भीर लूट/डकैती की घटनायें हैं, जिसमें दो हत्यायें हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो कानून–व्यवस्था पर चर्चा हो गई। जो आपने स्पेशिफिक घटना दी है, उसी तक सीमित रहिये। कानून–व्यवस्था पर तो मौर्या जी बोले और सारे लोग बोले हैं। जो आपने गोली मारने की घटना का जिक्र किया है, अपने को उसी तक सीमित रखिये। नियम–56 में जो घटना होती है, उसी तक सीमित रखा जाता है।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, नियम–56 की घटना के साथ–साथ यह कोशिश की है कि सरकार के संज्ञान में यह भी आ जाय कि किस प्रकार जिले की कानून–व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि हत्यारों को पकड़ा जाय और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। मैं राजेश जैन की हत्या के सम्बन्ध में सरकार से आश्वासन मांगता हूं कि पीड़ित परिवार के आंसुओं को पोछने एवं उनको सुरक्षा देते हुए अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

भाई शेरू आप क्यों दिक्कत पैदा कर रहे हो, आप बैठ जांय।

' श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

मान्यवर, मैंने विद्युत सप्लाई बाधित होने की बात नहीं कही है, मैंने कहा है कि जर्जर एवं टूटे हुये विद्युत तारों से राम नरेश पुत्र शुभम की अकाल मृत्यु हुई है। मान्यवर, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने विद्युत सप्लाई नहीं काटी जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हुई, उसके बाद भी बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी वहां पर देखने के लिए नहीं गया। सरकार से उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें घोर लापरवाही बरती गई, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप नियम–51 में परिवर्तित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जांय, आपकी बात आ गई।

मा0 मंत्री जी, इनका कहना है कि राजेश जैन को गोली मारी गई है। कुछ जानकारी हो तो बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसे गंभीरता से दिखवायेंगे और इसमें गिरफ्तारी कराई जायेगी। जो भी न्यायोचित कार्यवाही होगी, करायेंगे और अभी एक बच्चे के बारे में मा0 सदस्य, बहुजन समाज पार्टी कह रहे थे तो इसको भी देखते हैं, जहां कोई गलती है।

श्री अध्यक्ष–

अभी श्री दलवीर सिंह जी कह रहे थे कि चोट लगी है, मारे गये हैं, उसी के बारे में कहेंगे। मा0 दलवीर सिंह जी बताइये।

'श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। 18 तारीख को जिस तरीके से विधायकों पर लाठी चार्ज हुआ और गोली चली है। वह बहुत शर्मनाक है और सदन के लिये भी बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मा0 सुदेश शर्मा जी और मा0 भगवती प्रसाद जी दोनों इस सदन के मेम्बर हैं। यह विधान सभा सदस्य श्री सुदेश शर्मा जी के क्षेत्र का प्रकरण है। ये अपनी बीती बात अपने मुंह से बतायेंगे और आप देखेंगे कि कितनी करुणामयी घटना हुयी है। उसमें सरकार निश्चित रूप से ऐक्शन ले, केस को वापस ले और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे। मैं चाहूंगा कि आप खुद ही इनसे सुन लें।

'श्री सुदेश शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, यह 18 सितम्बर, 2014 की घटना है। वह भारतीय किसान यूनियन एवं अन्य दलों का मुरादनगर, गंगनहर के ऊपर पूर्वघोषित कार्यक्रम था जिसमें विभिन्न दलों के लोग चौधरी चरण सिंह स्मारक बनाने की मांग कर रहे थे और उसमें राष्ट्रीय लोक दल की अपनी सहमति देने के लिये हम लोग भी वहां पर मौजूद हुये और वहां पर गये थे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मात्र एक मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, उसमें अगर वे अपना ध्यान आकृष्ट कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मा0 अध्यक्ष जी, उस दिन वहां पर जो पंचायत चल रही थी उसमें लगभग 50 हजार लोगों की भीड़ थी। वहां पर जिला गाजियाबाद और बहुत दूर–दूर से आये हुये जो अधिकारी थे, उन्होंने हम विधायकों को वार्ता के लिये बुलाया। जिसमें आदरणीय दलवीर सिंह जी हमारे नेता थे, मा0 वीरपाल राठी जी थे, भगवती प्रसाद जी थे और कुछ अन्य लोग भी थे। वहां पर बैठ करके वार्ता चल रही थी, हमने उनके सामने कुछ सुझाव रखे और हमने कहा कि आप चाहें तो सरकार से बात कर लीजियेगा। हमारी बात वहां तक जाये, कुछ इस तरीके की बात चल रही थी लेकिन एक अधिकारी जो वहां पर अपने दिल में कड़वाहट पाले हुये था, उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से उसकी झड़प भी हुयी थी, उसने वहां बिना सोचे–समझे गाली देना शुरू कर दिया और मा0 अध्यक्ष जी, वहां पर इस कदर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाईं गईं। आपने खुद ही आदेश किया है कि प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।

(मा0 मंत्री, श्री राजेन्द्र सिंह राणा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुदेश शर्मा–

मा0 मंत्री जी, आप सरकार में हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने एक मिनट का समय मांगा है। मा0 अध्यक्ष जी, हमें अपनी बात रखने दी जाये। आपका आदेश है कि यह प्रदर्शन का स्थल नहीं है लेकिन उसके फोटो हमने आपके कक्ष में भी दिये थे, आपने भली–भांति देख लिये होंगे। वहां पर गोलियां चलाई गईं, आपके सामने पूरी फोटोग्राफी है कि किस कदर पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस कर्मचारियों द्वारा सीधी गोली चलाई गई, 5 हजार किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया और आज उसके नाम पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा वहां पर लूट की जा रही है। किसानों से कहा जाता है कि तेरा भी नाम उस एफ0आई0आर0 में है। तेरा नाम काट दिया जायेगा इतना खर्चा आयेगा। इसके नाम पर लूट मचाई जा रही है। हालांकि मैं सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारा दल मा0 मुख्य मंत्री जी से मिला है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस तरीके का कोई भी मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसको सरकार वापस लेगी लेकिन क्योंकि हमने नियम–56 में यह सवाल डाला था तो हम अपनी पीड़ा कहेंगे क्योंकि यह 5 हजार किसानों का मामला है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी आपसे मांग है कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाये और 5 हजार किसानों के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा आज मैंने आप से काफी अनुरोध किया था कि मुझे एक मिनट गन्ने पर बोलने का मौका दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, आज तो वे लोग गन्ने की वाहवाही लूटना चाहते थे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में आता है जो गन्ना मिलों को बेचने का काम कर रहे थे वही आज गन्ना किसानों के रहनुमा बनने की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि कम–से–कम आपने मोह्ददीनपुर शुगर मिल चला करके एक अच्छा काम किया है। हमने पहले भी आपको धन्यवाद किया है, लेकिन मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मोदीनगर क्षेत्र से आता हूं। डेढ़ सौ करोड़ रूपये मेरे यहां किसानों का बकाया है। हो सकता है मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार की कोई मजबूरी हो कि वह उन्हें भुगतान नहीं करा सकती, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, वह इस सदन के पटल पर आनी चाहिए। हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट सब से आदेश हो चुका है, लेकिन आज भी सरकार भुगतान नहीं करा पायी है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात मा0 सुदेश शर्मा जी आ गई है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

मैंने मा0 नेता लोकदल के माननीय सदस्य दोनों के विचार सुने लेकिन यह बात बहुत जरूरी है कि सारा घटनाक्रम सदन के सामने आना चाहिए। उस दिन जब यह भीड़ इकठ्ठी हुई, मैं उसी जनपद में था और वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी, बड़े संवेदनशील हैं और वह यह कभी नहीं चाहते हैं कि जन आंदोलन को इस तरह से कुचला जाये जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कुचला गया। मा0 मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि सभी बातों का निस्तारण आपसी

सहमति से, आपसी वार्तालाप से, जगह–जगह पर हो और पुलिस ने बंदोबस्त भी कराया है कि कोई ऐसा हथियार सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा न इस्तेमाल किया जाये, जिससे कि जनहानि हो। वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, भारतीय किसान यूनियन के हों चाहे लोकदल के हों, इन लोगों से जब वार्ता चल रही थी। आप यह जानने का प्रयास करें, माननीय सदस्य बतायें, इस बात को ईमानदारी से और आखिर में दो घण्टे तक, जब वार्ता होती रही और मा0 अध्यक्ष जी जब पुलिस वाले पिटते रहे, पुलिस वालों की वर्दी फटती रही और आखिर में आपने ऐसी स्थिति कर दी, वहां का जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो गया, कानून–व्यवस्था ध्वस्त हो गई, उसके बाद पुलिस के बाद आत्मरक्षा को कोई रास्ता नहीं बचा।

(राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य घटना से सम्बन्धित फोटो दिखाते हुए वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, यह कोई यहां पर दिखाने की चीज नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये लोक दल के लोग यह भारतीय किसान यूनियन के लोग, यदि कानून–व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, यदि जन–जीवन को अस्त–व्यस्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। पूरी बात तो आ जाने दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, 3 घंटे तक पुलिस पिटती रही, 3 घंटे तक मजिस्ट्रेट पिटते रहे, वर्दी फाड़ते रहे लोग तो लोकतंत्र में कौन–सा ऐसा तरीका है, जनतंत्र में कौन–सा ऐसा उपाय है, कौन–सी ऐसी व्यवस्था है कि पुलिस के अधिकारियों को पीटा गया, बार–बार लोकदल और किसान यूनियन के लोगों ने इस तरह की हालत पैदा कर दी, ऐसे कानून–व्यवस्था अपने हाथ में सरकार नहीं लेने देगी, किसी भी सूरत में नहीं लेने देगी। ऐसा नहीं है कि जंगल का राज हो आप कानून–व्यवस्था खराब कर दें, जन–जीवन खराब कर दें, महिलायें, मरीज, गरीब बच्चे, अस्पताल में आने जाने वाले लोग, सब इन लोगों ने वहां पर अस्त–व्यस्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी आज प्रदेश की जनता बहुत संवेदनशील है। इन्हें ये कहिए कि अगर इन्हें दिल्ली में कोठी चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए, 5 साल तो मलाई खाते रहे। 5 साल तो याद नहीं आया आपको। अब जैसे ही आप लोग हटे, वैसे ही आपको ये सब चीजें याद आ जाती हैं। ऐसा मत करिये हम ये कहना चाहते हैं आपको कि सरकार संवेदनशील है। सरकार आपकी हर बात सुनने को तैयार है। सरकार आपकी हर समस्या को हल करने को तैयार है, लेकिन सड़क पर आकर, लोगों का जन–जीवन खराब करने का, लोगों को अस्पताल आने–जाने

के रोकने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने से रोकने के लिए आपको कानून–व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने गन्ने पर, धान पर और माननीय सदस्यों के साथ हुए घटनाक्रम पर और उस सारे विषयों की ग्राह्यता पर सुना और सरकार का जवाब भी सुना।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है वह यह लोग कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लूट हो रही है वह यह लोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

सब अग्राह्य हैं, आपको देना है तो कल दीजिये।

(सदन के वेल में खड़े राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गये)

ख01ण55, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 [४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस पर मेरा प्रश्न सुन लें, इसकी कापी।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इसकी कापी पुनः नहीं बांटी जाती है, यह नियम नहीं है।

ख01ण57, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 [४]

---

[४] छापी नहीं गई।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 02 जुलाई, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 02 जुलाई, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01ण57, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01ण58, नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

---

[४] छापी नहीं गई।

आज दिनांक 17–11–2014 को नियम–51 की कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री दिलनवाज खां की जनपद बुलन्दशहर में अनेक पुराने पोखर/तालाब की जमीनों पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा दिये जाने तथा युवाओं के रोजगार हेतु ग्लास टेक्नालाजी कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर सदर तहसील अन्तर्गत सरसौल ब्लाक को नरवल तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में वर्ष 1989 से शासनादेशों के तहत नियुक्त परियोजना अधिकारियों को बेसिक शिक्षा निदेशालाय द्वारा वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद्, सिकन्दराबाद का सीमा विस्तार न होने के कारण वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठीं सूचना डा0 अरूण कुमार की महानगर–बरेली में सॉलिड वेस्ड मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट को पूर्ण क्षमता से चलवाए जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद हाथरस के थाना हाथरस के ग्राम होन में लापता श्रीमती राजेश्वरी के पति श्री बरी सिंह की सम्बन्धित थाने से प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004 से 2007 में बने मार्गो के रखरखाव हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, एक अनुरोध है आपने एक निर्णय पिछले सत्र में किया था कि जो माननीय सदस्य नियमों की सूचना देकर स्वयं उपस्थित नहीं हैं उसको स्वीकार नहीं किया जायेगा और अब तक आपने इस निर्णय को बदला नहीं है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसको नहीं लागू करेंगे तो कठिनाई होगी, आपको याद दिला रहा हूं

श्री अध्यक्ष–

आज यह हालत है कि यह नियम– 51 की सूचना 5.00 बजे के बाद आती है चूंकि आपकी कार्यसूची में कोई विशेष मद नहीं है समय बच गया है इसलिए आज छूट है।

नवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की सहारनपुर के गंगोह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी में आयी बाढ़ के कारण टूटी सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से अहरो शीशगढ़ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई शेष निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी :–

1– श्री रोशन लाल वर्मा
2– श्री भीम प्रसाद सोनकर
3– श्री राधेश्याम जायसवाल
4– श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
5– श्री राज कुमार रावत
6– श्री श्याम बहादुर यादव
7– श्री सुरेश कुमार खन्ना
8– श्री मुकुट बिहारी वर्मा
9– श्री रवीन्द्र भड़ाना
10– श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)
11– श्री जगन प्रसाद गर्ग
12– श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)
13– श्री विजय कुमार दुबे
14– श्री ममतेश शाक्य
15– श्री काली चरन सुमन
16– श्री जय प्रकाश निषाद
17– श्री सुदेश शर्मा
18– श्री राजेश त्रिपाठी
19– श्री राजीव गुम्बर
20– श्री विजय कुमार पासवान
21– श्री जन्मेजय सिंह
22– श्री धर्मपाल सिंह
23– श्री अमित गौरव यादव
24– श्री अमर पाल शर्मा
25– श्री उमेश पाण्डेय
26– श्री रामहेत भारती
27– डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
28– श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
29– श्री बृजेश कुमार
30– श्री बब्बन सिंह चौहान
31– श्री उमा शंकर
32– श्री ओम कुमार

33– श्री चन्द्र भान सिंह पटेल

34– श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया

35– श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत

36– श्री दलवीर सिंह

37– श्री अगयश राम सरन वर्मा

38– श्री जय प्रकाश अंचल

39– श्री पूर्णमासी देहाती

40– मो0 इरफान

41– श्री सिनोद कुमार शाक्य

42– श्री राम चन्द्र यादव

43– श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह

44– श्री अवस्थी बाला प्रसाद

45– श्री लोकेन्द्र सिंह

46– श्री अजय कुमार 'लल्लू'

47– श्री संजय प्रताप जायसवाल

48– श्री रविन्द्र कुमार मोल्ह तथा

49– श्रीमती लालमुन्नी सिंह।

ख0.02 बजे, जनपद गोण्डा के भू–माफियों द्वारा ग्राम सभा देवरिया में हरिजन आबादी की जमीन को कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नन्दिता शुक्ला द्वारा दिनांक 27 जून, 2014 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्रीमती नन्दिता शुक्ला का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

वह उपस्थित नहीं हैं।

जनपद बलिया की तहसील बिलथरा रोड दोथ में चक रोड पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा दिनांक 30 जून, 2014 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री भीम प्रसाद सोनकर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

वह उपस्थित नहीं हैं।

जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा झगहां में चकबन्दी में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2014 को दी गई

सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में ..

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

ख्यह उल्लेख किया गया है कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड खोराबार के अन्तर्गत ग्राम सभा झगहा में चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें स्थानीय ग्राम प्रधान एवं स्थानीय दबंगों की मिली भगत से चकबन्दी अधिकारियों द्वारा अत्यधिक अनियमिततायें बरती जा रही हैं। उनके द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण गरीब जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण जनता को मौके स्थल पर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण जनता द्वारा विरोध करने पर स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश है। क्षेत्रीय जनता गलत ढंग से मनमानी तरीके से की जा रही चकबन्दी प्रक्रिया यथाशीघ्र रोके जाने एवं चकबन्दी अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया है, परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

2–मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर से प्राप्त आख्या के आधार पर चकबन्दी आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम झगहा, तप्पा राजधानी, परगना हवेली, तहसील चौरीचौरा, जिला गोरखपुर के सम्बन्ध में चकबन्दी के दौरान हुई अनियमिताओं के बाबत श्री अमरनाथ पूर्व प्रधान आदि द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना–पत्र दिनांक 18–7–2012 के क्रम में तत्कालीन उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर से जांच कराई गई तथा श्री जावेद अजीज, जिला सचिव के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी, चौरीचौरा की संयुक्त टीम से भी जांच कराई गई।

3–प्रश्नगत ग्राम झगहा में उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4क (2) का कटक में प्रकाशन दिनांक 04–5–1995 धारा–9 का प्रकाशन दिनांक 16–3–1996 धारा–10 का प्रकाशन दिनांक 30–12–1996 धारा–20 का प्रकाशन दिनांक 18–2–2012 को हो चुका है। ग्राम में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में काल बाधित आपत्ति एवं अपीलों के माध्यम से नियमानुसार निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान समय में ग्राम के चकों का चक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। ग्राम में कुल 32 प्रखण्ड हैं। ग्रामवासियों के सहयोग से ही अब तक 30 प्रखण्डों में चक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय जनता चकबन्दी चाहती है। प्रशासन द्वारा किसी को फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप गलत है। स्थानीय ग्राम प्रधान एवं दबंगों की मिलीभगत/मनमाने ढंग से चकबन्दी प्रक्रिया की कार्यवाही नहीं की जा रही है। बल्कि नियमानुसार की जा रही है।,

जनपद चन्दौली में स्थित राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली स्नातकोत्तर विषय के अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 2014 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री सुशील सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा ह ुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

रू दिनांक 02–07–2014 को यह सूचना दी गई थी कि जनपद–चन्दौली में स्थित राजकीय महाविद्यालय चन्दौली जो 1971 में स्थापित हुआ था, जिसमें स्नातक तक पढ़ाने वाले ही अध्यापक नियुक्त हैं। वर्ष 1990 में स्नातकोत्तर विषय की मान्यता मिली, लेकिन अध्यापकों की नियुक्ति न हो पाने से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर के ही अध्यापक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है लोक महत्व की सूचना पर विद्यार्थियों के विद्याध्ययन को दृष्टिगत रखते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पं0 कमलापति त्रिपाठी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चन्दौली में स्नातक स्तर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान तथा मनोविज्ञान विषय संचालित हैं। वर्तमान में गृह विज्ञान तथा मनोविज्ञान को छोड़कर शेष विषयों में प्रवक्ता के 01–01 पद सृजित हैं। इस प्रकार गृह विज्ञान तथा मनोविज्ञान को छोड़कर समस्त विषयों में प्रवक्ता तैनात हैं। गृह विज्ञान विषय में राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर से 01 प्रवक्ता को सम्बद्ध किया गया है।

इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान एवं मनोविज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र विषयों में सम्बद्धता प्राप्त है किन्तु उक्त विषयों में अभी तक पद सृजन नहीं हो सका है। निदेशक, उच्च शिक्षा एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान एवं मनोविज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र की कक्षायें संचालित किये जाने हेतु प्रवक्ता के कुल 06 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 04 अर्थात् कुल 10 पदों को सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। इस प्रस्ताव तथा अन्य राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन के प्राप्त प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये गये, वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में एक नीति बनाये जाने का सुझाव दिया गया है। उक्त नीति के सम्बन्ध में दिनांक 03 सितम्बर, 2014 को शासन स्तर पर एक बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि निदेशक, उच्च शिक्षा पद सृजन के मानकों से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17–01–2007 के दृष्टिगत प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर लें। यह भी देख लिया जाये कि उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकानुसार कितने अतिरिक्त पदों की आवश्यकता बनती है। इस प्रकार सम्यक् परीक्षणोपरान्त आवश्यक एवं औचित्य पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक, उच्च शिक्षा को दे दिये गये हैं। पुनः पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा को अनुस्मारित कराया गया।

अतः प्रश्नगत महाविद्यालय में वांछित पदों का सृजन करने एवं उक्त पदों पर तैनाती करने की कार्यवाही सम्प्रति प्रचलित है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 17–11–2014

पी0एस0यू0पी0–एल0 283 विधान सभा (525)–16–2–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।